

भारत सरकार
विद्युत मंत्रालय

....

लोक सभा
तारांकित प्रश्न संख्या- 172
दिनांक 11 दिसंबर, 2025 को उत्तरार्थ

नेशनल हाइड्रोइलेक्ट्रिक पावर कॉर्पोरेशन (एनएचपीसी) लिमिटेड के अंतर्गत कार्यशील जल विद्युत परियोजनाएं

*172. श्री मियां अल्ताफ अहमदः

क्या विद्युत मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) नेशनल हाइड्रोइलेक्ट्रिक पावर कॉर्पोरेशन (एनएचपीसी) लिमिटेड के अंतर्गत वर्तमान में कुल कितनी जल विद्युत परियोजनाएं चल रही हैं और इन परियोजनाओं से संयुक्त रूप से कितनी मात्रा में विद्युत का उत्पादन किया जा रहा है;

(ख) एनएचपीसी द्वारा वर्तमान में कितनी और कौन-कौन सी जल विद्युत परियोजनाएं निर्माणाधीन हैं और उनकी प्रस्तावित उत्पादन क्षमता कितनी है और इनके कार्यशील होने की संभावित तिथियां क्या हैं,

(ग) इन निर्माणाधीन परियोजनाओं की कुल अनुमानित लागत कितनी है और इसके पूरा होने पर कितनी मात्रा में विद्युत का उत्पादन होने का अनुमान है; और

(घ) क्या इन परियोजनाओं से प्रभावित स्थानीय निवासियों को रोजगार के पर्याप्त अवसर उपलब्ध नहीं कराए जा रहे हैं और यदि हाँ, तो तत्संबंधी व्यौरा क्या है और सरकार द्वारा उनकी शिकायतों को दूर करने के लिए क्या उपाय किए गए हैं?

उत्तर

विद्युत मंत्री
(श्री मनोहर लाल)

(क) से (घ) : एक विवरण सभा पटल पर रखा गया है।

विवरण

‘एनएचपीसी के अंतर्गत कार्यशील जल विद्युत परियोजनाएं’ के संबंध में दिनांक 11.12.2025 को उत्तरार्थ लोकसभा तारांकित प्रश्न संख्या 172 के संबंध में भाग (क) से (घ) के उत्तर में संदर्भित विवरण।

(क) : एनएचपीसी लिमिटेड और इसकी जेवी/सहायक कंपनियों द्वारा अक्टूबर, 2025 तक 7,771 मेगावाट की कुल संस्थापित क्षमता के साथ कुल 23 जलविद्युत परियोजनाएं शुरू की गई हैं। पिछले 3 वर्षों और वर्तमान वर्ष के दौरान इन परियोजनाओं से कुल उत्पादन निम्नानुसार है:

वर्ष	उत्पादन (मिलियन यूनिट)
2022-23	29,894
2023-24	26,056
2024-25	25,194
2025-26 (अप्रैल-अक्टूबर)	23,015

(ख) और (ग) : वर्तमान में एनएचपीसी लिमिटेड और इसकी जेवी/सहायक कंपनियों की 8,514 मेगावाट की कुल उत्पादन क्षमता वाली 8 जलविद्युत परियोजनाएं निर्माणाधीन हैं। परियोजनाओं के नाम, प्रस्तावित उत्पादन क्षमता, अनुमानित विद्युत उत्पादन / डिजाइन ऊर्जा, इन निर्माणाधीन जलविद्युत परियोजनाओं की कुल अनुमानित लागत और चालू होने की संभावित तिथि का ब्यौरा अनुबंध पर है।

(घ) : एनएचपीसी लिमिटेड ठेकेदारों के माध्यम से परियोजना प्रभावित परिवारों (पीएएफ) सहित स्थानीय लोगों को रोजगार के अवसर प्रदान करता है, जिससे स्थानीय आय सुजित होती है और उनके जीवन स्तर में सुधार होता है। इसके अलावा, स्थानीय उद्यमिता को बढ़ावा देने और स्थानीय व्यवसायों को सहायता प्रदान करने के लिए स्थानीय निवासियों और पीएएफ को बोली के अवसर भी प्रदान किए जाते हैं।

इसके अलावा, भारत सरकार ने किसी भी शिकायत के निवारण के लिए "केंद्रीकृत लोक शिकायत निवारण और निगरानी प्रणाली - सीपीग्राम" पोर्टल की शुरूआत की है। इस पोर्टल के माध्यम से प्राप्त शिकायतों की जांच की जाती है और समयबद्ध तरीके से निस्तारण किया जाता है।

एनएचपीसी लिमिटेड और उसकी जेवी/सहायक कंपनियों की निर्माणाधीन जलविद्युत परियोजनाओं, प्रस्तावित उत्पादन क्षमता, अनुमानित विद्युत उत्पादन, अनुमानित कुल लागत और चालू होने की संभावित तिथि का व्यौरा

क्र.सं.	परियोजना	राज्य	क्षमता (मेगावाट)	डिजाइन ऊर्जा (एमयू)	अनुमानित लागत (करोड़ रुपये में)	चालू होने की अनुमानित तिथि
क.	एनएचपीसी					
1.	सुबनसिरी लोअर जलविद्युत परियोजना	अरुणाचल प्रदेश	2000	7422	27948	दिसंबर-26
2.	दिबांग बहुउद्देशीय परियोजना	अरुणाचल प्रदेश	2880	11223	31876	फरवरी-32
3.	तीस्ता-VI जलविद्युत परियोजना	सिक्किम	500	2400	8449	सितंबर-29
उप योग			5380	21045	68273	
ख.	जेवी/सहायक कंपनी					
4.	रंगित-IV जलविद्युत परियोजना (जेपीसीएल* द्वारा कार्यान्वित)	सिक्किम	120	508	1889	अप्रैल-26
5.	रत्ले जलविद्युत परियोजना (आरएचपीसीएल** द्वारा कार्यान्वित)	जम्मू व कश्मीर संघ राज्य क्षेत्र	850	3137	5282	नवंबर-28
6.	पाकल दुल जलविद्युत परियोजना (सीवीपीएल*** द्वारा कार्यान्वित)	जम्मू व कश्मीर संघ राज्य क्षेत्र	1000	3230	12728	दिसंबर-26
7.	किरु जलविद्युत परियोजना (सीवीपीएल द्वारा कार्यान्वित)	जम्मू व कश्मीर संघ राज्य क्षेत्र	624	2272	5409	दिसंबर-26
8.	क्वार जलविद्युत परियोजना (सीवीपीएल द्वारा कार्यान्वित)	जम्मू व कश्मीर संघ राज्य क्षेत्र	540	1975	4526	मार्च-28
उप योग			3134	11122	29834	
महा योग			8514	32167	98107	

* जेपीसीएल: जल पावर कॉर्पोरेशन लिमिटेड।

** आरएचपीसीएल: रत्ले हाइड्रो पावर कॉर्पोरेशन लिमिटेड।

*** सीवीपीएल: चेनाब वैली पावर प्रोजेक्ट्स लिमिटेड।

भारत सरकार
विद्युत मंत्रालय

....

लोक सभा
तारांकित प्रश्न संख्या-178
दिनांक 11 दिसंबर, 2025 को उत्तरार्थ

स्मार्ट प्रीपेड मीटर लगाए जाने का प्रभाव

*178. श्रीमती रुचि वीरा:

क्या विद्युत मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

- (क) क्या स्मार्ट प्रीपेड मीटर लगाने के सरकार के निर्णय से प्रत्येक परिवार प्रभावित हो रहा है;
- (ख) यदि हां, तो तत्संबंधी व्यौरा है और उपभोक्ताओं के सामने आ रही व्यावहारिक कठिनाईयों को हल करने के लिए सरकार द्वारा क्या सुधारात्मक कदम उठाए जाने का प्रस्ताव है; और
- (ग) क्या सरकार का विचार उपभोक्ताओं के सर्वोत्तम हित में पोस्टपेड सेवाएं प्रदान करने का है और यदि हां, तत्संबंधी व्यौरा क्या है?

उत्तर

विद्युत मंत्री
(श्री मनोहर लाल)

(क) से (ग) : एक विवरण सभा पटल पर रखा गया है।

‘स्मार्ट प्रीपेड मीटर लगाए जाने का प्रभाव’ के संबंध में दिनांक 11.12.2025 को उत्तरार्थ लोकसभा तारांकित प्रश्न संख्या 178 के संबंध में भाग (क) से (ग) के उत्तर में संदर्भित विवरण।

(क) से (ग) :

- I. देश भर में प्रीपेड मोड में कार्य कर रहे 1.6 करोड़ स्मार्ट मीटर सहित कुल 4.93 करोड़ स्मार्ट मीटर लगाए गए हैं। संशोधित वितरण क्षेत्र स्कीम (आरडीएसएस) के अंतर्गत, राज्यों/वितरण यूटिलिटी द्वारा प्रस्तुत प्रस्ताव के आधार पर कुल 20.33 करोड़ के स्मार्ट मीटरिंग कार्य जिसमें प्रीपेड मोड में 19.79 करोड़ उपभोक्ताओं के लिए, 2.11 लाख फीडर और 52.53 लाख डीटी शामिल हैं, स्वीकृत किए गए हैं और 3.58 करोड़ स्मार्ट मीटर लगाए गए हैं। शेष स्मार्ट मीटर राज्यों द्वारा उनकी राज्य योजनाओं/अन्य स्कीमों के अंतर्गत लगाए गए हैं।
- II. पोस्ट पेड सेवा पारंपरिक रूप से डिफॉल्ट मोड में रही है। हालांकि, उपभोक्ताओं और वितरण यूटिलिटी, दोनों को दिए जाने वाले लाभों को ध्यान में रखते हुए, संशोधित वितरण क्षेत्र स्कीम (आरडीएसएस) के अंतर्गत स्मार्ट प्रीपेड मीटर लगाए गए हैं। सरकारी प्रतिष्ठानों, वाणिज्यिक, औद्योगिक और उच्च लोड वाले उपभोक्ताओं को प्रीपेड स्मार्ट मीटर लगाने में प्राथमिकता दी जा रही है तथा बाद में फायदा दिखने पर अन्य उपभोक्ताओं के लिए भी प्रीपेड स्मार्ट मीटर लगाए जाएंगे।

उपभोक्ताओं के लिए निम्नलिखित लाभों की परिकल्पना की गई हैं:

- i. छोटे रिचार्ज के साथ रिचार्ज की सुविधा
- ii. जीरो बैलेंस पर कनेक्शन कटने से बचने के लिए मीटर में आपातकालीन क्रेडिट
- iii. खपत की ट्रैकिंग
- iv. त्रुटि रहित बिलिंग

उपभोक्ताओं के अलावा, प्रीपेड स्मार्ट मीटरिंग स्वचालित ऊर्जा लेखांकन, बेहतर लोड पूर्वानुमान, मांग पक्ष प्रबंधन के लिए डेटा विश्लेषण का उपयोग और ऊर्जा पारगमन के लिए एक सक्षम पारिस्थितिकी तंत्र की सुविधा जैसे लाभ प्रदान करते हुए वितरण यूटिलिटी की बिलिंग और संग्रह दक्षता में सुधार करने में मदद करती है। वितरण यूटिलिटी को होने वाले लाभ, अंततः बेहतर सेवाओं और कम लागतों के रूप में उपभोक्ताओं को ही मिलते हैं।

- III. प्रारंभ में, स्मार्ट मीटरों के लाभों के बारे में उपभोक्ताओं में कम जागरूकता के कारण स्मार्ट मीटरिंग कार्यों के कार्यान्वयन में कुछ चुनौतियां थीं। उपभोक्ताओं को जोड़ने और उनमें विश्वास बढ़ाने के लिए, मंत्रालय ने विभिन्न परामर्शिकाएं और मानक संचालन प्रक्रियाएं (एसओपी) जारी की हैं। इनमें निम्नलिखित शामिल हैं:

- प्रीपेड मीटर लगाने के लिए बिल में छूट के माध्यम से उपभोक्ताओं को प्रोत्साहित करना;
- स्मार्ट मीटर द्वारा दर्ज की गई उच्चतम मांग के आधार पर उपभोक्ता पर कोई जुर्माना नहीं,
- पिछले बकाया की आसान किश्तों में वसूली के लिए तंत्र;
- स्मार्ट मीटरों की सटीकता में विश्वास बढ़ाने के लिए चेक मीटर लगाना;
- बिजली की खपत की नियमित ट्रैकिंग और आसान रिचार्ज के लिए स्मार्ट मीटर मोबाइल ऐप उपलब्ध कराए जा रहे हैं;
- उपभोक्ताओं को बैलेंस और इमरजेंसी क्रेडिट के लिए अग्रिम अलर्ट।

भारत सरकार
विद्युत मंत्रालय

....

लोक सभा

अतारांकित प्रश्न संख्या-1850
दिनांक 11 दिसंबर, 2025 को उत्तरार्थ

ताप विद्युत संयंत्रों में पराली का उपयोग

1850. श्री संदिपनराव आसाराम भुमरे:

श्री निलेश जानदेव लंके:

क्या विद्युत मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) देश में विभिन्न ताप विद्युत संयंत्रों (टीपीपी) द्वारा फसल अवशेष पराली (टन में) से ताप विद्युत संयंत्र-वार और टन भार-वार कितनी बायोगैस का उपयोग किया जा रहा है;

(ख) क्या सरकार का पराली नहीं जला कर, उसका प्रसंस्करण कर उसे बायोगैस/ताप विद्युत संयंत्रों को भेजने बाले किसानों को प्रोत्साहित करने का विचार है;

(ग) यदि हाँ, तो महाराष्ट्र में तत्संबंधी व्यौरा क्या है और यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं;

(घ) क्या सरकार का पराली प्रसंस्करण संयंत्रों को प्रोत्साहित करने का विचार है, और

(ङ) यदि हाँ, तो तत्संबंधी व्यौरा क्या है और यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

उत्तर

विद्युत राज्य मंत्री

(श्री श्रीपाद नाईक)

(क) : देश में तापविद्युत संयंत्रों (टीपीपी) में फसल अवशेष से बनी बायोगैस का प्रयोग नहीं किया जा रहा है। हालांकि, फसल अवशेष से बने बायोमास पेलेट्स को टीपीपी में कोयले के साथ को-फायर किया जा रहा है।

(ख) और (ग): जी हाँ, सरकार उन किसानों को प्रोत्साहित कर रही है, जो पराली नहीं जला रहे हैं और इसके बजाय इसे बायोगैस और तापविद्युत संयंत्रों को आपूर्ति करने के लिए इसकी प्रोसेसिंग कर रहे हैं। नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय (एमएनआरई), महाराष्ट्र सहित देश भर में कम्प्रैस्ड बायोगैस (सीबीजी) परियोजनाओं और बायोमास आधारित ब्रिकेट/पेलेट विनिर्माण इकाइयों की स्थापना में सहायता करने के लिए दिनांक 02.11.2022 को अधिसूचित राष्ट्रीय जैव-ऊर्जा कार्यक्रम के चरण-I के तहत बायोमास कार्यक्रम लागू कर रहा है। यह स्कीम निम्नलिखित वित्तीय सहायता प्रदान करती है:

क. बायोमास कार्यक्रम:

- i. ब्रिकेट विनिर्माण संयंत्रों के लिए: 09.00 लाख रुपये प्रति मीट्रिक टन प्रति घंटे (एमटीपीएच) उत्पादन क्षमता (प्रति परियोजना अधिकतम 45 लाख रुपये के अध्यधीन)।
- ii. गैर-टोरेफाइड पेलेट विनिर्माण संयंत्र के लिए: प्रति एमटीपीएच उत्पादन क्षमता 21 लाख रुपये या पूँजीगत लागत का 30%, जो भी कम हो (अधिकतम 105 लाख रु. प्रति परियोजना के अध्यधीन)।
- iii. टोरेफाइड पेलेट विनिर्माण संयंत्र के लिए: 42 लाख रुपये/एमटीपीएच उत्पादन क्षमता या 1 टीपीएच संयंत्र के संयंत्र और मशीनरी के लिए विचार की गई पूँजी लागत का 30%, जो भी कम हो (प्रति परियोजना अधिकतम 210 लाख रुपये)।

ख. अपशिष्ट से ऊर्जा कार्यक्रम:

- i. **बायोगैस उत्पादन:** 0.25 करोड़ रुपये प्रति 12000 सीयूएम प्रतिदिन (प्रति परियोजना अधिकतम 5.00 करोड़ रुपये के अध्यधीन)
- ii. **बायो-सीएनजी उत्पादन:**
 - 4.0 करोड़ रुपये प्रति 4800 किलोग्राम प्रति दिन (नए बायोगैस संयंत्र से बायोसीएनजी उत्पादन के लिए)
 - 3.0 करोड़ रुपये प्रति 4800 किलोग्राम प्रति दिन (मौजूदा बायोगैस संयंत्र से बायोसीएनजी उत्पादन के लिए)। (प्रति परियोजना अधिकतम 10.00 करोड़ के अध्यधीन)
- iii. **बायोगैस के आधार पर विद्युत उत्पादन:**
 - 0.75 करोड़ रुपये प्रति मेगावाट (नए बायोगैस संयंत्र से विद्युत उत्पादन के लिए)
 - 0.5 करोड़ रुपये प्रति मेगावाट (मौजूदा बायोगैस संयंत्र से विद्युत उत्पादन के लिए)

[5.00 करोड़ रुपये प्रति परियोजना अधिकतम]

(घ) और (ड) : भारत सरकार द्वारा निम्नलिखित स्कीमों/कार्यक्रमों को लागू करके पराली प्रसंस्करण संयंत्रों को प्रोत्साहित करने के प्रयास किए जा रहे हैं:

- नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय (एमएनआरई) राष्ट्रीय जैव ऊर्जा कार्यक्रम (एनबीपी) के तहत छोटे, मध्यम और बड़े आकार के बायोगैस संयंत्रों और बायोमास आधारित ब्लिकेट/पैलेट बनाए जाने का समर्थन करता है;
- जल शक्ति मंत्रालय, पेयजल और स्वच्छता विभाग ने स्वच्छ भारत मिशन ग्रामीण योजना (एसबीएम(जी)) के तहत गैल्वनाइजिंग ऑर्गेनिक बायो-रिसोर्स धन (गोबरधन) की शुरुआत की ताकि बायोडिग्रेडेबल वेस्ट को बायोगैस और ऑर्गेनिक खाद में परिवर्तित करके गांवों में स्वच्छता सुनिश्चित की जा सके;
- पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय (एमओपीएनजी) ने बायोमास एग्रीगेशन मशीनरी (बीएएम) की खरीद के लिए कम्प्रैस्ड बायो-गैस उत्पादकों को वित्तीय सहायता प्रदान करने के लिए एक स्कीम शुरू की है।
- केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड (सीपीसीबी) ने राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र, दिल्ली, पंजाब और हरियाणा राज्यों और राजस्थान और उत्तर प्रदेश के एनसीआर जिलों में उत्पन्न धान की पराली के उपयोग को बढ़ावा देने के लिए पैलेटाइजेशन और टोरफेक्शन संयंत्रों की स्थापना के लिए पर्यावरण संरक्षण शुल्क निधि के तहत एकमुश्त वित्तीय सहायता प्रदान करने संबंधी दिशानिर्देश तैयार किए हैं।
- कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय (एमओए एंड एफडब्ल्यू) ने वर्ष 2018 में फसल अवशेष प्रबंधन मशीनरी खरीदने और धान की पराली के स्व-स्थाने प्रबंधन के लिए राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली और पंजाब, हरियाणा और उत्तर प्रदेश राज्यों में कस्टम हायरिंग सेंटर (सीएचसी) की स्थापना के लिए सब्सिडी प्रदान करने संबंधी स्कीम शुरू की थी। एमओए और एफडब्ल्यू ने वर्ष 2023 में मशीनरी और उपकरणों की पूँजीगत लागत पर वित्तीय सहायता प्रदान करके, फसल अवशेष/धान की पराली की आपूर्ति शृंखला बनाने में मदद करने के लिए स्कीम के तहत दिशानिर्देशों को संशोधित किया।
- विद्युत मंत्रालय ने कोयला आधारित थर्मल पावर संयंत्रों में बायोमास पैलेट (नगरपालिका ठोस कचरे से बने टॉरफाइड चारकोल सहित) की सह-फायरिंग के लिए एक व्यापक नीति जारी की है। यह नीति बिजली उत्पादन के लिए फसल अवशेष (बायोमास) के उपयोग को आसान बनाती है और बायोमास पैलेट की अच्छी-खासी मांग पैदा करती है, जिससे पूरे देश में पैलेटाइजेशन और टोरीफेक्शन संयंत्रों की स्थापना को बढ़ावा मिलता है।

भारत सरकार
विद्युत मंत्रालय

....

लोक सभा

अतारांकित प्रश्न संख्या-1851

दिनांक 11 दिसंबर, 2025 को उत्तरार्थ

लक्षद्वीप में विद्युत गृह अवसंरचना

†1851. श्री हमदुल्ला सईदः

क्या विद्युत मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

- (क) क्या सरकार को संघ राज्य क्षेत्र लक्षद्वीप के विभिन्न द्वीपों में अपर्याप्त और पुरानी विद्युत गृह अवसंरचना की जानकारी है, जिसके कारण बार-बार ब्रेकडाउन हो रहा है और सेवा बाधित हो रही है और यदि हाँ, तो तत्संबंधी व्यौरा क्या है;
- (ख) क्या लक्षद्वीप प्रशासन से द्वीपों में विद्युत गृहों के आधुनिकीकरण, उन्नयन या पुनर्निर्माण के लिए कोई प्रस्ताव प्राप्त हुए हैं;
- (ग) यदि हाँ, तो ऐसे प्रस्तावों का व्यौरा और वर्तमान स्थिति क्या है,
- (घ) क्या सरकार को जल प्रदूषण और संबंधित पर्यावरणीय समस्याओं से बचने के लिए अमीनी द्वीप पर मौजूद विद्युत गृह को उसके वर्तमान घनी आबादी वाले केंद्रीय स्थान से द्वीप के पूर्वी हिस्से में स्थानांतरित करने की लंबे समय से लंबित मांग की जानकारी है और यदि हाँ, तो तत्संबंधी व्यौरा क्या है;
- (ङ) क्या सरकार का जन सुरक्षा और पर्यावरण संरक्षण के हित में अमीनी विद्युत गृह के स्थानांतरण को मंजूरी देने और समर्थन देने का विचार है; और
- (च) यदि हाँ, तो अमीनी विद्युत गृह के स्थानांतरण सहित लक्षद्वीप में विद्युत अवसंरचना के उन्नयन के लिए प्रस्तावित समय-सीमा क्या है?

उत्तर

विद्युत राज्य मंत्री

(श्री श्रीपाद नाईक)

(क) से (च) : विद्युत विभाग, लक्षद्वीप द्वारा उपलब्ध कराई गई जानकारी के अनुसार, लक्षद्वीप संघ राज्य क्षेत्र की वर्तमान संस्थापित क्षमता 26.26 मेगावाट है, जिसमें 24.56 मेगावाट डीजल जेनरेटर (डीजी) सेट तथा 1.7 मेगावाट सौर ऊर्जा संयंत्र से है जबकि लक्षद्वीप में 12.76 मेगावाट की उच्चतम मांग दर्ज की गई है। अतः वर्तमान में लक्षद्वीप की विद्युत मांग को पूरा करने के लिए पर्याप्त उत्पादन क्षमता उपलब्ध है।

लक्षद्वीप संघ राज्य क्षेत्र द्वारा दी गई जानकारी के अनुसार द्वीपों की ऊर्जा आवश्यकताओं को नवीकरणीय ऊर्जा स्रोतों के माध्यम से पूरा करने के लिए विद्युत विभाग, लक्षद्वीप द्वारा सौर ऊर्जा संयंत्रों की स्थापना के लिए अपेक्षित भूमि अधिग्रहण की कार्रवाई प्रारम्भ की गई है। इसके अतिरिक्त, प्रस्तावित सौर ऊर्जा संयंत्र के समीप स्थित भूमि क्षेत्र की पहचान कर ली गई है जहाँ मौजूदा अमीनी पावर हाउस को स्थानांतरित किया जाएगा। लक्षद्वीप द्वीपों में विद्युत अवसंरचना के उन्नयन का कार्य, जिसमें अमीनी पावर हाउस का स्थानांतरण भी शामिल है, कार्य आवंटन एवं भूमि अधिग्रहण की तिथि से लगभग दो वर्षों में पूर्ण होने की संभावना है।

वर्तमान में चल रही आरडीएसएस स्कीम के अंतर्गत, देशभर में वितरण अवसंरचना के उन्नयन एवं प्रणाली के आधुनिकीकरण, जिसमें स्काडा, संचार आधारित सिस्टम मीटरिंग तथा स्मार्ट प्री-पेड मीटरिंग शामिल हैं, के लिए पात्र डिस्कॉम अर्थात् डिस्कॉम /विद्युत विभागों (निजी क्षेत्र के डिस्कॉम को छोड़कर) को वित्तीय सहायता प्रदान की जा रही है। लक्षद्वीप संघ राज्य क्षेत्र की वितरण अवसंरचना के सुदृढ़ीकरण एवं आधुनिकीकरण हेतु विस्तृत परियोजना रिपोर्ट (डीपीआर) की परिकल्पना विद्युत विभाग, लक्षद्वीप द्वारा उचित वित्तपोषण हेतु आरडीएस के लिए नोडल एजेंसी, पीएफसी के परामर्श से की गई है।

भारत सरकार
विद्युत मंत्रालय

....
लोक सभा
अतारांकित प्रश्न संख्या-1853
दिनांक 11 दिसंबर, 2025 को उत्तरार्थ

एयर कंडीशनरों के लिए मानकीकृत शीतलन सीमा

+1853. थिरु दयानिधि मारन:

क्या विद्युत मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार ने इस बात की जांच की है कि उच्च आर्द्रता या अत्यधिक गर्मी वाले क्षेत्रों में मानकीकृत शीतलन सीमा उपभोक्ता सुविधा, ऊर्जा उपयोग, औद्योगिक उत्पादकता और उपकरणों के कार्य-निष्पादन को किस प्रकार प्रभावित करेगी और यदि हाँ, तो तत्संबंधी व्यौरा क्या है;

(ख) क्या एक समान शीतलन सीमा की सिफारिश करने से पहले एसी निर्माताओं, ऊर्जा दक्षता निकायों, उपभोक्ता समूहों और राज्य सरकारों के साथ कोई परामर्श किया गया है और यदि हाँ, तो तत्संबंधी व्यौरा क्या है;

(ग) क्या सरकार ने, एसी को एक मानकीकृत सीमा से नीचे प्रशीतित करने से रोके जाने की स्थिति में, विशेषकर शिशुओं, बुजुर्गों और स्वास्थ्य सेवा इकाइयों में रोगियों हेतु स्वास्थ्य परिणामों के सम्बंध में संभावित प्रभावों का आकलन किया है और यदि हाँ, तो इसके क्या निष्कर्ष निकले हैं और यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं; और

(घ) जून 2025 के उस प्रस्ताव की वर्तमान स्थिति क्या है जिसमें एयर कंडीशनरों को 20°C-28°C सीमा के अंदर संचालित करना अनिवार्य किया गया है और क्या इसके कार्यान्वयन के लिए कोई समय-सीमा निर्धारित की गई है और यदि हाँ, तो तत्संबंधी व्यौरा क्या है?

उत्तर

विद्युत राज्य मंत्री
(श्री श्रीपाद नाईक)

(क) और (ख) : विद्युत मंत्रालय ने एयर कंडीशनर के लिए न्यूनतम ऊर्जा प्रदर्शन मानकों के तहत 24 डिग्री सेल्सियस की डिफॉल्ट तापमान सेटिंग विनिर्दिष्ट की है, जिसमें उपयोगकर्ता आवश्यकतानुसार परिवर्तन कर सकते हैं। किसी भी एकसमान या मानकीकृत शीतलन सीमा को अधिसूचित नहीं किया गया है, और इसलिए ऐसी सीमा पर कोई विस्तृत मूल्यांकन या परामर्श नहीं किया गया है।

(ग) और (घ) : एयर कंडीशनरों में 20°C से 28°C संचालन सीमा के लिए एक उपयोगकर्ता सर्वेक्षण किया गया था। प्राप्त प्रतिपुष्टि के आधार पर, तापमान की कोई सीमा अनिवार्य नहीं की गई है। नतीजतन, कोई अलग स्वास्थ्य प्रभाव मूल्यांकन नहीं किया गया है और कोई कार्यान्वयन समय सीमा तय नहीं की गई है।

भारत सरकार
विद्युत मंत्रालय

....

लोक सभा

अतारांकित प्रश्न संख्या-1854

दिनांक 11 दिसंबर, 2025 को उत्तरार्थ

देश के पावर ग्रिडों की सुरक्षा हेतु साइबर सुरक्षा उपाय

†1854. श्री परषोत्तमभाई रूपाला:

क्या विद्युत मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार ने देश के पावर ग्रिडों को संभावित साइबर खतरों और हमलों से बचाने के लिए साइबर सुरक्षा उपायों के संबंध में कोई शोध या अध्ययन किया है और यदि हाँ, तो तत्संबंधी व्यौरा क्या है और विगत पाँच वर्षों के दौरान देश भर में, विशेषकर गुजरात में, पावर ग्रिडों में क्या अवसंरचना और सुरक्षा उन्नयन लागू किए गए हैं;

(ख) क्या विगत पाँच वर्षों के दौरान देश के पावर ग्रिडों के संबंध में साइबर सुरक्षा संपरीक्षा की गई थी और यदि हाँ, तो तत्संबंधी वर्ष-वार व्यौरा क्या है; और

(ग) क्या इस अवधि के दौरान देश के पावर ग्रिडों के संबंध में साइबर सुरक्षा उल्लंघन या साइबर हमलों के प्रयास की कोई घटना हुई है और यदि हाँ, तो तत्संबंधी व्यौरा क्या है और सरकार द्वारा क्या उपचारात्मक और निवारक उपाय किए गए हैं?

उत्तर

विद्युत राज्य मंत्री
(श्री श्रीपाद नाईक)

(क) और (ग) : साइबर सुरक्षा में अनुसंधान और विकास को बढ़ावा देने, विशेष रूप से पावर ग्रिड संचालन और पारेषण प्रणालियों के लिए भारतीय विज्ञान संस्थान (आईआईएससी), बंगलुरु में साइबर सुरक्षा में पावरग्रिड उत्कृष्टता केन्द्र (सीओई) की स्थापना की गई है।

केंद्रीय विद्युत प्राधिकरण (सीईए) ने साइबर सुरक्षित विद्युत पारिस्थितिकी प्रणाली सुनिश्चित करने के लिए विद्युत क्षेत्र में साइबर सुरक्षा दिशानिर्देश, 2021 जारी किए थे। इन दिशानिर्देशों में एक व्यापक साइबर आश्वासन रूपरेखा प्रदान की गई है तथा विद्युत क्षेत्र की सभी संस्थाओं में साइबर सुरक्षा शासन संरचना में मजबूती प्रदान की गई है। इसके अलावा, विद्युत क्षेत्र के लिए एक

विस्तृत साइबर सुरक्षा रूपरेखा स्थापित करने के लिए केंद्रीय विद्युत प्राधिकरण (विद्युत क्षेत्र में साइबर सुरक्षा) विनियम, 2025 के मसौदे को अंतिम रूप दिया जा रहा है।

विद्युत मंत्रालय ने सीईआरटी-इन की एक विस्तारित शाखा के रूप में दिनांक 5 अप्रैल, 2023 को सीईए में कंप्यूटर सुरक्षा घटना प्रतिक्रिया टीम- विद्युत (सीएसआईआरटी-पावर) की स्थापना की है। सीएसआईआरटी-पावर साइबर घटनाओं का पता लगाने, प्रत्युत्तर देने, प्रबंधन और समग्र साइबर सुरक्षा तैयारियों में सुधार करने के लिए यूटिलिटी की सहायता करता है। इसके अलावा, विद्युत मंत्रालय ने छह उप-क्षेत्रीय कंप्यूटर आपातकालीन प्रतिक्रिया टीमों (सीईआरटीएस), यथा- (तापविद्युत, जलविद्युत, पारेषण, ग्रिड संचालन, नवीकरणीय ऊर्जा और वितरण) का गठन किया है। प्रत्येक उप-क्षेत्रीय सीईआरटी को साइबर हमलों की स्थिति में मिलकर समन्वित प्रतिक्रिया देने और इसके शमन के लिए एक उप-क्षेत्र-विशेष मॉडल साइबर क्राइसिस मैनेजमेंट प्लान (सी-सीएमपी) तैयार करने के लिए अधिदेशित किया गया है।

गुजरात एनर्जी ट्रांसमिशन कॉर्पोरेशन लिमिटेड (गेटको) द्वारा दी गई जानकारी के अनुसार, गुजरात राज्य में एक बृहद् साइबर सुरक्षा रूपरेखा लागू की गई है, जिसमें अपेक्षाकृत कड़े एक्सेस कंट्रोल, एंडपॉइंट प्रोटोकशन, कम सिस्टम एक्सपोजर, सिक्योर एन्क्रिप्टेड कम्युनिकेशन, रिमोट कंट्रोल सेंटर और स्टेट लोड डिस्पैच सेंटर (एसएलडीसी) के बीच नेक्स्ट-जेनरेशन फायरवॉल लगाना, और मैलवेयर सुरक्षा हेतु आवश्यक एंटीवायरस समाधानों की स्थापना करना शामिल है।

पिछले पाँच वर्षों में, नेशनल लोड डिस्पैच सेंटर (एनएलडीसी) की प्रचालनात्मक प्रणालियों में किसी भी साइबर सुरक्षा उल्लंघन या साइबर-हमले के सफल होने की रिपोर्ट नहीं मिली है।

(ख) : केंद्रीय विद्युत प्राधिकरण (विद्युत क्षेत्र में साइबर सुरक्षा) दिशानिर्देश, 2021 के अनुसार विद्युत क्षेत्र में समय-समय पर साइबर सुरक्षा लेखा परीक्षा की जाती है। ये लेखा परीक्षा सीईआरटी-इन द्वारा सूचीबद्ध थर्ड-पार्टी साइबर सिक्योरिटी लेखा परीक्षक द्वारा की जाती है। पिछले पांच वर्षों में, राष्ट्रीय भार प्रेषण केंद्र में सूचना प्रौद्योगिकी अवसंरचना (आईटी) के 9 आकलन और परिचालन प्रौद्योगिकी (ओटी) अवसंरचना के 5 आकलन किए गए हैं। विवरण अनुबंध पर है।

इसी तरह, सीईआरटी-इन के सूचीबद्ध लेखा परीक्षकों द्वारा सभी एसएलडीसी में समय-समय पर साइबर सुरक्षा लेखा परीक्षा की जाती है, जिसमें सुपरवाइजरी कंट्रोल एंड डेटा एक्विजिशन (एससीएडीए) प्रणाली, यूनिफाइड रियल-टाइम डायनेमिक स्टेट मेजरमेंट (यूआरटीडीएसएम) प्रणाली और अन्य महत्वपूर्ण परिसंपत्तियों सहित आईटी और ओटी अवसंरचना को कवर किया जाता है।

नेशनल लोड डिस्पैच सेंटर

वित्त वर्ष	आईटी (माह एवं वर्ष)	सुपरवाइजरी कंट्रोल एंड डेटा एक्विजिशन प्रणाली (माह एवं वर्ष)
वित्त वर्ष 2025-26	सितम्बर, 25 (चक्र-1)	जून, 25
वित्त वर्ष 2024-25	अप्रैल, 24 (चक्र-1), जनवरी, 25 (चक्र-2)	जून, 24
वित्त वर्ष 2023-24	अगस्त, 23 (चक्र-1), मार्च, 24 (चक्र-2)	मई, 23
वित्त वर्ष 2022-23	जुलाई, 22 (चक्र-1), जनवरी, 23 (चक्र-2)	सितम्बर, 22
वित्त वर्ष 2021-22	अगस्त, 21 (चक्र-1) फरवरी, 22 (चक्र-2)	परियोजना उन्नयन के अधीन

भारत सरकार
विद्युत मंत्रालय

....
लोक सभा
अतारांकित प्रश्न संख्या-1877
दिनांक 11 दिसंबर, 2025 को उत्तरार्थ

आरडीएसएस का कार्यान्वयन

+1877. श्रीमती सुप्रिया सुले:

श्री भास्कर मुरलीधर भगरे:

डॉ. अमोल रामसिंग कोल्हे:

प्रो. वर्षा एकनाथ गायकवाड़:

श्री धैर्यशील राजसिंह मोहिते पाटील:

श्री संजय दिना पाटील:

क्या विद्युत मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

- (क) महाराष्ट्र राज्य में संशोधित वितरण क्षेत्र योजना (आरडीएसएस) के कार्यान्वयन की वर्तमान स्थिति क्या है;
- (ख) महाराष्ट्र में उक्त योजना के अंतर्गत स्वीकृत परियोजनाओं की कुल संख्या क्या है;
- (ग) सरकार द्वारा सबस्टेशनों, ट्रांसफार्मरों और फीडरों के उन्नयन सहित महाराष्ट्र में आरडीएसएस के अंतर्गत डिस्कॉम की अवसंरचना में सुधार हेतु की गई पहलों का व्यौरा क्या है;
- (घ) महाराष्ट्र में आरडीएसएस के अंतर्गत शामिल शहरी और ग्रामीण कस्बों की संख्या कितनी है;
- (ङ) ए.टी.एण्ड सी. हानियों में कमी और विद्युत आपूर्ति की गुणवत्ता में सुधार के संदर्भ में इन पहलों के अपेक्षित परिणाम क्या हैं;
- (च) सरकार द्वारा महाराष्ट्र में आरडीएसएस के कार्यान्वयन में निजी क्षेत्र की भागीदारी सुनिश्चित करने के लिए क्या कदम उठाए गए हैं;
- (छ) क्या उक्त योजना के अंतर्गत राज्य में किसी प्रौद्योगिकी साझेदार या टर्न-की ठेकेदार को नियुक्त किया गया है और यदि हाँ, तो उसका व्यौरा क्या है;
- (ज) क्या कोई विलंब, लागत में वृद्धि संभार-तंत्र संबंधी समस्याएँ आई हैं और यदि हाँ, तो उसका व्यौरा क्या है; और
- (झ) सरकार द्वारा ऐसे मुद्दों के समाधान के लिए क्या उपचारात्मक उपाय किए गए हैं?

उत्तर

विद्युत राज्य मंत्री
(श्री श्रीपाद नाईक)

(क) : दिनांक 03.12.2025 की स्थिति के अनुसार महाराष्ट्र राज्य के लिए आरडीएसएस के अंतर्गत हानि न्यूनीकरण कार्यों और स्मार्ट मीटरिंग कार्यों की प्रगति नीचे सारणीबद्ध है:

क्रम सं.	डिस्कॉम	हानि न्यूनीकरण कार्य	स्मार्ट मीटरिंग कार्य
1	एमएसईडीसीएल	35.74%	31.07%
2	बीईएसटी	29.85%	43.52%
	राज्य	35.41%	31.63%

(ख) से (ड) : विद्युत, एक समवर्ती विषय होने के कारण, ग्रामीण और शहरी क्षेत्रों में रखरखाव, अनुरक्षण और वितरण अवसंरचना की अभिवृद्धि सहित सभी उपभोक्ताओं को विश्वसनीय तरीके से विद्युत की आपूर्ति की जिम्मेदारी संबंधित राज्य सरकारों/वितरण यूटिलिटी की है।

भारत सरकार संशोधित वितरण क्षेत्र योजना (आरडीएसएस) के माध्यम से राज्य के प्रयासों में सहायता कर रही है, जिसके तहत महाराष्ट्र राज्य के लिए 17,238 करोड़ रुपये की राशि के हानि न्यूनीकरण कार्यों और 15,215 करोड़ रुपये की राशि के स्मार्ट मीटरिंग कार्यों को मंजूरी दी गई है। हानि न्यूनीकरण कार्यों में नए सबस्टेशन और वितरण ट्रांसफार्मर के लिए कार्य, सबस्टेशन और वितरण ट्रांसफार्मर (डीटीएस) का उन्नयन, एचटी और एलटी लाइनों का प्रतिस्थापन और संवर्धन, कृषि फीडर पृथक्करण, फीडर विभाजन, एचवीडी (उच्च बोल्टेज वितरण प्रणाली), आपदा रोधी कार्य, घरेलू विद्युतीकरण कार्य आदि शामिल हैं। इसके अलावा, 2.36 करोड़ उपभोक्ताओं, 4.11 लाख डीटी और 29,214 फीडरों के लिए स्मार्ट मीटरिंग कार्य स्वीकृत किए गए हैं। राज्य द्वारा प्रस्तुत परियोजना प्रस्ताव के आधार पर शहरी और ग्रामीण क्षेत्रों सहित महाराष्ट्र के 34 जिलों के लिए उपर्युक्त कार्यों को मंजूरी दी गई है।

एटीएंडसी हानियों में कमी और विद्युत आपूर्ति में सुधार सहित उपर्युक्त कार्यों के पूरा होने से डिस्कॉम की प्रचालन दक्षता में सुधार होगा। एटी एंड सी हानि के मापदंड और विद्युत आपूर्ति के लिए राज्य द्वारा प्रस्तुत कार्य योजना के आधार पर स्कीम के अंतर्गत लक्षित परिणाम अनुबंध पर हैं।

(च) और (छ) : आरडीएसएस के अंतर्गत, सार्वजनिक निजी भागीदारी (पीपीपी) के माध्यम से स्मार्ट मीटरिंग की जा रही है। उन्नत मीटरिंग अवसंरचना सेवा प्रदाता (एएमआईएसपी) डीबीफुट (डिजाइन बिल्ड फंड ऑन ऑपरेट एंड ट्रांसफर) मोड में स्मार्ट मीटरिंग सेवाएं प्रदान करेगा।

इसके अलावा, हानि न्यूनीकरण कार्यों के लिए वितरण यूटिलिटी परियोजना कार्यान्वयन एजेंसियां हैं और स्कीम दिशानिर्देशों के अनुसार संबंधित वितरण यूटिलिटी के टर्नकी संविदाकारों के माध्यम से कार्य किए जा रहे हैं।

(ज) से (झ) : प्रारंभ में तकनीकी/वित्तीय मूल्यांकन, राज्य सरकार की मंजूरी, समझौतों पर हस्ताक्षर, सामान्य तकनीकी विशिष्टताओं (जीटीपी) की मंजूरी आदि जैसे प्रशासनिक अनुमोदन में विलंब के कारण स्कीम के अंतर्गत स्वीकृत कार्यों के कार्यान्वयन में कुछ चुनौतियां थीं। कार्यों की प्रगति को प्रभावित करने वाले अन्य कारकों में प्रतिकूल मौसम की स्थिति जैसे तीव्र वर्षा, बाढ़ आदि शामिल हैं। विद्युत मंत्रालय और नोडल एजेंसियां निविदा की प्रगति, अवार्ड और स्वीकृत कार्यों की वास्तविक प्रगति पर राज्यों और वितरण यूटिलिटी के साथ नियमित रूप से अनुवर्ती कार्रवाई कर रही हैं और मुद्रे, यदि कोई हैं, को हल करने में यूटिलिटी की सहायता कर रही हैं। परिणामस्वरूप, कार्यों ने अब गति पकड़ ली है। इसके अलावा, स्कीम के दिशानिर्देशों के अनुसार, स्वीकृत लागत से अधिक लागत वृद्धि संबंधित राज्य/वितरण यूटिलिटी द्वारा वहन की जानी है।

डिस्कॉम	मापदंड	इकाई	वित्त वर्ष 26 लक्ष्य
एमएसईडीसीएल	एटी एंड सी हानियां	%	13%
एमएसईडीसीएल	आपूर्ति के घंटे (ग्रामीण)	औसत घंटे/ प्रतिदिन	23:00
एमएसईडीसीएल	आपूर्ति के घंटे (शहरी)	औसत घंटे/ प्रतिदिन	23:42
बीईएसटी	एटी एंड सी हानियां	%	7.50%
बीईएसटी	आपूर्ति के घंटे (शहरी)	औसत घंटे/ प्रतिदिन	23:57

भारत सरकार
विद्युत मंत्रालय

....

लोक सभा

अतारांकित प्रश्न संख्या-1878
दिनांक 11 दिसंबर, 2025 को उत्तरार्थ

भारत ऊर्जा स्टैक (आईईएस) की राष्ट्रव्यापी शुरुआत

†1878. श्री कृष्ण प्रसाद टेन्नेटी:

क्या विद्युत मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) सरकार द्वारा परिकल्पित भारत ऊर्जा स्टैक (आईईएस) पहल के घटक, डिज़ाइन संरचना और कार्यात्मक चरण क्या हैं और इसके मुख्य अपेक्षित परिणाम क्या हैं;

(ख) क्या सरकार ने आईईएस के अवधारणा-सिद्ध कार्यान्वयन के लिए पायलट उपयोगिताओं का चयन किया है और यदि हाँ, तो ऐसी उपयोगिताओं के नाम और उनके चयन के लिए अपनाए गए मानदंडों सहित उनका व्यौरा क्या है;

(ग) आईईएस की राष्ट्रव्यापी शुरुआत के लिए प्रस्तावित समय-सीमा और प्रमुख लक्ष्य क्या हैं;

(घ) आईईएस के विकास, परीक्षण और शुरुआत के लिए अब तक कितना बजट आवंटित किया गया है और कितना व्यय हुआ है; और

(ङ) अंतर-संचालन सुनिश्चित करने और ढोहराव, विखंडन या तकनीकी रूप से अलग-थलग पड़ने से बचने के लिए जेनको, ट्रांसको और डिस्कॉम की मौजूदा परिचालन प्रौद्योगिकी और सूचना प्रौद्योगिकी प्रणालियों को आईईएस के साथ एकीकृत करने के लिए क्या कदम उठाए जा रहे हैं?

उत्तर

विद्युत राज्य मंत्री
(श्री श्रीपाद नाईक)

(क) से (ङ) : संपूर्ण विद्युत क्षेत्र के लिए सार्वभौमिक डिजिटल ब्लूप्रिंट बनाने के लिए भारतीय ऊर्जा स्टैक (आईईएस) की परिकल्पना की गई ताकि विद्युत प्रणाली के अलग-अलग हिस्से मानक प्रोटोकॉल के माध्यम से सुरक्षित रूप से जुड़ सकें और संचार कर सकें। मंत्रालय ने आईईएस के घटक और डिजाइन सहित इसके रोडमैप के लिए मंत्रालयों, राज्य यूटिलिटी, विनियामकों, जेनकोस, ट्रांसकोज आदि के प्रतिनिधियों सहित डोमेन विशेषज्ञों और विभिन्न हितधारकों को शामिल करते हुए एक टास्क फोर्स का गठन किया है। आईईएस का उद्देश्य एक मानकीकृत मंच बनाना है जो आंकड़ों, सेवाओं और प्रणालियों को विद्युत क्षेत्र की मूल्य श्रृंखला में निर्बाध रूप से एक साथ कार्य करने में सक्षम बनाएगा।

दिल्ली, गुजरात, आंध्र प्रदेश, उत्तर प्रदेश और मुंबई की वितरण यूटिलिटी की पहचान पायलट कार्यान्वयन के लिए की गई है और इसके प्रदर्शन की समय सीमा वित वर्ष 2026-27 है। आईईएस के विकास के लिए आवंटित निधि 51.3 करोड़ रुपये हैं, जिसमें से 3.88 करोड़ रुपये जारी किए गए हैं।

भारत सरकार
विद्युत मंत्रालय

....
लोक सभा
अतारांकित प्रश्न संख्या-1884
दिनांक 11 दिसंबर, 2025 को उत्तरार्थ

आरडीएसएस के तहत प्रगति

+1884. श्री अभिषेक बनर्जी:

क्या विद्युत मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

- (क) सितंबर 2025 तक संशोधित वितरण क्षेत्र योजना (आरडीएसएस) के अंतर्गत राज्य-वार प्रगति क्या है;
- (ख) इस अवधि के दौरान एटीएंडसी हानियों में कितनी कमी आई है;
- (ग) निर्धारित लक्ष्य के सापेक्ष स्मार्ट मीटर स्थापना के कार्य की प्रगति क्या है; और
- (घ) इस योजना के अंतर्गत राज्य विद्युत कंपनियों के वित्तीय स्थिति संकेतकों का ब्यौरा क्या है?

उत्तर

विद्युत राज्य मंत्री

(श्री श्रीपाद नाईक)

(क) से (घ) : भारत सरकार ने वित्तीय रूप से स्थिर और प्रचालनात्मक रूप से दक्ष वितरण क्षेत्र के माध्यम से उपभोक्ताओं को विद्युत की आपूर्ति की गुणवत्ता और विश्वसनीयता में सुधार के उद्देश्य से संशोधित वितरण क्षेत्र स्कीम (आरडीएसएस) शुरू की। इस स्कीम के अंतर्गत हानि में कमी और स्मार्ट मीटरिंग कार्यों के लिए 2.83 लाख करोड़ रु. की परियोजनाएं स्वीकृत की गई हैं। अब तक, हानि में कमी और स्मार्ट मीटरिंग कार्यों के अंतर्गत आज तक क्रमशः ~34.01% और ~17.29% की वास्तविक प्रगति हासिल की गई है।

स्कीम के अंतर्गत कुल 20.33 करोड़ स्वीकृत कार्यों में 19.79 करोड़ उपभोक्ता, 2.11 लाख फीडर और 52.53 लाख वितरण ट्रांसफार्मर (डीटी) के स्मार्ट मीटरिंग कार्य शामिल हैं। आज तक, आरडीएसएस के अंतर्गत लगभग 3.58 करोड़ स्मार्ट मीटर लगाए गए हैं। आरडीएसएस के अतिरिक्त वितरण यूटिलिटी द्वारा भी अपनी स्कीमों के अंतर्गत स्मार्ट मीटर लगाए गए हैं। कुल मिलाकर, देश भर में 4.93 करोड़ स्मार्ट मीटर लगाए गए हैं। आरडीएसएस के अंतर्गत कार्य दिनांक 31 मार्च, 2028 तक पूरे किए जाने हैं।

केंद्र और राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों के सामूहिक प्रयास और विभिन्न स्कीमों के अंतर्गत किए गए सुधार उपायों के साथ, वितरण यूटिलिटी की कुल तकनीकी और वाणिज्यिक (एटीएंडसी) हानि वित्त वर्ष 21 में 21.91% से घटकर वित्त वर्ष 25 में 16.16% हो गई है और आपूर्ति की औसत लागत (एसीएस) और प्राप्त औसत राजस्व (एआरआर) के बीच का अंतर वित्त वर्ष 2021 में 0.69 रुपये प्रति किलोवाट घंटा से घटकर वित्त वर्ष 2025 में 0.11/ रुपये प्रति किलोवाट घंटा रुपये हो गया है।

स्वीकृत निधियों और स्वीकृत कार्यों, कार्यों की प्रगति वित्तीय स्वास्थ्य संकेतकों का अर्थात् एटी एंड सी हानि एवं एसीएस-एआरआर अंतर, राज्य-वार ब्यौरा अनुबंध (I से VI) पर संलग्न हैं।

आरडीएसएस के अंतर्गत संस्वीकृत निधियों का व्यौरा

राज्य/संघ राज्य क्षेत्र	संस्वीकृत निधि (करोड़ रूपये में)		
	स्मार्ट मीटिंग	हानि में कमी	कुल
अंडमान और निकोबार द्वीप समूह	54	462	516
आंध्र प्रदेश	4,128	10,708	14,836
अरुणाचल प्रदेश	184	1,042	1,226
असम	4,050	3,395	7,444
बिहार	2,021	10,559	12,581
छत्तीसगढ़	4,105	4,021	8,126
दिल्ली	13	324	337
गोवा	469	247	716
गुजरात	10,642	6,089	16,731
हरियाणा	0	6,794	6,794
हिमाचल प्रदेश	1,788	2,327	4,116
जम्मू एवं कश्मीर	1,064	5,034	6,098
झारखण्ड	858	3,468	4,326
कर्नाटक	0	45	45
केरल	8,231	3,108	11,339
लद्दाख	0	876	876
मध्य प्रदेश	8,911	9,738	18,649
महाराष्ट्र	15,215	17,238	32,453
माणिपुर	121	627	748
मेघालय	310	1,232	1,542
मिजोरम	182	322	503
नागालैंड	208	466	674
पुदुचेरी	251	84	335
पंजाब	5,769	3,873	9,642
राजस्थान	9,715	18,693	28,408
सिक्किम	97	420	518
तमिलनाडु	19,235	9,568	28,803
तेलंगाना	0	120	120
त्रिपुरा	319	598	917
उत्तर प्रदेश	18,956	21,782	40,739
उत्तराखण्ड	1,106	2,371	3,477
पश्चिम बंगाल	12,670	7,223	19,893
कुल योग	1,30,671	1,52,854	2,83,525

आरडीएसएस के अंतर्गत संस्वीकृत स्मार्ट मीटरिंग कार्य

राज्य/संघ राज्य क्षेत्र	उपभोक्ता मीटर (सं.)	डीटी मीटर (सं.)	फीडर मीटर (सं.)	कुल
अंडमान और निकोबार द्वीप समूह (एएंडएनआई)	83,573	1,148	114	84,835
आंध्र प्रदेश	56,08,846	2,93,140	17,358	59,19,344
अरुणाचल प्रदेश	2,87,446	10,116	688	2,98,250
असम	63,64,798	77,547	2,782	64,45,127
बिहार	23,50,000	2,50,726	6,427	26,07153
छत्तीसगढ़	59,62,115	2,10,644	6,720	61,79,479
दिल्ली	-	766	2,755	3,521
गोवा	7,41,160	8,369	827	7,50,356
गुजरात	1,64,87,100	3,00,487	-	1,67,87,587
हिमाचल प्रदेश	28,00,945	39,012	1,951	28,41,908
जम्मू और कश्मीर	14,07,045	88,037	2,608	14,97,690
झारखण्ड	13,41,306	19,512	1,226	13,62,044
केरल	1,32,89,361	87,615	6,025	1,33,83,001
मध्य प्रदेश	1,29,80,102	4,19,396	29,708	1,34,29,206
महाराष्ट्र	2,35,64,747	4,10,905	29,214	2,40,04,866
मणिपुर	1,54,400	11,451	357	1,66,208
मेघालय	4,60,000	11,419	1,324	4,72,743
मिजोरम	2,89,383	2,300	398	2,92,081
नागालैंड	3,17,210	6,276	392	3,23,878
पुदुचेरी	4,03,767	3,105	180	4,07,052
पंजाब	87,84,807	1,84,044	12,563	89,81,414
राजस्थान	1,42,74,956	4,34,608	27,128	1,47,36,692
सिक्किम	1,44,680	3,229	633	1,48,542
तमिलनाडु	3,00,00,000	4,72,500	18,274	3,04,90,774
त्रिपुरा	5,47,489	14,908	473	5,62,870
उत्तर प्रदेश	2,69,79,056	15,26,801	20,874	2,85,26,730
उत्तराखण्ड	15,87,870	59,212	2,602	16,49,684
पश्चिम बंगाल	2,07,17,969	3,05,419	11,874	2,10,35,262
कुल योग	19,79,30,131	52,52,692	2,05,475	20,33,88,297

आरडीएसएस के अंतर्गत हानि कम करने के कार्यों की वास्तविक प्रगति

राज्य	वास्तविक प्रगति
अंडमान और निकोबार द्वीप समूह	0%
आंध्र प्रदेश	25%
अरुणाचल प्रदेश	20%
असम	51%
बिहार	49%
छत्तीसगढ़	50%
दिल्ली	0%
गोवा	77%
गुजरात	49%
हरियाणा	14%
हिमाचल प्रदेश	3%
जम्मू और कश्मीर	34%
झारखण्ड	40%
कर्नाटक	35%
केरल	25%
लद्दाख	8%
मध्य प्रदेश	48%
महाराष्ट्र	35%
मणिपुर	14%
मेघालय	18%
मिजोरम	47%
नागालैंड	12%
पुदुचरी	25%
पंजाब	17%
राजस्थान	15%
सिक्किम	15%
तमिलनाडु	11%
तेलंगाना	49%
त्रिपुरा	49%
उत्तर प्रदेश	43%
उत्तराखण्ड	19%
पश्चिम बंगाल	53%
कुल	34%

विभिन्न स्कीमों के अंतर्गत लगाए गए स्मार्ट मीटरों की राज्य/संघ राज्य क्षेत्र-वार व्यौरा

राज्य/संघ राज्य क्षेत्र	उपभोक्ता	डॉटी	फीडर	कुल
अंडमान और निकोबार	75,200	-	-	75,200
आंध्र प्रदेश	20,06,648	55,707	7,944	20,70,299
अरुणाचल प्रदेश	43,919	286	263	44,468
असम	50,36,639	70,265	2,879	51,09,783
बिहार	81,07,884	1,77,402	5,710	82,90,996
चंडीगढ़	24,214	-	-	24,214
छत्तीसगढ़	30,65,464	59,473	5,911	31,30,848
दिल्ली	2,60,000	-	-	2,60,000
गुजरात	31,55,589	1,17,780	-	32,73,369
हरियाणा	8,47,467	-	-	8,47,467
हिमाचल प्रदेश	7,79,155	24,417	1,285	8,04,857
जम्मू और कश्मीर	10,20,502	26,275	1,424	10,48,201
झारखण्ड	9,85,482	14,885	1,912	10,02,279
केरल	1,43,156	-	2,904	1,46,060
लद्दाख	55,580	1,850	79	57,509
मध्य प्रदेश	31,35,946	1,10,475	22,734	32,69,155
महाराष्ट्र	75,08,749	2,27,725	30,549	77,67,023
मणिपुर	21,835	432	205	22,472
मिजोरम	19,940	331	286	20,557
नागालैंड	28,239	845	101	29,185
ओडिशा	4,500	-	-	4,500
पुदुचेरी	1,380	-	-	1,380
पंजाब	18,31,098	-	-	18,31,098
राजस्थान	19,91,928	13,293	25,335	20,30,556
सिक्किम	78,177	1,469	471	80,117
तमिलनाडु	1,29,641	1,220	4,340	1,35,201
तेलंगाना	8,882	-	-	8,882
त्रिपुरा	1,19,985	4,470	473	1,24,928
उत्तर प्रदेश	65,65,018	2,19,948	25,014	68,09,980
उत्तराखण्ड	3,78,023	6,503	2,474	3,87,000
पश्चिम बंगाल	5,37,346	35,235	6,295	5,78,876
कुल योग	4,79,67,586	11,70,286	1,48,588	4,92,86,460

एटोएंडसी हानि

राज्य/संघ राज्य क्षेत्र	2020-21	2021-22	2022-23	2023-24	2024-25
अंडमान और निकोबार द्वीप समूह	25.30	19.80	19.77	20.76	-
आंध्र प्रदेश	20.42	10.56	7.74	12.05	13.57
अरुणाचल प्रदेश	51.82	47.83	51.70	44.56	46.20
असम	18.73	16.95	16.22	14.03	15.44
बिहार	34.40	33.94	23.45	20.32	15.51
चंडीगढ़	13.81	-	-	-	-
छत्तीसगढ़	18.05	18.13	16.14	15.88	19.69
दादरा और नगर हवेली तथा दमन एवं द्वीप	4.97	3.77	3.17	-	-
दिल्ली	9.43	7.88	6.99	6.86	6.67
गोवा	12.89	12.79	17.09	8.30	-
गुजरात	11.08	9.17	10.01	9.12	8.04
हरियाणा	17.46	14.06	12.01	11.30	10.49
हिमाचल प्रदेश	14.02	12.90	10.57	10.98	19.56
जम्मू और कश्मीर	59.28	-	-	-	-
झारखण्ड	43.09	30.85	27.46	31.17	28.19
कर्नाटक	15.97	11.51	14.19	12.01	14.53
केरल	7.83	8.08	6.87	8.82	6.61
लद्दाख	-	48.29	38.61	42.46	-
लक्षद्वीप	11.63	-	-	-	-
मध्य प्रदेश	41.72	21.36	20.45	23.28	22.77
महाराष्ट्र	26.60	14.73	16.35	22.80	19.93
मणिपुर	24.56	24.28	13.82	13.41	12.90
मेघालय	23.37	29.75	17.75	17.51	16.60
मिजोरम	29.05	36.45	26.53	34.85	-
नागालैंड	47.08	43.26	47.28	47.11	-
ओडिशा	27.41	31.45	21.67	19.53	18.13
पुदुचेरी	20.12	14.20	21.83	17.75	-
पंजाब	18.54	11.67	11.26	10.96	19.33
राजस्थान	26.18	17.49	15.44	22.08	15.18
सिक्किम	25.92	30.77	36.10	27.84	45.20
तमिलनाडु	11.78	10.53	10.92	11.39	10.11
तेलंगाना	13.33	10.65	18.65	19.17	23.38
त्रिपुरा	37.36	24.97	24.91	24.22	-
उत्तर प्रदेश	26.78	30.62	21.86	16.18	19.25
उत्तराखण्ड	15.39	14.15	15.34	14.65	14.73
पश्चिम बंगाल	19.54	14.69	15.37	16.86	17.32
कुल	21.91	16.12	15.11	16.12	16.16

एसीएस-एआरआर अंतर (रु. प्रति किलोवाट घंटा)

	2020-21	2021-22	2022-23	2023-24	2024-25
अंडमान और निकोबार	5.09	2.61	1.31	2.70	-
द्वीप समूह					
आंध्र प्रदेश	1.01	0.34	0.29	0.34	0.36
अरुणाचल प्रदेश	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
असम	0.10	(0.30)	0.62	(0.22)	(0.26)
बिहार	0.87	0.62	0.04	(0.18)	(0.41)
चंडीगढ़	(0.42)	-	-	-	-
छत्तीसगढ़	0.20	0.21	0.26	(0.20)	(0.19)
दादरा और नगर हवेली	(0.35)	(0.16)	(0.14)	-	-
तथा दमन एवं दंबिव					
दिल्ली	(0.64)	(0.21)	(0.01)	(0.59)	(1.16)
गोवा	(0.18)	0.54	0.46	1.04	-
गुजरात	(0.12)	(0.09)	(0.07)	(0.56)	(0.40)
हरियाणा	(0.12)	(0.15)	(0.15)	(0.04)	0.07
हिमाचल प्रदेश	0.11	0.10	0.78	0.36	0.23
जम्मू और कश्मीर	1.81	-	-	-	-
झारखण्ड	1.92	1.20	2.52	1.65	0.95
कर्नाटक	0.83	(0.64)	0.32	1.08	0.90
केरल	0.19	(0.03)	0.32	(0.07)	(0.17)
लद्दाख	-	0.42	2.05	0.89	-
लक्षद्वीप	19.44	-	-	-	-
मध्य प्रदेश	1.23	0.28	(0.22)	0.17	(0.04)
महाराष्ट्र	0.53	0.05	1.17	0.21	0.60
मणिपुर	0.07	0.16	1.16	(0.45)	(0.20)
मेघालय	0.40	0.56	0.73	1.14	0.01
मिजोरम	1.58	0.76	1.70	1.14	-
नागालैंड	0.19	(0.26)	(0.31)	(0.40)	-
ओडिशा	0.35	(0.37)	(0.24)	0.10	0.18
पुदुचेरी	0.08	(0.25)	0.51	(0.18)	-
पंजाब	(0.01)	(0.27)	0.19	(0.20)	(0.31)
राजस्थान	0.69	(0.31)	0.20	0.31	(0.04)
सिक्किम	0.27	(0.00)	(0.72)	0.18	0.38
तमिलनाडु	1.48	0.93	0.89	0.11	(0.19)
तेलंगाना	1.06	0.08	1.40	0.75	0.28
त्रिपुरा	(0.01)	0.40	0.80	1.03	-
उत्तर प्रदेश	0.89	0.52	1.28	0.50	0.71
उत्तराखण्ड	0.10	(0.00)	0.72	0.10	(0.10)
पश्चिम बंगाल	0.86	(0.21)	0.22	0.17	(0.03)
कुल योग	0.69	0.10	0.50	0.19	0.11

भारत सरकार
विद्युत मंत्रालय

....
लोक सभा
अतारांकित प्रश्न संख्या-1897
दिनांक 11 दिसंबर, 2025 को उत्तरार्थ

विद्युत क्षेत्र में संशोधित पदोन्नति नीति

†1897. डॉ. मल्लू रवि:

क्या विद्युत मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या पावर फाइनेंस कॉर्पोरेशन (पीएफसी) सहित सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों में आरंभ की गई संशोधित पदोन्नति नीति में अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति के अधिकारियों के लिए गैर-आनुपातिक रूप से उच्च कट-ऑफ अंक निर्धारित किए गए हैं और क्या सभी स्तरों पर वंचित अधिकांश लोग अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति श्रेणियों से संबंधित हैं और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ख) क्या ऐसे मामले सामने आए हैं जहां बाद में कनिष्ठ पसंदीदा अधिकारियों को समायोजित करने के लिए नीति में बदलाव किया गया, जिसमें चुनिंदा रूप से कुछ अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति के अधिकारियों को पदोन्नत किया गया, जबकि बड़ी संख्या में वरिष्ठ अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति के अधिकारियों को पदोन्नति से वंचित कर दिया गया और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या ऐसे मामले सामने आए हैं जहां सामान्य श्रेणी के कनिष्ठ अधिकारियों को उनके पहले प्रयास में ही पदोन्नत कर दिया गया, जबकि वरिष्ठ अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति के अधिकारियों को अस्वीकृत कर दिया गया और यदि हां, तो ऐसे मामलों का ब्यौरा क्या है; और

(घ) क्या मंत्रालय का इन मुद्दों की जांच करने और निष्पक्षता, पारदर्शिता और आरक्षण मानदंडों के अनुपालन के हित में संशोधित पदोन्नति नीति की समीक्षा करने या उसे वापस लेने का विचार है और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

उत्तर

विद्युत राज्य मंत्री
(श्री श्रीपाद नाईक)

(क) : जी नहीं।

(ख) और (ग) : जी, नहीं। विद्युत मंत्रालय के अंतर्गत केंद्रीय सार्वजनिक क्षेत्र के उद्यमों (सीपीएसई) में पदोन्नति मेरिट-कम-वरिष्ठता के आधार पर और निष्पक्षता, समानता और गैर-भेदभाव के सिद्धांतों को बनाए रखने के लिए भारत सरकार द्वारा समय-समय पर जारी आरक्षण दिशानिर्देशों के अनुपालन में की जा रही है।

(घ) : उपर्युक्त को ध्यान में रखते हुए, प्रश्न नहीं उठता।

भारत सरकार
विद्युत मंत्रालय

....

लोक सभा

अतारांकित प्रश्न संख्या-1899
दिनांक 11 दिसंबर, 2025 को उत्तरार्थ

बिजली उत्पादन क्षमता की स्थिति

†1899. श्री तंगेला उदय श्रीनिवासः

क्या विद्युत मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) विगत पांच वर्षों के दौरान सरकार और निजी कंपनियों द्वारा कोयला आधारित विद्युत संयंत्रों की स्थापना के लिए अनुमोदित प्रस्तावों का वर्ष-वार और राज्य-वार ब्यौरा क्या है और उनकी संस्थापित विद्युत उत्पादन क्षमता कितनी है;

(ख) क्या सरकार का अंतर्राष्ट्रीय रूप से प्रतिबद्ध नेट-जीरो उत्सर्जन लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए कोयला आधारित विद्युत संयंत्रों की संख्या को कम करने का विचार है;

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इस संबंध में उठाए गए कदमों का ब्यौरा क्या है;

(घ) क्या सरकार ने विगत पांच वर्षों के दौरान नवीकरणीय ऊर्जा स्रोतों के माध्यम से संस्थापित विद्युत उत्पादन क्षमता को बढ़ाने की दिशा में कार्य किया है;

(ङ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और चल रही या पूरी हो चुकी और संस्थापित क्षमता के रूप में परियोजनाओं की वर्ष-वार, राज्य-वार और स्रोत-वार स्थिति क्या है;

(च) क्या भारतीय विद्युत उत्पादक कंपनियों ने विगत पांच वर्षों के दौरान अन्य देशों को विद्युत का निर्यात किया है; और

(छ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और निर्यात की गई विद्युत की मात्रा और मूल्य तथा प्रमुख आयातक देशों का वर्ष-वार, कंपनी-वार और देश-वार ब्यौरा क्या है?

उत्तर

विद्युत राज्य मंत्री
(श्री श्रीपाद नाईक)

(क) : विद्युत अधिनियम 2003 की धारा 7 के अनुसार विद्युत संयंत्र की स्थापना देश में एक गैर-लाइसेंसीकृत गतिविधि है। कोई भी उत्पादक कंपनी विद्युत अधिनियम, 2003 के तहत लाइसेंस की आवश्यकता के बिना एक उत्पादन स्टेशन की स्थापना, संचालन और रखरखाव कर सकती है, यदि वह ग्रिड के साथ कनेक्टिविटी से संबंधित तकनीकी मानकों का अनुपालन करती है।

मुख्य संयंत्र के लिए अनुबंधों के अवार्ड के साथ शुरू की गई परियोजनाओं का राज्यवार और वर्षवार विवरण **अनुबंध-I** पर दिया गया है।

पिछले पांच वर्षों और वर्तमान वर्ष (31.10.2025 तक) के लिए संस्थापित विद्युत उत्पादन क्षमता का विवरण **अनुबंध-II** पर दिया गया है।

(ख) से (ड) : भारत ने नवंबर 2021 में यूएनएफसीसीसी पक्षकारों के 26वें सम्मेलन (सीओपी) में वर्ष 2070 तक 'निवल शून्य' प्राप्त करने के अपने लक्ष्य की घोषणा की। भारत 'निवल शून्य' की ओर अर्थव्यवस्था के ऊर्जा पारगमन के साथ-साथ वृद्धि और विकास सुनिश्चित करने के लिए महत्वपूर्ण अविभाज्य प्राथमिकताओं के रूप में ऊर्जा सुरक्षा, सामर्थ्य और पहुंच को ध्यान में रखते हुए इस लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए प्रतिबद्ध है।

भारत ने वर्ष 2030 की प्रतिबद्ध समय सीमा से पांच वर्ष पहले गैर-जीवाश्म ईंधन स्रोतों से अपनी संस्थापित विद्युत क्षमता के 50% के एनडीसी लक्ष्य को प्राप्त करके अपने ऊर्जा पारगमन में एक महत्वपूर्ण उपलब्धि प्राप्त की है। दिनांक 31.10.2025 तक देश की कुल संस्थापित क्षमता में गैर-जीवाश्म ईंधन संस्थापित क्षमता का हिस्सा लगभग 51.37% है।

भारत सरकार ने ऊर्जा क्षेत्र को डीकार्बोनाइज करने के लिए संस्थापित नवीकरणीय ऊर्जा (आरई) क्षमता की हिस्सेदारी बढ़ाना और जीवन के सभी क्षेत्रों में ऊर्जा दक्षता को बढ़ावा देना और जीवाश्म ईंधन से गैर-जीवाश्म ईंधन में ऊर्जा पारगमन जैसे कई उपाय किए हैं। देश के ऊर्जा मिश्रण में नवीकरणीय ऊर्जा की हिस्सेदारी को आगे बढ़ाने के लिए, सरकार द्वारा उठाए गए विभिन्न कदम **अनुबंध-III** पर हैं।

इसके अलावा, पिछले पांच वर्षों (अर्थात् 2020-21 से 2024-25 तक) और वर्तमान वर्ष 2025-26 (अक्टूबर, 2025 तक) के दौरान नवीकरणीय स्रोतों से संचयी संस्थापित क्षमता की वर्षवार, स्रोतवार और राज्य/संघ राज्य क्षेत्र-वार स्थिति का विवरण **अनुबंध-IV** पर है। 182.23 गीगावाट की चल रही आरई परियोजनाओं का स्रोतवार विवरण **अनुबंध-V** पर है।

(च) और (छ) : जी हां, भारतीय विद्युत उत्पादन कंपनियों ने पिछले पांच वर्षों के दौरान अन्य देशों को विद्युत का निर्यात किया है। भारत में अन्य देशों को विद्युत निर्यात करने वाले विद्युत संयंत्रों का विवरण नीचे दिया गया है:

क्र.सं	संस्थापित क्षमता वाली परियोजना	कंपनी का नाम	निर्यात	निर्यात के लिए आवंटित मात्रा (मेगावाट)
1.	सिंगरौली (2,000 मेगावाट)	एनटीपीसी	बांग्लादेश	50
2.	रिहंद-I (1,000 मेगावाट)			25
3.	रिहंद-II (1,000 मेगावाट)			15
4.	राष्ट्रीय राजधानी ताप विद्युत स्टेशन दादरी-II (980 मेगावाट)			10
5.	कोरबा एसटीपीएस -I (2,100 मेगावाट)			40
6.	विद्याचल एसटीपीएस-I (1,260 मेगावाट)			10

क्र.सं	संस्थापित क्षमता वाली परियोजना	कंपनी का नाम	निर्यात	निर्यात के लिए आवंटित मात्रा (मेगावाट)
7.	विंध्याचल -II (1,000 मेगावाट)			15
8.	विंध्याचल -III (1,000 मेगावाट)			15
9.	सीपत-II (1,000 मेगावाट)			20
10.	फरक्का एसटीपीएस चरण-I और II, 1,600 मेगावाट (3x200+2x500)			5
11.	कहलगांव एसटीपीएस चरण-I, 840 मेगावाट (4x210)			10
12.	कहलगांव एसटीपीएस चरण-II, 1500 मेगावाट (3x500)			20
13.	तलचर एसटीपीएस चरण-I, 1000 मेगावाट (2x500)			15
14.	सेम्बकॉर्प एनर्जी इंडिया लिमिटेड प्रोजेक्ट 2, आंध्र प्रदेश (1320 मेगावाट)	सेम्बकॉर्प गायत्री प्राइवेट लिमिटेड (एसजीपीएल)		450
15.	एपीजेएल, गोड्डा (1600 मेगावाट)	अडानी पावर झारखंड लिमिटेड (एपीजेएल)		1600
16.	जुनिपर ग्रीन कॉस्मिक प्राइवेट लिमिटेड, सोलर प्लांट (100 मेगावाट)	जुनिपर ग्रीन कॉस्मिक प्राइवेट लिमिटेड	भूटान	50

उपरोक्त के अलावा, डीवीसी (300 मेगावाट) और त्रिपुरा (160 मेगावाट) से बांग्लादेश और मणिपुर (3 मेगावाट) से म्यांमार तक विद्युत का निर्यात भी किया जा रहा है। एनएचपीसी (टनकपुर विद्युत स्टेशन) 'महाकाली संधि' के अनुसार प्रतिवर्ष लगभग 70 मिलियन यूनिट (एमयू) नेपाल को निर्यात भी करता है।

विद्युत का निर्यात विशुद्ध रूप से व्यावसायिक शर्तों पर खरीद और बिक्री संस्थाओं द्वारा किया जाता है। इसलिए, निर्यात की गई विद्युत के मूल्य के बारे में कोई जानकारी उपलब्ध नहीं है।

तापविद्युत परियोजनाएं, जिसके लिए पिछले 5 वर्षों में मुख्य संयंत्रों के लिए संविदा अवार्ड की गई हैं, का विवरण

क्र.सं.	परियोजना का नाम	राज्य	क्षेत्र	कार्यान्वयन एजेंसी	मुख्य संयंत्र के लिए संविदा अवार्ड की तिथि	क्षमता (मेगावाट)
वित्त वर्ष 2020-21 और 2021-22 में कोई संविदा अवार्ड नहीं की गई।						
वित्त वर्ष 2022-23 में अवार्ड की गई संविदा						
1	तालचेर टीपीपी चरण-III	ओडिशा	केन्द्रीय	एनटीपीसी	सितम्बर-22	1,320
वित्त वर्ष 2023-24 में अवार्ड की गई संविदा						
1	लारा एसटीपीपी चरण-II	छत्तीसगढ़	केन्द्रीय	एनटीपीसी	अगस्त-23	1,600
2	एनएलसी तलबीरा टीपीपी	ओडिशा	केन्द्रीय	एनएलसी	जनवरी-24	2,400
3	सिंगरौली एसटीपीपी, चरण-III	उत्तर प्रदेश	केन्द्रीय	एनटीपीसी	मार्च-24	1,600
4	डीसीआरटीपीपी विस्तार	हरियाणा	राज्य	एचपीजीसीएल	फरवरी-24	800
5	महान एसटीपीपी, चरण-II	मध्य प्रदेश	निजी	महान एनर्जी लिमिटेड	अगस्त-23	1,600
					कुल	8,000
वित्त वर्ष 2024-25 में अवार्ड की गई संविदा						
1	सीपत एसटीपीपी चरण-III	छत्तीसगढ़	केन्द्रीय	एनटीपीसी	सितम्बर-24	800
2	गादरवारा एसटीपीपी चरण-II	मध्य प्रदेश	केन्द्रीय	एनटीपीसी	मार्च-25	1,600
3	कोडरमा टीपीएस, चरण-II	झारखण्ड	केन्द्रीय	डीवीसी	नवम्बर-24	1,600
4	नवीनगर एसटीपीपी, चरण-II	बिहार	केन्द्रीय	एनटीपीसी	मार्च-25	2,400
5	रघुनाथपुर टीपीएस, चरण-II	पश्चिम बंगाल	केन्द्रीय	डीवीसी	फरवरी-25	1,320
6	सिंगरेनी टीपीपी, चरण-II	तेलंगाना	केन्द्रीय	एससीसीएल	फरवरी-25	800
7	उकाई टीपीपी	गुजरात	राज्य	जीएसईसीएल	मार्च-25	800
8	कोराडी टीपीएस चरण-V	महाराष्ट्र	राज्य	एमएसपीजीसीएल	फरवरी-25	1,320
9	कोरबा (पश्चिम) एससीटीपीपी	छत्तीसगढ़	राज्य	सीएसपीजीसीएल	मार्च-25	1,320
10	रायपुर एक्सटेंशन टीपीपी चरण-II	छत्तीसगढ़	निजी	अडानी पावर	जून-24	1,600
11	रायगढ़ यूएससीटीपीपी, चरण-II	छत्तीसगढ़	निजी	अडानी पावर	अक्टूबर-24	1,600
12	महान एसटीपीपी, चरण-III	मध्य प्रदेश	निजी	महान एनर्जी लिमिटेड	नवम्बर-24	1,600
13	दरलीपल्ली-II	ओडिशा	केन्द्रीय	एनटीपीसी	सितम्बर-24	800
14	तेलंगाना चरण II	तेलंगाना	केन्द्रीय	एनटीपीसी	नवम्बर-24	2,400
15	मिर्जापुर टीपीएस	उत्तर प्रदेश	निजी	अडानी पावर	जून-24	1,600
16	कवाई चरण II	राजस्थान	निजी	अडानी पावर	अगस्त-24	3,200
17	सालबोनी एसटीपीपी	पश्चिम बंगाल	निजी	जेएसडब्ल्यू	फरवरी-25	1,600
					कुल	26,360
वित्त वर्ष 2025-26 में अवार्ड की गई संविदा						
1	मेजा-II	उत्तर प्रदेश	केन्द्रीय	एनटीपीसी-यूपी-जेवी	सितम्बर-25	2,400
2	अमरकंटक टीपीएस	मध्य प्रदेश	राज्य	एमपीपीजीसीएल	सितम्बर-25	660
3	सतपुड़ा टीपीपी (सारनी) यू#12	मध्य प्रदेश	राज्य	एमपीपीजीसीएल	सितम्बर-25	660
4	पीरपेंती टीपीएस	बिहार	निजी	अडानी पावर	अगस्त-25	2,400
5	अनूपपुर टीपीपी टीएच-II	मध्य प्रदेश	निजी	एम बी पावर	अगस्त-25	800
6	अडानी पावर लिमिटेड अनूपपुर टीपीपी	मध्य प्रदेश	निजी	अडानी पावर	अगस्त-25	1,600
7	टोरेंट पावर	मध्य प्रदेश	निजी	टोरेंट पावर	अगस्त-25	1,600
8	अडानी पावर लिमिटेड असम टीपीपी	असम	निजी	अडानी पावर	नवम्बर-25	3,200
					कुल	13,320
					महा योग	49,000

पिछले 5 वर्षों के लिए राज्य-वार और वर्ष-वार और वर्तमान वर्ष 31.10.2025 तक संस्थापित क्षमता (कोयला और लिंगनाईट आधारित)

क. दिनांक 31.03.2021, 31.03.2022 और 31.03.2023 को स्थापित क्षमता (कोयला और लिंगनाईट आधारित)

क्र.सं.	राज्य	दिनांक 31.03.2021 को संस्थापित क्षमता (मेगावाट)		दिनांक 31.03.2022 को संस्थापित क्षमता (मेगावाट)		दिनांक 31.03.2023 को संस्थापित क्षमता (मेगावाट)	
		कोयला	लिंगनाईट	कोयला	लिंगनाईट	कोयला	लिंगनाईट
1.	आंध्र प्रदेश	11,590	0	11,590	0	12,390	0
2.	অসম	750	0	750	0	750	0
3.	बिहार	7,050	0	8,400	0	8,400	0
4.	छत्तीसगढ़	23,688	0	23,688	0	23,688	0
5.	ગુજરાત	14,692	1,400	14,692	1,400	14,692	1,400
6.	हरियाणा	5,330	0	5,330	0	5,330	0
7.	झारखण्ड	4,460	0	4,250	0	4,910	0
8.	कर्नाटक	9,480	0	9,480	0	9,480	0
9.	मध्य प्रदेश	21,950	0	21,950	0	21,950	0
10.	महाराष्ट्र	24,966	0	23,856	0	23,856	0
11.	उड़ीसा	9,800	0	9,540	0	9,540	0
12.	ਪंਜाब	5,680	0	5,680	0	5,680	0
13.	राजस्थान	8,240	1,580	8,900	1,580	8,900	1,580
14.	तमில்நாடு	9,520	3,640	10,045	3,640	10,045	3,640
15.	तेलंगाना	7,573	0	7,843	0	7,843	0
16.	उत्तर प्रदेश	23,729	0	24,389	0	24,295	0
17.	पश्चिम बंगाल	14,177	0	13,697	0	13,487	0
कुल (मेगावाट)		2,02,675	6,620	2,04,080	6,620	2,05,236	6,620
कुल [कोयला+लिंगनाईट] (मेगावाट)		2,09,295		2,10,700		2,11,856	

ख . दिनांक 31.03.2024, 31.03.2025 और वर्तमान वर्ष 31.10.2025 तक संस्थापित क्षमता (कोयला और लिग्नाइट आधारित)

क्र.सं.	राज्य	दिनांक 31.03.2024 को संस्थापित क्षमता (मेगावाट)		दिनांक 31.03.2025 को संस्थापित क्षमता (मेगावाट)		दिनांक 31.03.2025 को संस्थापित क्षमता (मेगावाट)	
		कोयला	लिग्नाइट	कोयला	लिग्नाइट	कोयला	लिग्नाइट
1.	आंध्र प्रदेश	13,190	0	13,190	0	13,890	0
2.	असम	750	0	750	0	750	0
3.	बिहार	9,060	0	9,060	0	9,510	0
4.	छत्तीसगढ़	23,688	0	23,688	0	24,093	0
5.	गुजरात	14,692	1,400	14,692	1,400	14,692	1,400
6.	हरियाणा	5,330	0	5,330	0	5,330	0
7.	झारखण्ड	5,570	0	5,570	0	7,030	0
8.	कर्नाटक	9,480	0	9,480	0	9,480	0
9.	मध्य प्रदेश	22,000	0	22,000	0	21,170	0
10.	महाराष्ट्र	24,006	0	24,666	0	23,316	0
11.	उड़ीसा	9,540	0	9,600	0	9,950	0
12.	पंजाब	5,680	0	5,680	0	5,680	0
13.	राजस्थान	9,200	1,580	9,200	1,580	9,200	1,580
14.	तमिलनाडु	10,459	3,640	10,523	3,640	10,523	3,640
15.	तेलंगाना	9,443	0	10,243	0	11,043	0
16.	उत्तर प्रदेश	25,395	0	28,035	0	29,355	0
17.	पश्चिम बंगाल	13,487	0	13,487	0	13,247	0
कुल (मेगावाट)		2,10,970	6,620	2,15,193	6,620	2,18,258	6,620
कुल [कोयला+लिग्नाइट] (मेगावाट)		2,17,590		2,21,813		2,24,878	

देश के ऊर्जा मिशन में गैर-जीवाश्म भाग को आगे बढ़ाने के लिए सरकार द्वारा उठाए गए कदमों का विवरण निम्नानुसार है:

- i. 30 जून 2025 तक शुरू की जाने वाली परियोजनाओं के लिए सौर और पवन ऊर्जा की अंतर-राज्य बिक्री के लिए अंतर-राज्य पारेषण प्रणाली (आईएसटीएस) शुल्क हरित हाइड्रोजन परियोजनाओं के लिए दिसंबर 2030 तक और अपतटीय पवन परियोजनाओं के लिए दिसंबर 2032 तक माफ कर दिया गया है।
- ii. गिड से जुड़ी सौर, पवन, पवन-सौर हाइब्रिड तथा फर्म एवं डिस्पैचबल आरई (एफडीआरई) परियोजनाओं से विद्युत की खरीद लिए टैरिफ आधारित प्रतिस्पर्धी बोली प्रक्रिया के लिए मानक बोली दिशानिर्देश जारी किए गए हैं।
- iii. नवीकरणीय ऊर्जा कार्यान्वयन एजेंसियां (आरईआईए) आरई विद्युत क्रय के लिए नियमित रूप से बोलियां आमंत्रित कर रही हैं।
- iv. स्वचालित मार्ग के तहत 100 प्रतिशत तक प्रत्यक्ष विदेशी निवेश (एफडीआई) की अनुमति दी गई है।
- v. आरई ट्रेजेक्ट्री के लिए आवश्यक पारेषण अवसंरचना को बढ़ाने के लिए, वर्ष 2032 तक पारेषण योजना तैयार की गई है।
- vi. नवीकरणीय ऊर्जा की निकासी के लिए ग्रीन एनर्जी कॉरिडोर स्कीम के तहत नई अंतः राज्य पारेषण लाइन बिछाने और नए सब-स्टेशन क्षमता निर्माण को वित पोषित किया गया है।
- vii. बड़े पैमाने पर आरई परियोजनाओं की स्थापना के लिए आरई विकासकर्ताओं को भूमि और पारेषण उपलब्ध कराने के लिए सौर पार्क और अल्ट्रा मेगा सौर ऊर्जा परियोजनाओं की स्थापना के लिए स्कीम कार्यान्वित की जा रही है।
- viii. प्रधानमंत्री किसान ऊर्जा सुरक्षा एवं उत्थान महाभियान (पीएम-कुसुम), पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना, उच्च दक्षता वाले सौर पीवी मॉड्यूल पर राष्ट्रीय कार्यक्रम, प्रधानमंत्री जनजाति आदिवासी न्याय महाअभियान (पीएम जनमन) और धरती आबा जनजाति ग्राम उत्कर्ष अभियान (डीएजेजीयूए), के तहत नई सौर ऊर्जा स्कीम (आदिवासी और पीवीटीजी गतिविधियां/गांवों के लिए) राष्ट्रीय हरित हाइड्रोजन मिशन, अपतटीय पवन ऊर्जा परियोजनाओं के लिए व्यवहार्यता अंतर वित्तपोषण (वीजीएफ) स्कीम शुरू की गई हैं।
- ix. आरई खपत को बढ़ावा देने के लिए, नवीकरणीय क्रय दायित्व (आरसीओ) के बाद नवीकरणीय उपभोग दायित्व (आरसीओ) ट्रेजेक्ट्री को वर्ष 2029-30 तक अधिसूचित किया गया है। आरसीओ जो ऊर्जा संरक्षण अधिनियम 2001 के तहत सभी नामित उपभोक्ताओं पर लागू होता है, की गैर-अनुपालना पर शास्त्रियां लगायी जाएंगी।
- x. "अपतटीय पवन ऊर्जा परियोजनाओं की स्थापना के लिए कार्यनीति" जारी की गई है।
- xi. एक्सचेंजों के माध्यम से नवीकरणीय ऊर्जा विद्युत की बिक्री की सुविधा के लिए ग्रीन टर्म अहेड मार्केट (जीटीएएम) शुरू किया गया है।
- xii. सौर पीवी मॉड्यूल के लिए आपूर्ति शृंखला के स्थानीयकरण के उद्देश्य को प्राप्त करने के लिए उत्पादन संबंध प्रोत्साहन (पीएलआई) स्कीम शुरू की गई है।

दिनांक 31.03.2021 तक नवीकरणीय ऊर्जा की स्रोत-वार और राज्य-वार संचयी संस्थापित क्षमता का विवरण

क्रम सं.	राज्य/संघ राज्य क्षेत्र	बड़ी जल विद्युत	लघु जल विद्युत	पवन ऊर्जा	जैव ऊर्जा	सौर ऊर्जा	कुल आरई
		(मेगावाट)	(मेगावाट)	(मेगावाट)	(मेगावाट)	(मेगावाट)	(मेगावाट)
1	आंध्र प्रदेश	1,610	162.11	4,096.7	536.04	4,291.34	10,696
2	अरुणाचल प्रदेश	1,115	131.11	0	0	10.16	1,256.3
3	असम	350	34.11	0	2	51.56	437.67
4	बिहार	0	70.7	0	125.7	180.23	376.63
5	छत्तीसगढ़	120	76	0	245.31	445.21	886.52
6	गोवा	0	0.05	0	0.34	7.56	7.95
7	गुजरात	1,990	82.69	8,561.8	99.87	4,469.87	15,204
8	हरियाणा	0	73.5	0	216.75	472.26	762.51
9	हिमाचल प्रदेश	9,920.02	936.11	0	10.2	50.28	10,917
10	जम्मू और कश्मीर	3449	185.98	0	0	42.13	3677.1
11	झारखण्ड	210	4.05	0	4.3	69.86	288.21
12	कर्नाटक	3,644.2	1,280.7	4,938.6	1,901.9	7,383.88	19,149
13	केरल	1,856.5	230.02	62.5	2.5	277.4	2,428.9
14	मध्य प्रदेश	2,235	99.71	2,519.9	127.66	2,544.71	7,527
15	महाराष्ट्र	3,047	379.58	5,000.3	2,632.2	2,323.79	13,383
16	मणिपुर	105	5.45	0	0	11.39	121.84
17	मेघालय	322	32.53	0	13.8	3.85	372.18
18	मिजोरम	60	36.47	0	0	6.98	103.45
19	नागालैंड	75	30.67	0	0	2.91	108.58
20	ओडिशा	2,142.25	88.63	0	59.22	425.53	2,715.6
21	ਪंजाब	1,096.3	173.55	0	491.65	982.3	2,743.8
22	राजस्थान	411	23.85	4,326.8	125.08	5,925.6	10,812
23	सिक्किम	2,169	52.11	0	0	1.94	2,223.1
24	तमिलनाडु	2,178.2	123.05	9,608	1,039.9	4,527.47	17,477
25	तेलंगाना	2,405.6	90.87	128.1	210.48	3,961.54	6,796.6
26	त्रिपुरा	0	16.01	0	0	13.56	29.57
27	उत्तर प्रदेश	501.6	49.1	0	2,176.1	1,836.27	4,563.1
28	उत्तराखण्ड	3,855.35	214.32	0	139.44	380.13	4,589.2
29	पश्चिम बंगाल	1,341.2	98.5	0	321.09	162.65	1,923.4
30	अंडमान और निकोबार द्वीप समूह	0	5.25	0	0	29.46	34.71
31	चंडीगढ़	0	0	0	0	45.97	45.97
32	दादरा एवं नगर हवेली	0	0	0	0	5.46	5.46
33	दमन और दीव	0	0	0	0	40.55	40.55
34	दिल्ली	0	0	0	52	194.43	246.43
35	लक्ष्मीपुर	0	0	0	0	3.27	3.27
36	पुदुचेरी	0	0	0	0	9.51	9.51
37	अन्य	0	0	4.3	0	45.01	49.31
	कुल (मेगावाट)	46,209.22	4,786.8	39,247	10,534	41,236	1,42,013

दिनांक 31.03.2022 तक नवीकरणीय ऊर्जा की स्रोत-वार और राज्य-वार संचयी संस्थापित क्षमता का विवरण

क्रम सं.	राज्य/संघ राज्य क्षेत्र	बड़ी जल विद्युत	लघु जल विद्युत	पवन ऊर्जा	जैव ऊर्जा	सौर ऊर्जा	कुल आरई
		(मेगावाट)	(मेगावाट)	(मेगावाट)	(मेगावाट)	(मेगावाट)	(मेगावाट)
1	आंध्र प्रदेश	1,610	162.11	4,096.65	566.04	4,386.8	10,821.56
2	अरुणाचल प्रदेश	1,115	131.11	0	0	11.23	1,257.34
3	असम	350	34.11	0	2	117.94	504.05
4	बिहार	0	70.7	0	126.02	190.63	387.35
5	छत्तीसगढ़	120	76	0	275	518.08	989.08
6	गोवा	0	0.05	0	0.34	19.95	20.34
7	गुजरात	1,990	89.39	9,209.22	109.26	7,180	18,577.9
8	हरियाणा	0	73.5	0	258	910.63	1,242.13
9	हिमाचल प्रदेश	10,263.02	954.11	0	10.2	76.16	11,303.49
10	जम्मू और कश्मीर	3,449	144.68	0	0	46.93	3,640.61
11	झारखण्ड	210	4.05	0	4.3	88.79	307.14
12	कर्नाटक	3,689.2	1,280.73	5,130.9	1,902.2	7,590.8	19,593.79
13	केरल	1,856.5	242.52	62.5	2.5	363.18	2,527.2
14	लद्दाख	0	39.64	0	0	7.8	47.44
15	मध्य प्रदेश	2,235	99.71	2,519.89	131.33	2,718	7,703.88
16	महाराष्ट्र	3,047	381.08	5,012.83	2,632.2	2,631	13,704.08
17	मणिपुर	105	5.45	0	0	12.25	122.7
18	मेघालय	322	32.53	0	13.8	4.15	372.48
19	मिजोरम	60	36.47	0	0	7.9	104.37
20	नागालैंड	75	30.67	0	0	3.04	108.71
21	ओडिशा	2,154.55	106.63	0	59.22	451.24	2,771.64
22	पंजाब	1,096.3	176.1	0	491.65	1,100.1	2,864.12
23	राजस्थान	411	23.85	4,326.82	125.08	12,565	17,451.62
24	सिक्किम	2,282	52.11	0	0	4.68	2,338.79
25	तमिलनाडु	2,178.2	123.05	9,866.37	1,042.7	5,067.2	18,277.5
26	तेलंगाना	2,405.6	90.87	128.1	219.74	4,520.5	7,364.79
27	त्रिपुरा	0	16.01	0	0	14.89	30.9
28	उत्तर प्रदेश	501.6	49.1	0	2,190	2,244.4	4,985.12
29	उत्तराखण्ड	3,855.35	218.82	0	139.44	573.54	4,787.15
30	पश्चिम बंगाल	1,341.2	98.5	0	322.45	166	1,928.15
31	अंडमान और निकोबार द्वीप समूह	0	5.25	0	0	29.49	34.74
32	चंडीगढ़	0	0	0	0	55.17	55.17
33	दादरा और नगर हवेली	0	0	0	0	5.46	5.46
34	दमन एवं दीव	0	0	0	0	40.72	40.72
35	दिल्ली	0	0	0	59	211.12	270.12
36	लक्षद्वीप	0	0	0	0	3.27	3.27
37	पुदुचेरी	0	0	0	0	13.69	13.69
38	अन्य	0	0	4.3	0	45.01	49.31
	कुल (मेगावाट)	46,722.52	4,848.9	40,357.58	10,682	53,997	1,56,607.9

दिनांक 31.03.2023 तक नवीकरणीय ऊर्जा की स्रोत-वार और राज्य-वार संचयी संस्थापित क्षमता का विवरण

क्रम सं.	राज्य/संघ राज्य क्षेत्र	बड़ी जल विद्युत	लघु जल विद्युत	पवन ऊर्जा	जैव ऊर्जा	सौर ऊर्जा	कुल आरॅ
		(मेगावाट)	(मेगावाट)	(मेगावाट)	(मेगावाट)	(मेगावाट)	(मेगावाट)
1	आंध्र प्रदेश	1,610	163.31	4,096.7	566.03	4,534.2	10,970.18
2	अरुणाचल प्रदेश	1,115	133.11	0	0	11.64	1,259.75
3	असम	350	34.11	0	2	147.92	534.03
4	बिहार	0	70.7	0	126.02	192.89	389.61
5	छत्तीसगढ़	120	76	0	275	948.82	1,419.82
6	गोवा	0	0.05	0	0.34	26.49	26.88
7	गुजरात	1,990	91.64	9,978.9	110.73	9,254.6	21,425.86
8	हरियाणा	0	73.5	0	259.43	1,029.2	1,362.09
9	हिमाचल प्रदेश	10,263.02	969.71	0	10.2	87.49	11,330.42
10	जम्मू और कश्मीर	3,449	146.68	0	0	49.44	3,645.12
11	झारखण्ड	210	4.05	0	4.3	105.84	324.19
12	कर्नाटक	3,689.2	1,280.73	5,295	1,902.2	8,241.4	20,408.44
13	केरल	1,864.15	266.52	62.5	2.5	761.44	2,957.11
14	लद्दाख	0	40.99	0	0	7.8	48.79
15	मध्य प्रदेश	2,235	123.71	2,844.3	134.94	2,802.1	8,140.08
16	महाराष्ट्र	3,047	381.08	5,012.8	2,640.7	4,722.9	15,804.5
17	मणिपुर	105	5.45	0	0	12.28	122.73
18	मेघालय	322	32.53	0	13.8	4.15	372.48
19	मिजोरम	60	45.47	0	0	28.01	133.48
20	नागालैंड	75	32.67	0	0	3.04	110.71
21	ओडिशा	2,154.55	115.63	0	59.22	453.17	2,782.57
22	ਪंजाब	1,096.3	176.1	0	522.27	1,167.3	2,961.93
23	राजस्थान	411	23.85	5,193.4	125.08	17,056	22,809.05
24	सिक्किम	2,282	55.11	0	0	4.68	2,341.79
25	तमिलनाडु	2,178.2	123.05	10,017	1,043.7	6,736.4	20,098.55
26	तेलंगाना	2,405.6	90.87	128.1	220.37	4,666	7,510.97
27	त्रिपुरा	0	16.01	0	0	17.6	33.61
28	उत्तर प्रदेश	501.6	49.1	0	2,216.7	2,515.2	5,282.65
29	उत्तराखण्ड	3,975.35	218.82	0	139.44	575.53	4,909.14
30	पश्चिम बंगाल	1,341.2	98.5	0	343.1	179.98	1,962.78
31	अंडमान और निकोबार द्वीप समूह	0	5.25	0	0	29.91	35.16
32	चंडीगढ़	0	0	0	0	58.69	58.69
33	दादरा एवं नगर हवेली	0	0	0	0	5.46	5.46
34	दमन एवं दीव	0	0	0	0	41.01	41.01
35	दिल्ली	0	0	0	84	218.26	302.26
36	लक्षद्वीप	0	0	0	0	3.27	3.27
37	पुड़चेरी	0	0	0	0	35.53	35.53
38	अन्य	0	0	4.3	0	45.01	49.31
	कुल (मेगावाट)	46,850.17	4,944.3	42,633	10,802	66,780	1,72,010

दिनांक 31.03.2024 तक नवीकरणीय ऊर्जा की स्रोत-वार और राज्य-वार संचयी संस्थापित क्षमता का विवरण

क्रम सं.	राज्य/संघ राज्य क्षेत्र	बड़ी जल विद्युत	लघु जल विद्युत	पवन ऊर्जा	जैव ऊर्जा	सौर ऊर्जा	कुल आरॅ
		(मेगावाट)	(मेगावाट)	(मेगावाट)	(मेगावाट)	(मेगावाट)	(मेगावाट)
1	आंध्र प्रदेश	1,610	163.31	4,096.7	574.39	4,585	11,029.3
2	अरुणाचल प्रदेश	1,115	133.11	0	0	11.79	1,259.9
3	असम	350	34.11	0	2	156.18	542.29
4	बिहार	0	70.7	0	140.22	239.23	450.15
5	छत्तीसगढ़	120	76	0	275	1,212.4	1,683.39
6	गोवा	0	0.05	0	1.94	43.48	45.47
7	गुजरात	1,990	91.64	11,723	112.48	13,545	27,461.7
8	हरियाणा	0	73.5	0	283.7	1,475.7	1,832.92
9	हिमाचल प्रदेश	10,281.02	969.71	0	10.2	95.23	11,356.2
10	जम्मू और कश्मीर	3,449	169.93	0	0	65.44	3,684.37
11	झारखण्ड	210	4.05	0	19.1	162.4	395.55
12	कर्नाटक	3,689.2	1,280.73	6,019.6	1,907.7	8,544.7	21,441.9
13	केरल	1,864.15	276.52	63.5	2.5	1,022.8	3,229.46
14	लद्दाख	0	42.99	0	0	7.8	50.79
15	मध्य प्रदेश	2,235	123.71	2,844.3	134.94	3,995.4	9,333.37
16	महाराष्ट्र	3,047	382.28	5,208	2,643.2	6,249.7	17,530.1
17	मणिपुर	105	5.45	0	0	13.04	123.49
18	मेघालय	322	55.03	0	13.8	4.24	395.07
19	मिजोरम	60	45.47	0	0	30.31	135.78
20	नागालैंड	75	32.67	0	0	3.17	110.84
21	ओडिशा	2,154.55	115.63	0	59.22	495.63	2,825.03
22	ਪंजाब	1,096.3	176.1	0	567.25	1,324.3	3,163.92
23	राजस्थान	411	23.85	5,195.8	125.64	21,348	27,103.9
24	सिक्किम	2,282	55.11	0	0	7.04	2,344.15
25	तमिलनाडु	2,178.2	123.05	10,604	1,045.5	8,211.4	22,161.6
26	तेलंगाना	2,405.6	90.87	128.1	221.67	4,758.2	7,604.4
27	त्रिपुरा	0	16.01	0	0	18.46	34.47
28	उत्तर प्रदेश	501.6	49.1	0	2,226.1	2,920.3	5,697.17
29	उत्तराखण्ड	4,035.35	218.82	0	142.24	575.53	4,971.94
30	पश्चिम बंगाल	1,341.2	98.5	0	348.36	194.07	1,982.13
31	अंडमान और निकोबार द्वीप समूह	0	5.25	0	0	29.91	35.16
32	चंडीगढ़	0	0	0	0	65.52	65.52
33	दादरा और नगर हवेली और दमन और दीव	0	0	0	0	46.47	46.47
34	दिल्ली	0	0	0	84	256.51	340.51
35	लक्षद्वीप	0	0	0	0	4.97	4.97
36	पुदुचेरी	0	0	0	0	49.91	49.91
37	अन्य	0	0	4.3	0	45.01	49.31
	कुल (मेगावाट)	46,928.17	5,003.25	45,887	10,941	81,814	1,90,573

दिनांक 31.03.2025 तक नवीकरणीय ऊर्जा की स्रोत-वार और राज्य-वार संचयी संस्थापित क्षमता का विवरण

क्रम सं.	राज्य/संघ राज्य क्षेत्र	बड़ी जल विद्युत	लघु जल विद्युत	पवन ऊर्जा	जैव ऊर्जा	सौर ऊर्जा	कुल आरई
		(मेगावाट)	(मेगावाट)	(मेगावाट)	(मेगावाट)	(मेगावाट)	(मेगावाट)
1	आंध्र प्रदेश	1,610	163.31	4,377.2	594.02	5,370	12,114
2	अरुणाचल प्रदेश	1,115	140.61	0	0	14.85	1,270.5
3	असम	350	34.11	0	2	196.54	582.65
4	बिहार	0	70.7	0	140.22	328.34	539.26
5	छत्तीसगढ़	120	76	0	285.42	1,347	1,828.5
6	गोवा	0	0.05	0	1.94	56.44	58.43
7	गुजरात	1,990	106.64	12,677	122.25	18,497	33,393
8	हरियाणा	0	73.5	0	311.47	2,065	2,449.9
9	हिमाचल प्रदेश	10,981.01	1,000.7	0	10.2	204.26	12,196
10	जम्मू और कश्मीर	3,360	189.93	0	0	74.49	3,624.4
11	झारखण्ड	210	4.05	0	20.14	199.87	434.06
12	कर्नाटक	3,689.2	1,284.7	7,351.1	1,913	9,679.7	23,918
13	केरल	1,964.15	276.52	71.27	2.5	1,538.9	3,853.4
14	लद्दाख	89	45.79	0	0	7.8	142.59
15	मध्य प्रदेश	2,235	123.71	3,195.2	155.46	5,118.4	10,828
16	महाराष्ट्र	3,047	384.28	5,284.6	2,998.3	10,687	22,401
17	मणिपुर	105	5.45	0	0	13.79	124.24
18	मेघालय	322	55.03	0	13.8	4.28	395.11
19	मिजोरम	60	45.47	0	0	30.39	135.86
20	नागालैंड	75	32.67	0	0	3.17	110.84
21	ओडिशा	2,154.55	115.63	0	64.22	624.44	2,958.8
22	पंजाब	1,096.3	176.1	0	576.59	1,421.4	3,270.4
23	राजस्थान	411	23.85	5,208.8	206.27	28,286	34,136
24	सिक्किम	2,282	55.11	0	0	7.56	2,344.7
25	तमिलनाडु	2,178.2	123.05	11,740	1,046.6	10,154	25,241
26	तेलंगाना	2,405.6	90.87	128.1	221.67	4,842.1	7,688.3
27	त्रिपुरा	0	16.01	0	0	21.24	37.25
28	उत्तर प्रदेश	501.6	49.1	0	2,309.1	3,364.1	6,223.9
29	उत्तराखण्ड	4,035.35	233.82	0	148.53	593.07	5,010.8
30	पश्चिम बंगाल	1,341.2	98.5	0	351.86	320.62	2,112.2
31	अंडमान और निकोबार द्वीप समूह	0	5.25	0	0	29.91	35.16
32	चंडीगढ़	0	0	0	0	78.85	78.85
33	दादरा और नगर हवेली और दमन और दीव	0	0	0	3.75	48.12	51.87
34	दिल्ली	0	0	0	84	313.4	397.4
35	लक्षद्वीप	0	0	0	0	4.97	4.97
36	पुदुचेरी	0	0	0	0	54.51	54.51
37	अन्य	0	0	4.3	0	45.01	49.31
	कुल (मेगावाट)	47,728.16	5,100.6	50,038	11,583	1,05,646	2,20,096

वर्तमान चालू वित वर्ष 2025-26 (दिनांक 31.10.2025 तक) के लिए नवीकरणीय ऊर्जा की स्रोत-वार और राज्य-वार संचयी संस्थापित क्षमता का विवरण

क्रम सं.	राज्य/संघ राज्य क्षेत्र	बड़ी जल विद्युत	लघु जल विद्युत	पवन ऊर्जा	जैव ऊर्जा	सौर ऊर्जा	कुल आरई
		(मेगावाट)	(मेगावाट)	(मेगावाट)	(मेगावाट)	(मेगावाट)	(मेगावाट)
1	आंध्र प्रदेश	3,290	163.31	4,397.78	594.02	5,925.6	14,371
2	अरुणाचल प्रदेश	1,115	140.61	0	0	15.42	1,271
3	असम	350	34.11	0	2	319.81	705.92
4	बिहार	0	70.7	0	140.22	411.14	622.06
5	छत्तीसगढ़	120	100.9	0	285.42	1,621.7	2,128
6	गोवा	0	0.05	0	1.94	69.54	71.53
7	गुजरात	1,990	113.3	14,493.38	129.85	24,143	40,870
8	हरियाणा	0	73.5	0	325.67	2,434.4	2,833.6
9	हिमाचल प्रदेश	11,421.01	1,000.71	0	10.2	310.28	12,742
10	जम्मू और कश्मीर	3,360	189.93	0	0	79.41	3,629.3
11	झारखण्ड	210	4.05	0	20.14	230.74	464.93
12	कर्नाटक	3,689.2	1,284.73	8,193.29	1,916.1	10,592	25,675
13	केरल	1,964.15	276.52	71.52	2.5	1,973.8	4,288.5
14	लद्दाख	89	45.79	0	0	11.4	146.19
15	मध्य प्रदेश	2,235	123.71	3,448.15	155.46	5,723.8	11,686
16	महाराष्ट्र	3,047	384.28	5,716.31	2,998.3	16,137	28,283
17	मणिपुर	105	5.45	0	0	17.52	127.97
18	मेघालय	322	55.03	0	13.8	4.28	395.11
19	मिज़ोरम	60	45.47	0	0	31.69	137.16
20	नागालैंड	75	32.67	0	0	3.17	110.84
21	ओडिशा	2,154.55	140.63	0	64.22	748.38	3,107.8
22	पंजाब	1,096.3	176.1	0	576.59	1,539.9	3,388.8
23	राजस्थान	411	23.85	5,208.75	207.52	35,338	41,189
24	सिक्किम	2,282	55.11	0	0	7.56	2,344.7
25	तमिलनाडु	2,178.2	123.05	11,938.34	1,046.6	11,472	26,758
26	तेलंगाना	2,405.6	90.87	128.1	221.67	5,033.5	7,879.7
27	त्रिपुरा	0	16.01	0	0	34.22	50.23
28	उत्तर प्रदेश	501.6	50.6	0	2,310.4	3,798	6,660.6
29	उत्तराखण्ड	4,535.35	233.82	0	149.57	837.7	5,756.4
30	पश्चिम बंगाल	1,341.2	98.5	0	351.86	320.62	2,112.2
31	अंडमान और निकोबार द्वीप समूह	0	5.25	0	0	31.42	36.67
32	चंडीगढ़	0	0	0	0	78.85	78.85
33	दादरा और नगर हवेली और दमन एवं दीव	0	0	0	3.75	129.4	133.15
34	दिल्ली	0	0	0	85.17	373.3	458.47
35	लक्ष्द्वीप	0	0	0	0	6.57	6.57
36	पुदुचेरी	0	0	0	0	73.41	73.41
37	अन्य	0	0	4.3	0	45.01	49.31
	कुल (मेगावाट)	50,348	5,158.61	53,599.92	11,613	1,29,924	2,50,643

चल रही नवीकरणीय ऊर्जा परियोजनाओं का विवरणः

क्रम सं.	क्षेत्र	चल रही नवीकरणीय क्षमता (मेगावाट)
1	सौर ऊर्जा	69.18
2	पवन ऊर्जा	29.65
3	जैव ऊर्जा	---
4	लघु जल विद्युत	0.44
5	हाइब्रिड/राउंड द क्लॉक (आरटीसी)/व्यस्ततम विद्युत/ताप विद्युत+आरई बंडलिंग	57.63
उप-जोड़		156.90
6	बड़ी जल विद्युत	25.33
कुल आरई		182.23

* * * * *

भारत सरकार
विद्युत मंत्रालय

....

लोक सभा

अतारांकित प्रश्न संख्या-1904

दिनांक 11 दिसंबर, 2025 को उत्तरार्थ

विद्युत उत्पादन बढ़ाने हेतु नई विद्युत परियोजनाएं

1904. श्री अशोक कुमार रावतः

क्या विद्युत मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

- (क) देश में उत्पादन बढ़ाने और लगातार चौबीसों घण्टे बिजली आपूर्ति करने हेतु निधि प्रदान की गई परियोजनाओं के नामों का व्यौरा क्या है;
- (ख) क्या नई परियोजनाओं की घोषणा की गई है और उन पर कार्य प्रगति पर है;
- (ग) यदि हाँ, तो परियोजनाओं के अंतर्गत लक्ष्य कब तक प्राप्त किए जाने की संभावना है;
- (घ) क्या देश के ग्रामीण और शहरी क्षेत्रों में विद्युत की मांग मेगावाट में हर वर्ष बढ़ रही है; और
- (ङ) यदि हाँ, तो तत्संबंधी व्यौरा क्या है और इस मांग को पूरा करने के लिए सरकार द्वारा क्या कदम उठाए गए हैं?

उत्तर

विद्युत राज्य मंत्री

(श्री श्रीपाद नाईक)

(क) से (ग) : विद्युत अधिनियम 2003 के अनुसार, विद्युत उत्पादन एक गैर-लाइसेंस गतिविधि है। कोई भी उत्पादन कंपनी अपनी तकनीकी-आर्थिक और वाणिज्यिक आवश्यकता को ध्यान में रखते हुए विद्युत संयंत्र स्थापित कर सकती है। भारत सरकार किसी भी उत्पादन स्टेशन की स्थापना के लिए धनराशि प्रदान नहीं करती है।

देश की वर्तमान संस्थापित उत्पादन क्षमता 505.023 गीगावाट है। देश में भविष्य की विद्युत की मांग को पूरा करने के लिए उत्पादन क्षमता को और बढ़ाने के लिए, 40,345 मेगावाट की कुल क्षमता की तापीय परियोजनाएं, 13,224 मेगावाट की कुल क्षमता की जल विद्युत परियोजनाएं, 11,870 मेगावाट की क्षमता वाली पंप जल भंडारण परियोजनाएं, 8,498.95 मेगावाट/ 24,582.20 एमडबल्यूएच की क्षमता वाली बैटरी ऊर्जा भंडारण प्रणाली (बीईएसएस) तथा 6,600 मेगावाट की क्षमता वाली न्यूकिलियर परियोजनाएं निर्माणाधीन हैं। इसके अलावा, 69,180 मेगावाट

सौर, 29,650 मेगावाट पवन और 57,630 मेगावाट हाइब्रिड विद्युत सहित 1,56,900 मेगावाट नवीकरणीय क्षमता का भी निर्माण किया जा रहा है।

विद्युत एक समर्वती विषय होने के नाते, किसी राज्य/संघ राज्य क्षेत्र में उपभोक्ताओं की विभिन्न श्रेणियों को विद्युत की आपूर्ति और वितरण संबंधित राज्य सरकार/विद्युत यूटिलिटी के अधिकार क्षेत्र में है। भारत सरकार(जीओआई) डिस्कॉम की वित्तीय स्थिति में सुधार करने और एटीएंडसी हानियों को कम करने के उद्देश्य से विभिन्न सुधार उपायों/स्कीमों के माध्यम से राज्यों/वितरण यूटिलिटी के प्रयासों में सहायता कर रही है। भारत सरकार सभी उपभोक्ताओं को विद्युत की आपूर्ति की पहुंच और गुणवत्ता में सुधार के लिए दीन दयाल उपाध्याय ग्राम ज्योति योजना (डीडीयूजीजेवाई), एकीकृत विद्युत विकास स्कीम (आईपीडीएस), प्रधानमंत्री सहज बिजली हर घर योजना (सौभाग्य) जैसी स्कीमों के माध्यम से राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों की सहायता कर रही है। इन स्कीमों के तहत, विद्युत वितरण अवसंरचना को सुदृढ़ करने के लिए 1.85 लाख करोड़ रुपये की परियोजनाएं क्रियान्वित की गई थीं। ये स्कीमें दिनांक 31.03.2022 तक बंद हो चुकी हैं।

इसके अलावा, भारत सरकार ने जुलाई 2021 में, देश में वित्तीय रूप से स्थिर और प्रचालनात्मक रूप से दक्ष वितरण क्षेत्र के माध्यम से उपभोक्ताओं को विद्युत की आपूर्ति की गुणवत्ता और विश्वसनीयता में सुधार के उद्देश्य से संशोधित वितरण क्षेत्र स्कीम (आरडीएसएस) शुरू की। इस स्कीम का परिव्यय 3,03,758 करोड़ रुपये है, जिसमें अनुमानित सरकारी बजटीय सहायता (जीबीएस) 97,631 करोड़ रुपए है। इस स्कीम का उद्देश्य अखिल भारतीय स्तर पर समग्र तकनीकी एवं वाणिज्यिक (एटीएंडसी) हानियों को घटाकर 12-15% तक लाना तथा आपूर्ति की औसत लागत और औसत राजस्व प्राप्ति (एसीएस-एआरआर) अंतर को शून्य तक कम करना है। इस स्कीम के तहत वितरण अवसंरचना और स्मार्ट मीटरिंग कार्यों के लिए क्रमशः 1.53 लाख करोड़ रुपये और 1.31 लाख करोड़ रुपये की परियोजनाएं शुरू की गई हैं, जिससे देश में विद्युत आपूर्ति की विश्वसनीयता में सुधार होगा। ये कार्य कार्यान्वयन के विभिन्न चरणों में हैं और आरडीएसएस की समयसीमा अर्थात मार्च 2028 से पहले पूरे किए जाएंगे।

(घ) और (ड) : देश में अधिकतम मांग में लगातार वृद्धि हुई है। पिछले पांच वर्षों के दौरान देश में अधिकतम मांग का ब्यौरा अनुबंध पर दिया गया है। पिछले वर्षों में विद्युत की मांग में लगातार वृद्धि के बावजूद, देश में उत्पादन क्षमता में उल्लेखनीय वृद्धि के कारण विद्युत की मांग और उपलब्धता के बीच का अंतर कम हो गया है।

भारत सरकार ने देश की भविष्य की बढ़ती विद्युत मांग को पूरा करने के लिए निम्नलिखित कदम उठाए हैं:

1. उत्पादन योजना:

- (i) राष्ट्रीय विद्युत योजना (एनईपी) के अनुसार, वर्ष 2031-32 में संस्थापित उत्पादन क्षमता 874 गीगावाट होने की संभावना है। इसमें पारंपरिक स्रोतों- कोयला, लिंगनाइट आदि, नवीकरणीय स्रोतों- सौर, पवन और जल विद्युत क्षमता शामिल है।

- (ii) अनुमानित अधिकतम मांग से अधिक उत्पादन क्षमता सुनिश्चित करने के लिए, सभी राज्यों ने सीईए के परामर्श से, अपनी "संसाधन पर्याप्तता योजना (आरएपी)" तैयार की है, जो परिवर्तनशील 10 वर्ष की रोलिंग योजनाएं हैं और इसमें विद्युत उत्पादन के साथ-साथ विद्युत क्रय योजना भी शामिल है।
- (iii) सभी राज्यों को सलाह दी गई थी कि वे अपनी संसाधन पर्याप्तता स्कीमों के अनुसार उत्पादन के सभी स्रोतों से उत्पादन क्षमताओं के निर्माण/अनुबंध के लिए प्रक्रिया शुरू करें।
- (iv) विद्युत उत्पादन क्षमता को बढ़ाने के लिए भारत सरकार ने निम्नलिखित क्षमता संवर्धन कार्यक्रम शुरू किए हैं:

(क) वर्ष 2034-35 तक अनुमानित तापीय (कोयला और लिग्नाइट) क्षमता की आवश्यकता लगभग 3,07,000 मेगावाट होने का अनुमान है, जबकि दिनांक 31.03.2023 को संस्थापित क्षमता 2,11,855 मेगावाट थी। इस आवश्यकता को पूरा करने के लिए, विद्युत मंत्रालय ने अतिरिक्त न्यूनतम 97,000 मेगावाट कोयला और लिग्नाइट आधारित तापीय क्षमता संस्थापित करने की परिकल्पना की है।

इस आवश्यकता को पूरा करने के लिए कई पहल की गई हैं। अप्रैल 2023 से नवंबर 2025 तक लगभग 16,560 मेगावाट की तापीय क्षमता पहले ही चालू हो चुकी है। इसके अलावा, 40,345 मेगावाट तापीय क्षमता (4,845 मेगावाट संकटग्रस्त ताप विद्युत परियोजनाओं सहित) वर्तमान में निर्माणाधीन है। 22,920 मेगावाट के अनुबंध अवार्ड किए गए हैं और निर्माण शुरू किया जाना है। इसके अलावा, 24,020 मेगावाट कोयला और लिग्नाइट आधारित कैंडिडेट क्षमता की पहचान की गई है जो देश में योजना के विभिन्न चरणों में है।

(ख) 13,223.5 मेगावाट जलविद्युत परियोजनाएं निर्माणाधीन हैं। इसके अलावा, 4,274 मेगावाट जल विद्युत परियोजनाएं योजना के विभिन्न चरणों में हैं और वर्ष 2031-32 तक पूरा किए जाने का लक्ष्य है।

(ग) 6,600 मेगावाट की न्यूकिलयर क्षमता निर्माणाधीन है और वर्ष 2029-30 तक पूरा किए जाने का लक्ष्य है। 7,000 मेगावाट परमाणु क्षमता योजना और अनुमोदन के विभिन्न चरणों में है।

(घ) 1,56,900 मेगावाट नवीकरणीय क्षमता जिसमें 69,180 मेगावाट सौर, 29,650 मेगावाट पवन और 57,630 मेगावाट हाइब्रिड विद्युत क्षमता का निर्माण चल रहा है, जबकि 36,530 मेगावाट सौर और 13,090 मेगावाट हाइब्रिड विद्युत सहित 51,420 मेगावाट नवीकरणीय क्षमता योजना के विभिन्न चरणों में है और वर्ष 2029-30 तक पूरा किए जाने का लक्ष्य है।

(ङ) ऊर्जा भंडारण प्रणालियों में, 11870 मेगावाट / 71220 मेगावाट पंप भंडारण परियोजनाएं (पीएसपी) निर्माणाधीन हैं। इसके अलावा, पंप भंडारण परियोजनाओं (पीएसपी)

की कुल 6580 मेगावाट/39480 एमडब्ल्यूएच क्षमता की सहमति मिल गई है और अभी निर्माण शुरू किया जाना है। 25,407.54 मेगावाट/77,092.52 एमडब्ल्यूएच बैटरी ऊर्जा भंडारण प्रणाली (बीईएसएस) वर्तमान में निर्माण/बोली के विभिन्न चरणों में है।

2. **पारेषण योजना:** अंतर और अंतरराज्य पारेषण प्रणाली की योजना बनाई गई है और इसे उत्पादन क्षमता वृद्धि के मेचिंग टाइम फ्रेम में लागू किया जाएगा। राष्ट्रीय विद्युत योजना के अनुसार, वर्ष 2022-23 से वर्ष 2031-32 तक दस वर्ष की अवधि के दौरान लगभग 1,91,474 सीकेएम पारेषण लाइनें और 1,274 जीवीए परिवर्तन क्षमता (220 केवी और उससे अधिक वोल्टेज स्तर पर) जोड़ने की योजना है।

3. नवीकरणीय ऊर्जा उत्पादन को बढ़ावा देना:

- (i) 30 जून 2025 तक शुरू की जाने वाली परियोजनाओं के लिए सौर और पवन ऊर्जा की अंतर-राज्य बिक्री के लिए अंतर-राज्य पारेषण प्रणाली (आईएसटीएस) शुल्क हरित हाइड्रोजन परियोजनाओं के लिए दिसंबर 2030 तक और अपतटीय पवन परियोजनाओं के लिए दिसंबर 2032 तक माफ कर दिया गया है।
- (ii) ग्रिड से जुड़ी सौर, पवन, पवन-सौर हाइब्रिड तथा फर्म एवं डिस्पैचबल आरई (एफडीआरई) परियोजनाओं से विद्युत की खरीद लिए टैरिफ आधारित प्रतिस्पर्धी बोली प्रक्रिया के लिए मानक बोली दिशानिर्देश जारी किए गए हैं।
- (iii) नवीकरणीय ऊर्जा कार्यान्वयन एजेंसियां (आरईआईए) आरई विद्युत क्रय के लिए नियमित रूप से बोलियां आमंत्रित कर रही हैं।
- (iv) स्वचालित मार्ग के तहत 100 प्रतिशत तक प्रत्यक्ष विदेशी निवेश (एफडीआरई) की अनुमति दी गई है।
- (v) आरई ट्रेजेकट्री के लिए आवश्यक पारेषण अवसंरचना को बढ़ाने के लिए, वर्ष 2032 तक पारेषण योजना तैयार की गई है।
- (vi) नवीकरणीय ऊर्जा की निकासी के लिए ग्रीन एनर्जी कॉरिडोर स्कीम के तहत नई अंतरराज्य पारेषण लाइन बिछाने और नए सब-स्टेशन क्षमता निर्माण को वित्त पोषित किया गया है।
- (vii) बड़े पैमाने पर आरई परियोजनाओं की स्थापना के लिए आरई विकासकर्ताओं को भूमि और पारेषण उपलब्ध कराने के लिए सौर पार्क और अल्ट्रा मेगा सौर ऊर्जा परियोजनाओं की स्थापना के लिए स्कीम कार्यान्वित की जा रही है।
- (viii) प्रधानमंत्री किसान ऊर्जा सुरक्षा एवं उत्थान महाभियान (पीएम-कुसुम), पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना, उच्च दक्षता वाले सौर पीवी मॉड्यूल पर राष्ट्रीय कार्यक्रम, प्रधानमंत्री जनजाति आदिवासी न्याय महाअभियान (पीएम जनमन) और धरती आबा

जनजाति ग्राम उत्कर्ष अभियान (डीएजेजीयूए), के तहत नई सौर ऊर्जा स्कीम (आदिवासी और पीवीटीजी गतिविधियां/गांवों के लिए) राष्ट्रीय हरित हाइड्रोजन मिशन, अपतटीय पवन ऊर्जा परियोजनाओं के लिए व्यवहार्यता अंतरं वित्तपोषण (वीजीएफ) स्कीम शुरू की गई हैं।

- (ix) आरई खपत को बढ़ावा देने के लिए, नवीकरणीय क्रय दायित्व (आरपीओ) के बाद नवीकरणीय उपभोग दायित्व (आरसीओ) ट्रेजेकट्री को वर्ष 2029-30 तक अधिसूचित किया गया है। आरसीओ जो ऊर्जा संरक्षण अधिनियम 2001 के तहत सभी नामित उपभोक्ताओं पर लागू होता है, की गैर-अनुपालना पर शास्त्रियां लगायी जाएंगी।
- (x) "अपतटीय पवन ऊर्जा परियोजनाओं की स्थापना के लिए कार्यनीति" जारी की गई है।
- (xi) एक्सचेंजों के माध्यम से नवीकरणीय ऊर्जा विद्युत की बिक्री की सुविधा के लिए ग्रीन टर्म अहेड मार्केट (जीटीएएम) शुरू किया गया है।
- (xii) सौर पीवी मॉड्यूल के लिए आपूर्ति शृंखला के स्थानीयकरण के उद्देश्य को प्राप्त करने के लिए उत्पादन संबंध प्रोत्साहन (पीएलआई) स्कीम शुरू की गई है।

पिछले पांच वर्षों में देश की अधिकतम मांग में वृद्धि का ब्यौरा:

वर्ष	अधिकतम मांग		अधिकतम पूर्ति		पूर्ति नहीं की गई	
	(मेगावाट)	% वृद्धि	(मेगावाट)	% वृद्धि	(मेगावाट)	(%)
2020-21	1,90,198	3.5	1,89,395	3.8	802	0.4
2021-22	2,03,014	6.7	2,00,539	5.9	2,475	1.2
2022-23	2,15,888	6.3	2,07,231	3.3	8,657	4.0
2023-24	2,43,271	12.7	2,39,931	15.8	3,340	1.4
2024-25	2,49,856	2.7	2,49,854	4.1	2	0.001

भारत सरकार
विद्युत मंत्रालय

....

लोक सभा

अतारांकित प्रश्न संख्या-1926
दिनांक 11 दिसंबर, 2025 को उत्तरार्थ

विद्युत क्षेत्र में चुनौतियां

†1926. प्रो. सौगत राय:

श्री बिप्लब कुमार देब:

क्या विद्युत मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या भारतीय विद्युत क्षेत्र को विद्युत वितरण कंपनियों (डिस्कॉम) की उच्च पारेषण और वितरण हानि, अपर्याप्त लागत वसूली, प्रचालनात्मक अक्षमता और वित्तीय अस्थिरता सहित महत्वपूर्ण चुनौतियों का सामना करना पड़ रहा है और यदि हां, तो तत्संबंधी व्यौरा क्या है;

(ख) क्या कई डिस्कॉम, विशेषकर राज्य के स्वामित्व वाली कंपनियां, उच्च ऋण और संचित घाटे के बोझ तले दबी हुई हैं जिससे अवसंरचना में निवेश करने और सेवा की गुणवत्ता में सुधार करने की उनकी क्षमता प्रभावित हो रही है और यदि हां, तो तत्संबंधी राज्य-बार व्यौरा क्या है;

(ग) क्या बिजली की चोरी और अकुशल बिलिंग और संग्रहण प्रणालियों सहित उच्च समग्र तकनीकी और वाणिज्यिक हानि उनके वित्तीय संकट को और बढ़ाते हैं और यदि हां, तो तत्संबंधी व्यौरा क्या है;

(घ) क्या स्मार्ट ग्रिड और उन्नत मीटरिंग प्रणालियों सहित अवसंरचना के उन्नयन में निवेश की कमी के कारण आधुनिकीकरण के प्रयासों में बाधा उत्पन्न होती है और यदि हां, तो तत्संबंधी व्यौरा क्या है; और

(ङ) क्या सरकार ने नीतिगत सुधारों और वित्तीय सहायता प्रणालियों के माध्यम से इन मुद्दों के समाधान के लिए कदम उठाए हैं और यदि हां, तो तत्संबंधी व्यौरा क्या है?

उत्तर

विद्युत राज्य मंत्री

(श्री श्रीपाद नाईक)

(क) से (ङ) : राज्य स्वामित्व वाली वितरण यूटिलिटी (प्रचालन और वित्तीय) में हानि विभिन्न मापदंडों का परिणाम है, जिनमें से कुछ निम्नलिखित हैं:

- व्यय की विनियामक अस्वीकृति के कारण गैर लागत प्रतिबिंबित टैरिफ और टैरिफ संशोधन में देरी;
- आपूर्ति की औसत लागत (एसीएस) और प्राप्त औसत राजस्व (एआरआर) के बीच अंतर;
- टैरिफ सब्सिडी और सरकारी विभागों की बकाया राशि के भुगतान में विलंब; और
- नकदी अंतराल का प्रबंधन करने के लिए अल्पकालिक और गैर-कैपेक्स ऋण पर निर्भरता।

परिणामस्वरूप, वितरण यूटिलिटी की संचित हानि और बकाया ऋण (अनुबंध पर विवरण दिया गया है) अधिक होते हैं जो अवसंरचना के कार्यों में निवेश करने की उनकी क्षमता को प्रभावित करते हैं।

विद्युत एक समवर्ती विषय होने के कारण, सभी उपभोक्ताओं को विद्युत की आपूर्ति और वितरण, जिसमें ग्रामीण और शहरी क्षेत्रों में विद्युत की आपूर्ति में सुधार और ग्रिड सुदृढ़ीकरण शामिल है, की जिम्मेदारी संबंधित राज्य सरकार/विद्युत वितरण यूटिलिटी की है।

भारत सरकार (जीओआई) वितरण क्षेत्र की वित्तीय व्यवहार्यता में सुधार के लिए राज्यों/वितरण यूटिलिटी के प्रयासों में सहायता करती है।

भारत सरकार ने विभिन्न स्कीमों के अंतर्गत निधियों के आवंटन के माध्यम से वितरण अवसंरचना के निर्माण की सुविधा प्रदान की है, जैसे (क) डीडीयूजीजेवाई, जहां सभी गांवों का विद्युतीकरण सुनिश्चित करने और ग्रामीण क्षेत्रों में वितरण अवसंरचना को सुदृढ़ करने के लिए केंद्रीय सहायता प्रदान की गई और (ख) आईपीडीएस, जहां शहरी क्षेत्रों में वितरण नेटवर्क को सुदृढ़ करने को विद्युत वितरण में एक प्रमुख उपाय के रूप में शामिल किया गया था और (ग) घरों के विद्युतीकरण के लिए सौभाग्य। उपर्युक्त तीन स्कीमों के तहत देश की वितरण प्रणाली को सुदृढ़ करने के लिए 1.85 लाख करोड़ रुपये की राशि के कार्यों को निष्पादित किया गया था। इसके अलावा, स्मार्ट मीटरिंग कार्यों सहित वितरण अवसंरचना के कार्यों के लिए 2.83 लाख करोड़ रुपये की मौजूदा संशोधित वितरण क्षेत्र स्कीम (आरडीएसएस) परियोजनाओं को मंजूरी दी गई है। यह स्कीम स्मार्ट मीटरिंग, स्काडा (पर्यवेक्षी नियंत्रण और डेटा अधिग्रहण), वितरण प्रबंधन प्रणाली आदि सहित तकनीकी उपायों पर जोर देती है।

वितरण यूटिलिटी की व्यवहार्यता में सुधार के लिए की गई कुछ प्रमुख पहलें निम्नानुसार हैं:

- प्रमुख वित्तीय मापदंडों के निमित्त वितरण यूटिलिटी के निष्पादन से संबद्ध आरडीएसएस के तहत फँड जारी करना।
- निष्पादन से संबद्ध राज्य सरकारों को जीएसडीपी के 0.5% अतिरिक्त उधार लेने की अनुमति।
- राज्य के स्वामित्व वाली विद्युत यूटिलिटी को ऋण की मंजूरी के लिए अतिरिक्त विवेकपूर्ण मानदंड।
- ईंधन और विद्युत क्रय लागत समायोजन (एफपीपीसीए) और लागत प्रतिबिम्बित टैरिफ के कार्यान्वयन के लिए नियम बनाए गए हैं ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि विद्युत की आपूर्ति के लिए सभी विवेकपूर्ण व्यय शामिल किए गए हैं।
- उचित सब्सिडी लेखांकन और इसे जारी करने के लिए मानक संचालन प्रक्रिया जारी किए गए हैं।

राज्य/वितरण यूटिलिटी सुधारों को कार्यान्वित कर रही हैं और केंद्र और राज्य सरकारों/वितरण यूटिलिटी के सघन प्रयासों से राष्ट्रीय स्तर पर एटीएंडसी हानि वित वर्ष 2021 के 21.9% से घटकर वित वर्ष 25 में 16.16% हो गई है और एसीएस-एआरआर अंतर वित वर्ष 21 के ₹0.69/केडब्ल्यूएच से घटकर वित वर्ष 25 में ₹0.11/केडब्ल्यूएच हो गया है। जबकि सुधार उपायों ने समग्र एटीएंडसी हानियों को कम करने और राजस्व अंतर को कम करने में कुछ सकारात्मक परिणाम दिखाए हैं, वितरण यूटिलिटी की निरंतर वित्तीय व्यवहार्यता और प्रचालन दक्षता सुनिश्चित करने के लिए राज्यों द्वारा लगातार और बेहतर कार्यान्वयन की आवश्यकता है।

राज्यवार संचित (हानि)/अधिशेष

(राशि करोड़ रूपये में)

राज्य/संघ राज्य क्षेत्र	2019-20	2020-21	2021-22	2022-23	2023-24	2024-25 (अनंतिम)
आंध्र प्रदेश	(29,143)	(28,707)	(31,195)	(29,218)	(29,210)	(19,722)
असम	(959)	(1,229)	(893)	(1,699)	(1,324)	(1,028)
बिहार	(14,673)	(17,160)	(19,537)	(19,777)	(18,503)	(16,526)
छत्तीसगढ़	(7,290)	(7,710)	(8,924)	(10,057)	(10,016)	(10,423)
गुजरात	79	436	798	935	5,165	7,355
हरियाणा	(28,978)	(28,341)	(28,404)	(28,165)	(28,001)	(27,915)
हिमाचल प्रदेश	(1,521)	(1,706)	(1,810)	(3,126)	(3,754)	(3,391)
झारखण्ड	(6,261)	(9,183)	(11,556)	(15,848)	(18,469)	(20,512)
कर्नाटक	(5,645)	(9,821)	(14,413)	(17,559)	(26,109)	(34,996)
केरल	(12,104)	(18,970)	(33,722)	(34,668)	(35,978)	(38,647)
मध्य प्रदेश	(52,981)	(56,880)	(61,010)	(65,291)	(69,301)	(71,394)
महाराष्ट्र	(23,428)	(26,251)	(26,070)	(31,275)	(36,226)	(35,671)
मणिपुर	(131)	(146)	(157)	(286)	(295)	(290)
मेघालय	(2,413)	(2,475)	(2,636)	(4,259)	(4,634)	(4,962)
पंजाब	(8,159)	(6,713)	(5,644)	(10,420)	(9,620)	(3,404)
राजस्थान	(86,868)	(89,084)	(89,556)	(92,070)	(91,565)	(90,303)
तमिलनाडु	(99,860)	(1,38,643)	(1,51,639)	(1,62,507)	(1,66,944)	(1,67,520)*
तेलंगाना	(42,293)	(48,982)	(49,816)	(60,922)	(67,276)	(69,741)
त्रिपुरा	(391)	(382)	(514)	(854)	(1,171)	
उत्तर प्रदेश	(85,069)	(70,661)	(78,004)	(82,556)	(89,662)	(1,00,858)
उत्तराखण्ड	(3,699)	(3,851)	(3,872)	(5,096)	(5,435)	(3,458)
पश्चिम बंगाल	3	34	83	119	158	174
निजी क्षेत्र	6,424	21,008	24,963	28,871	15,900	25,214
कुल योग	(5,05,361)	(5,45,418)	(5,93,528)	(6,45,728)	(6,92,269)	(6,88,016)

स्रोत: राज्य विद्युत यूटिलिटी के निष्पादन संबंधी पीएफसी रिपोर्ट 2024-25 (अनंतिम)

*: डेटा में टैनजेडको (तमिलनाडु) जिसे हानि ही में 3 कंपनियों में अनबंडल किया गया था, जिनमें से एक टीएनपीडीसीएल (तमिलनाडु की वितरण कंपनी) है के लिए पिछले साल के आंकड़े भी शामिल हैं। केवल टीएनपीडीसीएल की संचित हानि अर्थात् (1,19,153) करोड़ रूपये पर विचार करते हुए राष्ट्रीय स्तर पर कुल संचित हानि होगी: (6,39,649) करोड़ रूपये।

राज्यवार संचित बकाया ऋण।

(राशि करोड़ रुपये में)

राज्य/संघ राज्य क्षेत्र	2019-20	2020-21	2021-22	2022-23	2023-24	2024-25 (अनंतिम)
आंध्र प्रदेश	24,463	31,375	36,364	51,465	65,710	77,600
असम	1,916	2,011	908	1,072	1,105	1,131
बिहार	6,726	11,387	12,616	13,885	14,009	14,002
छत्तीसगढ़	4,102	4,139	3,539	6,198	5,398	5,428
गुजरात	636	626	393	333	271	258
हरियाणा	6,864	6,926	8,324	11,886	17,156	20,311
हिमाचल प्रदेश	5,722	6,254	6,267	6,682	6,776	7,024
झारखण्ड	11,475	15,656	16,732	20,284	18,592	22,381
कर्नाटक	22,769	29,795	29,564	32,211	39,485	47,993
केरल	20,310	19,874	18,867	18,560	18,293	17,638
मध्य प्रदेश	49,112	50,702	52,473	49,145	50,844	49,239
महाराष्ट्र	38,092	38,254	44,075	58,325	84,171	90,659
मणिपुर	370	474	455	619	730	745
मेघालय	624	1,335	1,812	1,728	1,650	1,474
पंजाब	16,258	15,590	16,643	17,813	20,164	17,411
राजस्थान	48,934	53,030	65,945	79,611	92,226	98,488
तमिलनाडु	1,24,413	1,37,632	1,47,716	1,59,431	1,73,521	1,88,411*
तेलंगाना	22,202	31,032	30,137	35,239	46,127	59,230
त्रिपुरा	413	431	663	607	730	0
उत्तर प्रदेश	58,326	81,952	82,047	78,306	67,937	61,395
उत्तराखण्ड	1,818	1,785	1,447	1,562	1,964	1,729
पश्चिम बंगाल	14,222	15,425	16,616	16,751	15,604	15,279
निजी क्षेत्र	20,544	20,426	22,126	23,122	10,216	7,595
कुल योग	5,00,310	5,76,112	6,15,729	6,84,836	7,52,677	8,05,422

स्रोत: राज्य विद्युत यूटिलिटी के निष्पादनपर फीएफसी रिपोर्ट 2024-25 (अनंतिम)

*: डेटा में टैनजेको (तमिलनाडु) जिसे हाल ही में 3 कंपनियों में अनबंडल किया गया था, जिनमें से एक टीएनपीडीसीएल (तमिलनाडु की वितरण कंपनी) है के लिए पिछले साल के आंकड़े भी शामिल हैं। केवल टीएनपीडीसीएल की बकाया ऋण अर्थात् 1,01,782 करोड़ रुपये को ध्यान में रखते हुए, राष्ट्रीय स्तर पर कुल बकाया ऋण होगी :7,18,793 करोड़ रुपये।

भारत सरकार
विद्युत मंत्रालय

....

लोक सभा
अतारांकित प्रश्न संख्या-1933
दिनांक 11 दिसंबर, 2025 को उत्तरार्थ

विद्युत वितरण का आधुनिकीकरण

+1933. श्री शशांक मणि:

क्या विद्युत मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार ने विद्युत वितरण को आधुनिक बनाने, बिलिंग दक्षता में सुधार लाने और समग्र तकनीकी एवं वाणिज्यिक (एटीएंडसी) घाटे को कम करने के लिए 2025-26 तक देश भर में 250 मिलियन स्मार्ट मीटर लगाने का लक्ष्य रखा है;

(ख) यदि हां, तो इस पहल के अंतर्गत स्वीकृत, स्थापित और चालू किए गए स्मार्ट मीटरों की संख्या सहित अब तक हुई प्रगति का ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या अब तक लगभग 222 मिलियन स्मार्ट मीटर स्वीकृत किए जा चुके हैं और लगभग 22 मिलियन मीटर स्थापित किए जा चुके हैं और यदि हां, तो स्मार्ट मीटरों की स्वीकृति और संस्थापना के बीच अंतराल के क्या कारण हैं; और

(घ) कार्यान्वयन की गति को प्रभावित करने वाले वित्तीय, तकनीकी, संभार-तंत्रीय या प्रशासनिक चुनौतियां जैसे प्रमुख कारक क्या हैं?

उत्तर

विद्युत राज्य मंत्री
(श्री श्रीपाद नाईक)

(क) से (घ) : भारत सरकार ने विद्युत की गुणवत्ता और विश्वसनीय आपूर्ति प्रदान करने के लिए वितरण यूटिलिटी की प्रचालनात्मक दक्षता और वित्तीय स्थिरता में सुधार के लिए राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों की सहायता करने के लिए जुलाई 2021 में संशोधित वितरण क्षेत्र स्कीम (आरडीएसएस) की योजना शुरू की। योजना के तहत प्रमुख पहलों में से एक उपभोक्ताओं की स्मार्ट मीटरिंग, वितरण ट्रांसफार्मर और फीडर हैं। इस योजना के तहत, राज्यों द्वारा प्रस्तुत परियोजना प्रस्तावों के आधार पर 20.33 करोड़ स्मार्ट मीटर संस्वीकृत किए जा चुके हैं। इसके अलावा, कई राज्यों ने अपनी राज्य योजना के तहत स्मार्ट

मीटर स्थापित किए हैं। अब तक विभिन्न योजनाओं के तहत देश में 4.93 करोड़ स्मार्ट मीटर लगाए जा चुके हैं। स्वीकृत कार्य योजना की समापन तिथि अर्थात 31.03.2028 तक पूरा होने की उम्मीद है।

स्मार्ट मीटरिंग डिस्कॉम की बिलिंग और संग्रह दक्षता में सुधार करने में मदद करती है और इस प्रकार हानि को कम करने में मदद करेगी।

प्रारंभ में, निम्नलिखित कारणों से स्मार्ट मीटरिंग कार्यों के कार्यान्वयन में कुछ चुनौतियां थीं:

- 1) स्मार्ट मीटर के लाभों के बारे में अपर्याप्त उपभोक्ता जागरूकता।
- 2) निविदा करने और कार्य अवार्ड करने में विलंब। कुछ यूटिलिटी को निविदा दस्तावेज आदि जारी करने के लिए बोर्ड से अनुमोदन लेने में लंबी अवधि की आवश्यकता होती है।
- 3) यूटिलिटी द्वारा अनुबंध समझौते और प्रत्यक्ष डेबिट सुविधा (डीडीएफ) समझौते पर हस्ताक्षर करने में विलंब।
- 4) स्मार्ट मीटरिंग नई तकनीकी पहल होने के कारण प्रस्ताव के लिए अनुरोध (आरएफपी) जारी करने में प्रारंभिक विलंब।
- 5) कुछ यूटिलिटी में स्कीम दिशानिर्देशों के अनुसार कुल व्यय (टोटेक्स) मोड कार्यान्वयन में चुनौतियां।

संस्थापना की गति में सुधार के लिए, मंत्रालय ने उपभोक्ता विश्वास और जागरूकता बढ़ाने के लिए राज्यों के साथ नियमित अनुवर्ती कार्रवाई सहित विभिन्न कदम उठाए हैं। विभिन्न परामर्शिकाएं और मानक संचालन प्रक्रियाएं (एसओपी) जारी की गई हैं जिनमें निम्नलिखित शामिल हैं:

- सरकारी प्रतिष्ठानों, वाणिज्यिक, औद्योगिक और उच्च भार वाले उपभोक्ताओं के लिए प्रीपेड स्मार्ट मीटर की संस्थापना की प्राथमिकता;
- बिल में छूट के माध्यम से प्रीपेड मीटर स्थापना के लिए उपभोक्ताओं को प्रोत्साहित करना;
- स्मार्ट मीटर द्वारा दर्ज की गई अधिकतम मांग के आधार पर उपभोक्ता पर कोई शास्ति नहीं;
- आसान किश्तों में पिछले बकाया की वसूली के लिए तंत्र;
- स्मार्ट मीटर की सटीकता में विश्वास बढ़ाने के लिए चेक मीटर की संस्थापना;
- विद्युत की खपत की नियमित ट्रैकिंग और आसान रिचार्ज के लिए स्मार्ट मीटर मोबाइल ऐप उपलब्ध कराए जा रहे हैं;
- कनेक्शन करने से पहले उपभोक्ताओं को बैलेंस और इमरजेंसी क्रेडिट के लिए अग्रिम अलर्ट।

परिणामस्वरूप, कार्यों में तेजी आई है।

भारत सरकार
विद्युत मंत्रालय

....
लोक सभा
अतारांकित प्रश्न संख्या-1949
दिनांक 11 दिसंबर, 2025 को उत्तरार्थ

विद्युत उत्पादन संबंधी आंकड़ा

†1949. डॉ. थोल तिरुमावलवनः

क्या विद्युत मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार के पास गत तीन वर्षों के दौरान सरकारी, सार्वजनिक तथा निजी क्षेत्र द्वारा उत्पादित विद्युत का कोई आंकड़ा है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी व्यौरा क्या है; और

(ग) क्या सरकार के पास जलविद्युत, ताप विद्युत, परमाणु ऊर्जा, सौर ऊर्जा, पवन ऊर्जा, समुद्री तरंग ऊर्जा तथा किसी अन्य तरीके से उत्पादित विद्युत के बारे में कोई आंकड़ा है और यदि हां, तो तत्संबंधी व्यौरा क्या है?

उत्तर

विद्युत राज्य मंत्री

(श्री श्रीपाद नाईक)

(क) और (ख) : पिछले तीन वर्षों और वर्तमान वर्ष (अक्टूबर, 2025 तक) के लिए पारंपरिक स्रोतों (ताप, न्यूक्लियर और बड़े जल विद्युत) से क्षेत्र-वार उत्पादन डेटा और नवीकरणीय ऊर्जा स्रोतों (बड़े हाइड्रो को छोड़कर) से समेकित उत्पादन **अनुबंध-I** पर दिया गया है।

(ग) : पिछले तीन वर्षों और वर्तमान वर्ष (अक्टूबर, 2025 तक) के लिए पारंपरिक स्रोतों (ताप, न्यूक्लियर और बड़े जल विद्युत) से ईंधन-वार उत्पादन डेटा और नवीकरणीय ऊर्जा स्रोतों (बड़े जल विद्युत को छोड़कर) से समेकित उत्पादन **अनुबंध-II** पर दिया गया है।

लो.स.अतारां.प्र.सं. 1949

अनुबंध-।

पिछले तीन वर्षों और वर्तमान वर्ष (अक्टूबर, 2025 तक) के लिए क्षेत्रवार उत्पादन डेटा:

(सभी आंकड़े मिलियन यूनिट (एमयू) में)

वित्तीय वर्ष	परम्परागत स्रोत				नवीकरणीय ऊर्जा स्रोत (बड़े जल विद्युत को छोड़कर)	कुल
	केंद्रीय क्षेत्र	राज्य क्षेत्र	निजी क्षेत्र	भूटान आयात		
वित्तीय वर्ष 2022-23	5,64,955.55	4,62,522.95	3,86,692.03	6,742.40	2,03,552.17	16,24,465.10
वित्तीय वर्ष 2023-24	5,78,610.75	4,65,597.34	4,64,332.17	4,716.10	2,25,834.83	17,39,091.19
वित्तीय वर्ष 2024-25	6,02,112.42	4,83,384.19	4,83,707.96	5,484.18	2,55,009.19	18,29,697.94
वित्त वर्ष 2025-26 (अक्टूबर तक)	3,47,060.58	2,81,689.79	2,79,518.20	7,367.76	1,88,351.53	11,03,987.86

पिछले तीन वर्षों और वर्तमान वर्ष (अक्टूबर, 2025 तक) के लिए ईंधन-वार उत्पादन डेटा दिया गया है:

(सभी आंकड़े मिलियन यूनिट (एमयू) में)

ईंधन	कुल 2022-23	कुल 2023-24	कुल 2024-25	कुल 2025-26 (अक्टूबर तक)
तापीय	कोयला	11,45,907.58	12,60,902.62	12,98,872.29
	डीजल/एचएसडी	229.71	400.58	442.65
	लिग्नाइट	36,188.34	33,949.79	32,994.77
	नेप्था	0.83	0.03	0
	प्राकृतिक गैस	23,884.21	31,295.91	31,580.05
कुल तापीय		12,06,210.67	13,26,548.93	13,63,889.76
न्यूक्लियर		45,861.09	47,937.41	56,680.83
जल विद्युत		1,62,098.77	1,34,053.92	1,48,633.98
भूटान आयात		6742.40	4716.10	5,484.18
कुल [पारंपरिक]:		14,20,912.93	15,13,256.36	15,74,688.75
नवीकरणीय	परन	71,814.16	83385.35	83,347.21
	सौर	1,02,014.25	1,15,975.11	1,44,150.23
	बायोमास	3,161.32	3,417.19	3,738.67
	खोड़	12,863.16	10,825.59	9,335.30
	लघु जल विद्युत	11,170.10	9,485.04	11,568.05
	अन्य	2,529.18	2,746.55	2,869.72
	कुल नवीकरणीय ऊर्जा स्रोत:	2,03,552.17	2,25,834.83	255009.19
कुल योग		16,24,465.10	17,39,091.19	18,29,697.94
				11,03,987.86

भारत सरकार
विद्युत मंत्रालय

....

लोक सभा

अतारांकित प्रश्न संख्या-1954

दिनांक 11 दिसंबर, 2025 को उत्तरार्थ

तेलंगाना में विद्युत का उत्पादन और खपत

†1954. श्री माधवनेनी रघुनंदन रावः

क्या विद्युत मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

- (क) तेलंगाना में विद्युत उत्पादन और खपत का ब्यौरा क्या है और वर्तमान स्थापित क्षमता और अधिकतम मांग कितनी है;
- (ख) क्या तेलंगाना में ग्रिड और विद्युत वितरण कंपनियां वित्तीय कठिनाइयों का सामना कर रही हैं और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और कुल ऋण बोझ कितना है;
- (ग) क्या तेलंगाना उजाला योजना का हिस्सा है और यदि हां, तो राज्य में इस योजना के लाभ क्या हैं और इसके कार्यान्वयन सहित तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;
- (घ) विद्युत वितरण कंपनियों की वित्तीय स्थिति में सुधार लाने तथा बिजली चोरी की समस्या के समाधान के लिए सरकार द्वारा क्या उपाय किए जा रहे हैं; और
- (ङ) क्या सरकार का बिजली उत्पादन बढ़ाने और बाहरी स्रोतों पर निर्भरता कम करने का प्रस्ताव है और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

उत्तर

विद्युत राज्य मंत्री
(श्री श्रीपाद नाईक)

(क) : तेलंगाना राज्य में वर्तमान स्थापित क्षमता 18,922.24 मेगावाट है। पिछले तीन वर्षों और वर्तमान वर्ष 2025-26 (अक्टूबर, 2025 तक) के लिए तेलंगाना राज्य में विद्युत उत्पादन का स्रोत-वार विवरण अनुबंध-I पर है।

वर्ष 2025-26 के दौरान, तेलंगाना में 16,613 मेगावाट की अधिकतम मांग को सफलतापूर्वक पूरा किया गया। पिछले तीन वर्षों और वर्तमान वर्ष 2025-26 (अक्टूबर, 2025 तक) के लिए ऊर्जा और अधिकतम मांग के संदर्भ में तेलंगाना की विद्युत आपूर्ति की स्थिति अनुबंध-II पर है।

(ख) : तेलंगाना में डिस्कॉम की संचित हानियां वित वर्ष 2019-20 में 42,293 करोड़ रुपये से बढ़कर वित वर्ष 2024-25 में 69,741 करोड़ रुपये (अनंतिम) हो गई हैं और उनका बकाया ऋण वित वर्ष 2019-20 में 22,202 करोड़ रुपये से बढ़कर वित वर्ष 2024-25 में 59,230 करोड़ रुपये (अनंतिम) हो गया है।

(ग) : जी हाँ। उजाला (उन्नत ज्योति बाय अफोर्डेबल एलईडीस फॉर ऑल) स्कीम के अंतर्गत, तेलंगाना राज्य में कुल 28,75,082 एलईडी बल्ब बेचे गए हैं। इसके अलावा, उजाला स्कीम के अंतर्गत 3,13,793 एलईडी ट्यूब लाइट और 48,310 ऊर्जा दक्ष सीलिंग पंखे भी बेचे गए हैं।

उजाला स्कीम के कार्यान्वयन ने तेलंगाना राज्य में ऊर्जा दक्षता में सुधार में योगदान दिया है और विद्युत की खपत और घरेलू विद्युत के खर्चों को कम करने में मदद की है। वार्षिक ऊर्जा बचत, वार्षिक लागत बचत, अधिकतम मांग न्यूनीकरण और स्कीम के कारण अर्जित वार्षिक ग्रीन हाउस गैस न्यूनीकरण के संदर्भ में लाभों का विवरण अनुबंध-III पर है।

(घ) : विद्युत एक समर्वती विषय होने के नाते, किसी राज्य/संघ राज्य क्षेत्र में उपभोक्ताओं की विभिन्न श्रेणियों को विद्युत की आपूर्ति और वितरण संबंधित राज्य सरकार/विद्युत यूटिलिटी के अधिकार क्षेत्र में है। इसलिए, डिस्कॉम की वित्तीय स्थिति में सुधार और विद्युत चोरी के मुददे का समाधान करने के लिए आवश्यक उपाय करना संबंधित राज्य/वितरण यूटिलिटी की जिम्मेदारी है।

भारत सरकार (जीओआई) डिस्कॉम की वित्तीय स्थिति में सुधार और समग्र तकनीकी और वाणिज्यिक (एटीएंडसी) हानियों में कमी के उद्देश्य से विभिन्न सुधार उपायों/स्कीमों के माध्यम से राज्यों/वितरण यूटिलिट के प्रयासों में सहायता कर रही है।

भारत सरकार ने जुलाई 2021 में, देश में वित्तीय रूप से स्थिर और प्रचालन रूप से कुशल वितरण क्षेत्र के माध्यम से उपभोक्ताओं को विद्युत की आपूर्ति की गुणवत्ता और विश्वसनीयता में सुधार के उद्देश्य से संशोधित वितरण क्षेत्र स्कीम (आरडीएसएस) शुरू की थी। इस स्कीम का परिव्यय 97,631 करोड़ रुपये की अनुमानित सरकारी बजटीय सहायता (जीबीएस) के साथ 3,03,758 करोड़ रुपये है। इस स्कीम का उद्देश्य अखिल भारतीय स्तर पर समग्र तकनीकी एवं वाणिज्यिक (एटीएंडसी) हानियों को 12-15% तक कम करना तथा आपूर्ति की औसत लागत और औसत राजस्व प्राप्ति (एसीएस-एआरआर) अंतर को शून्य करना है।

इस स्कीम के अंतर्गत, उप-स्टेशनों और वितरण ट्रांसफार्मरों के उन्नयन/वृद्धि, कंडक्टरों के उन्नयन, चोरी वाले क्षेत्रों में एबीसी/कवर कंडक्टर/एचवीडीएस प्रणाली बिछाने, संचार सुविधाओं के साथ प्रणाली मीटरिंग के साथ-साथ मिश्रित-लोड फीडर आदि के पृथक्करण, और वितरण नेटवर्क की दक्षता बढ़ाने के लिए स्मार्ट मीटर की स्थापना सहित हानि न्यूनीकरण कार्यों के लिए पात्र वितरण यूटिलिटी को वित्तीय सहायता प्रदान की जा रही है। इस स्कीम के अंतर्गत, 1.31 लाख करोड़ रुपये की कुल स्वीकृत लागत के साथ लगभग 20.33 करोड़ स्मार्ट मीटर स्वीकृत किए गए हैं। इसके अतिरिक्त, वितरण अवसंरचना/हानि न्यूनीकरण कार्यों के लिए आरडीएसएस के अंतर्गत 1.53 लाख करोड़ रुपये भी स्वीकृत किए गए हैं जो कार्यान्वयन के विभिन्न चरणों में हैं।

केंद्र और राज्यों द्वारा किए गए ठोस प्रयासों के परिणामस्वरूप, एटीएंडसी हानियां वित्त वर्ष 2021 में 21.91% से घटकर वित्त वर्ष 2024 में 16.12% हो गई हैं।

इसके अतिरिक्त, भारत सरकार ने डिस्कॉम की वित्तीय स्थिति में सुधार के लिए वितरण यूटिलिटी के वित्तीय और प्रचालन मुद्दों से निपटने के लिए निम्नलिखित उपाय किए हैं:

- (i) राज्य सरकारों को जीएसडीपी का 0.5% अतिरिक्त उधार लेने की छूट दी गई है, जो उन पर विद्युत क्षेत्र में विशिष्ट सुधार करने के लिए सशर्त है।
- (ii) राज्य के स्वामित्व वाली विद्युत यूटिलिटी को ऋण स्वीकृत करने के लिए अतिरिक्त विवेकपूर्ण मानदंड जो निर्धारित शर्तों के निमित्त विद्युत वितरण यूटिलिटी के कार्यनिष्पादन के प्रासंगिक होंगे।
- (iii) ईंधन और विद्युत क्रय लागत समायोजन (एफपीपीसीए) और लागत प्रतिबिम्बित टैरिफ के कार्यान्वयन के लिए नियम ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि विद्युत की आपूर्ति के लिए सभी विवेकपूर्ण लागत शामिल हैं।
- (iv) उचित सब्सिडी लेखांकन और उनके समय पर भुगतान के लिए जारी नियम और मानक संचालन प्रक्रिया।
- (v) टैरिफ और डॉ-अप ऑर्डर समय पर जारी करने के लिए एसईआरसी (राज्य विद्युत विनियामक आयोग) और जेर्डीआरसी (संयुक्त विद्युत विनियामक आयोग) के लिए परामर्शिका।

जहां तक तेलंगाना का संबंध है, विद्युत की चोरी के मुद्दे का समाधान करने के लिए, राज्य डिस्कॉम ने चोरी संभावित क्षेत्रों में विशेष निरीक्षण, उच्च हानि फीडरों में सर्किल वार गहन निरीक्षण, बुकिंग और उपयुक्त अदालत में अपराधियों के विरुद्ध मामले दर्ज करने, मीटर बॉक्स की सीलिंग आदि सहित कई उपाय किए हैं।

(ड) : देश में विद्युत की पर्याप्त उपलब्धता है। वर्तमान में (दिनांक 31.10.2025 तक की स्थिति के अनुसार) देश की स्थापित उत्पादन क्षमता 505.023 गीगावाट है।

केंद्रीय विद्युत प्राधिकरण द्वारा प्रकाशित 20वां इलेक्ट्रिक पावर सर्वे (ईपीएस) रिपोर्ट की मध्यावधि समीक्षा के अनुसार, वित्त वर्ष 2031-32 तक देश की अनुमानित अधिकतम मांग 388 गीगावाट होने का अनुमान है। देश में विद्युत की बढ़ती मांग को पूरा करने के लिए भारत सरकार ने निम्नलिखित क्षमता वृद्धि कार्यक्रम शुरू किया है:

- (क) वर्ष 2034-35 तक कोयला एवं लिग्नाइट आधारित क्षमता की आवश्यकता लगभग 3,07,000 मेगावाट अनुमानित है, जबकि दिनांक 31.03.2023 तक स्थापित क्षमता 2,11,855 मेगावाट थी। इस आवश्यकता को पूरा करने के लिए, विद्युत मंत्रालय ने अतिरिक्त न्यूनतम 97,000 मेगावाट कोयला और लिग्नाइट आधारित ताप क्षमता स्थापित करने की परिकल्पना की है।

इस आवश्यकता को पूरा करने के लिए कई पहलें की जा चुकी हैं। अप्रैल 2023 से नवंबर 2025 तक लगभग 16,560 मेगावाट की ताप क्षमता पहले ही चालू हो चुकी है। इसके अलावा, 40,345 मेगावाट ताप क्षमता (4,845 मेगावाट संकटग्रस्त ताप विद्युत परियोजनाओं सहित) वर्तमान में निर्माणाधीन है। इसके अतिरिक्त, 22,920 मेगावाट के अनुबंध अवार्ड किए गए हैं और इनका निर्माण होना बाकी है। देश में अनुमानित मांग को पूरा करने के लिए 24,020 मेगावाट कोयला एवं लिंगनाइट आधारित संभावित क्षमता की पहचान की गई है, जो देश में योजना के विभिन्न चरणों में है।

(ख) 13,223.5 मेगावाट जलविद्युत परियोजनाएं निर्माणाधीन हैं। इसके अतिरिक्त, 4,274 मेगावाट जल विद्युत परियोजनाएं योजना के विभिन्न चरणों में हैं और वर्ष 2031-32 तक पूरा करने का लक्ष्य है।

(ग) 6,600 मेगावाट की परमाणु क्षमता निर्माणाधीन है और वर्ष 2029-30 तक पूरा करने का लक्ष्य है। 7,000 मेगावाट की परमाणु क्षमता योजना और अनुमोदन के विभिन्न चरणों में है।

(घ) 1,56,900 मेगावाट नवीकरणीय क्षमता जिसमें 69,180 मेगावाट सौर, 29,650 मेगावाट पवन और 57,630 मेगावाट हाइब्रिड विद्युत निर्माणाधीन है, जबकि 36,530 मेगावाट सौर और 13,090 मेगावाट हाइब्रिड विद्युत सहित 51,420 मेगावाट नवीकरणीय क्षमता योजना के विभिन्न चरणों में है और वर्ष 2029-30 तक पूरा करने का लक्ष्य है।

(ङ) ऊर्जा भंडारण प्रणालियों में, 11870 मेगावाट/71220 मेगावाट घंटा पंप भंडारण परियोजनाएं (पीएसपी) निर्माणाधीन हैं। इसके अतिरिक्त, कुल 6,580 मेगावाट/39,480 मेगावॉट-घंटा क्षमता वाली पंप भंडारण परियोजनाओं (पीएसपी) को स्वीकृति प्रदान की गई है और इनका निर्माण कार्य शुरू किया जाना है। 25,407.54 मेगावाट/77,092.52 मेगावाट घंटा बैटरी ऊर्जा भंडारण प्रणाली (बीईएसएस) वर्तमान में निर्माण/बोली के विभिन्न चरणों में है।

तेलंगाना राज्य में परिकल्पित क्षमता वृद्धि का विवरण **अनुबंध-IV** पर है।

पिछले तीन वर्षों और वर्तमान वर्ष 2025-26 (अक्टूबर, 2025 तक) के लिए तेलंगाना राज्य में विद्युत उत्पादन का स्रोत-वार विवरण

वित्तीय वर्ष	वास्तविक उत्पादन (एम्यू)				
	पारंपरिक			नवीकरणीय (बड़े हाइड्रो को छोड़कर)	कुल
	कोयला	बड़े हाइड्रो	कुल		
2022-23	50,738	6,010	56,748	7,430	64,178
2023-24	56,914	1,243	58,157	7,509	65,666
2024-25	56,969	5,271	62,240	7,642	69,882
2025-26 (अक्टूबर, 2025 तक)	32,304	5,514	37,818	9,701	47,519

पिछले तीन वर्षों और वर्तमान वर्ष 2025-26 (अक्टूबर, 2025 तक) के लिए ऊर्जा और अधिकतम मांग के संदर्भ में तेलंगाना की विद्युत आपूर्ति की स्थिति

वित्तीय वर्ष	ऊर्जा			अधिकतम			
	ऊर्जा आवश्यकता	आपूर्ति ऊर्जा	अनापूर्ति ऊर्जा	अधिकतम मांग	अधिकतम पूर्ति	अनापूर्ति मांग	
	(एमयू)	(एमयू)	(एमयू) (%)	(मेगावाट)	(मेगावाट)	(मेगावाट)	(%)
2022-23	77,832	77,799	34	0.0	15,497	15,497	0
2023-24	84,623	84,613	9	0.0	15,622	15,622	0
2024-25	88,262	88,258	4	0.0	17,162	17,162	0
2025-26 (अक्टूबर, 2025 तक)	48,320	48,317	4	0.0	16,613	16,613	0

वार्षिक ऊर्जा बचत, वार्षिक लागत बचत, अधिकतम मांग न्यूनीकरण और उजाला स्कीम के कारण अर्जित वार्षिक ग्रीन हाउस गैस न्यूनीकरण के संदर्भ में लाभों के विवरण: -

मद	बिक्री मात्रा	संचयी वार्षिक ऊर्जा बचत (एमडब्ल्यूएच)	संचयी वार्षिक लागत बचत (करोड़ में)	संचयी अधिकतम मांग न्यूनीकरण (मेगावाट)	संचयी वार्षिक जीएचजी (t-CO ₂) न्यूनीकरण
एलईडी बल्ब	28,75,082	387.14	154.14	82.24	3,13,721.94
एलईडी ट्यूब लाइट	3,13,793				
एनर्जी एफिशिएंट सीलिंग फैन	48,310				

तेलंगाना राज्य में परिकल्पित क्षमता वृद्धि का विवरण

स्कीम	कार्यान्वयन एजेंसी	क्षमता
यादाद्वी टीपीएस	टीजीजेनको	4000 मेगावाट (5×800 मेगावाट)
सिंगरेनी टीपीपी, पीएच-II	एससीसीएल	800 मेगावाट
तेलंगाना एसटीपीपी, स्टेज- II	एनटीपीसी	2400 मेगावाट (3×800 मेगावाट)
	कुल	7200 मेगावाट

टीजीजेनको: तेलंगाना पावर जनरेशन कॉर्पोरेशन

एससीसीएल: सिंगरेनी कोलियरीज कंपनी लिमिटेड

एसटीपीपी: सुपर थर्मल पावर प्रोजेक्ट

भारत सरकार
विद्युत मंत्रालय

लोक सभा
अतारांकित प्रश्न संख्या-1959
दिनांक 11 दिसंबर, 2025 को उत्तरार्थ

विद्युत मंत्रालय में रिक्तियां

†1959. डॉ. शर्मिला सरकार :

क्या विद्युत मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

- (क) सरकार में स्वीकृत पदों की संख्या कितनी है तथा विभिन्न श्रेणियों में आरक्षित पदों सहित रिक्तियों की संख्या कितनी है;
- (ख) मंत्रालय/विभाग में आरक्षित पदों की संख्या कितनी है और वर्ष 2014 से रिक्तियों की वर्ष-वार और श्रेणी-वार संख्या कितनी है; और
- (ग) 2014 में अब तक नियुक्त किए गए संविदा पर काम करने वाले कर्मचारियों की वर्ष-वार और श्रेणी-वार संख्या कितनी है?

उत्तर

विद्युत राज्य मंत्री
(श्री श्रीपाद नाईक)

(क) और (ख) : विद्युत मंत्रालय में अखिल भारतीय सेवा, अन्य संगठित सेवा और सामान्य सिविल सेवाओं आदि के अधिकारी/कार्मिक कार्यरत हैं। मंत्रालय इन सेवाओं के संवर्ग नियंत्रक प्राधिकारियों द्वारा दिये गए तैनाती, स्थानांतरण और पदोन्नति आदेशों का कार्यान्वयन करता है। दिनांक 30.11.2025 की स्थिति के अनुसार, विद्युत मंत्रालय (सचिवालय) में 356 पद स्वीकृत हैं, जिनमें से 300 पद भरे हुए हैं।

विद्युत मंत्रालय डिस्पैच राइडर, स्टाफ कार ड्राइवर आदि के संबंध में केडर नियंत्रण प्राधिकारी है, जो वर्तमान में प्रतिनियुक्ति या पुनः रोजगार के आधार पर भरे जाते हैं और इनके लिए आरक्षण नीति लागू नहीं होती है। इसके अतिरिक्त, विद्युत मंत्रालय मल्टी टास्किंग स्टाफ (एमटीएस) के संबंध में भी केडर नियंत्रण प्राधिकारी है, जिसके लिए कर्मचारी चयन आयोग के माध्यम से सीधी भर्ती के आधार पर भर्ती की जाती है अतः एमटीएस ग्रेड में रिक्तियों का श्रेणी-वार विवरण मंत्रालय के पास उपलब्ध है।

वर्ष 2014 से अब तक रिक्तियों का वर्ष-वार और श्रेणी-वार विवरण संलग्न है।

(ग) : विद्युत मंत्रालय में वर्ष 2014 से अब तक नियुक्त किए गए संविदा कर्मचारियों से संबंधित वर्ष-वार विवरण निम्नानुसार हैं:

क्रम सं.	नियुक्ति वर्ष	नियुक्त संविदा कर्मचारियों की संख्या	श्रेणी
1.	2014-2020	00	संविदा कर्मचारियों के लिए आरक्षण नीति लागू नहीं है।
2.	2021	01	
3.	2022	04	
4.	2023	05	
5.	2024	07	
6.	2025 (दिनांक 30.11.2025 तक की स्थिति के अनुसार)	03	

क्रम सं.	वर्ष (संबंधित वर्ष के 31 दिसंबर तक)	स्वीकृत पद	पद पर कार्यरत	आरक्षित पदों सहित रिक्तियाँ	एमटीएस ग्रेड में रिक्तियाँ	एमटीएस ग्रेड में रिक्तियों का श्रेणीवार विवरण
क	ख	ग	घ	ड (ग-घ)	च (ड में से)	छ
1.	2014	343	280	63	03	यूआर-14 ओबीसी-13 एससी-0*(25 अतिरिक्त) एसटी-01
2.	2015	343	297	46	04	यूआर-14 ओबीसी-13 एससी-0*(24 अतिरिक्त) एसटी-01
3.	2016	318	292	26	07	यूआर -15 ओबीसी -13 एससी-0*(22 अतिरिक्त) एसटी-01
4.	2017	321	277	44	12	यूआर -17 ओबीसी -13 एससी-0*(19 अतिरिक्त) एसटी-01
5.	2018	320	275	45	06	यूआर -15 ओबीसी -11 एससी-0*(20 अतिरिक्त) एसटी-00
6.	2019	335	271	64	6	यूआर -9 ओबीसी -10 ईडब्ल्यूएस-6** एससी -0*(20 अतिरिक्त) एसटी-01
7.	2020	335	265	70	08	यूआर -09 ओबीसी -10 ईडब्ल्यूएस-6** एससी-0*(18 अतिरिक्त) एसटी-1
8.	2021	331	276	55	11	यूआर -09 ओबीसी -10 ईडब्ल्यूएस-6**

						एससी-0*(16 अतिरिक्त) एसटी-2
9.	2022	324	277	47	16	यूआर -13 ओबीसी -09 ईडब्ल्यूएस-6** एससी-0*(15 अतिरिक्त) एसटी-3
10.	2023	356	301	55	17	यूआर -14 ओबीसी-05 ईडब्ल्यूएस-6** एससी-0*(11 अतिरिक्त) एसटी-3
11.	2024	356	304	52	21	यूआर -15 ओबीसी-7 ईडब्ल्यूएस-6** एससी-0*(10 अतिरिक्त) एसटी-3
12.	2025 (दिनांक 30.11.2025 तक की स्थिति के अनुसार)	356	300	56	29	यूआर -17 ओबीसी-8 ईडब्ल्यूएस-6** एससी-0*(5 अतिरिक्त) एसटी-3

*पूर्ववर्ती समूह घ पदों को 'मल्टी टास्किंग स्टाफ (एमटीएस)' का नाम दिया गया था, जिसके कारण एससी श्रेणी के कर्मचारी, उनके लिए आरक्षित सीटों की तुलना में अधिक हो गए।

**ईडब्ल्यूएस आरक्षण वर्ष 2019 में लागू किया गया था।

यूआर (अनारक्षित), ओबीसी (अन्य पिछ़ा वर्ग), ईडब्ल्यूएस (आर्थिक रूप से कमज़ोर वर्ग), एससी (अनुसूचित जाति), एसटी (अनुसूचित जनजाति)

भारत सरकार
विद्युत मंत्रालय

लोक सभा
अतारांकित प्रश्न संख्या-1961
दिनांक 11 दिसंबर, 2025 को उत्तरार्थ

इंडिया एनर्जी स्टैक के उद्देश्य

1961. श्री अमर शरदराव काले:

क्या विद्युत मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

- (क) इंडिया एनर्जी स्टैक (आईईएस) को विकसित करने के क्या उद्देश्य हैं और विद्युत क्षेत्र के लिए डिजिटल अवसंरचना को मजबूत करने में इसका क्या योगदान प्रस्तावित है;
- (ख) सेवाओं और प्रौद्योगिकी भागीदारों के बीच डेटा अंतर-प्रंचालनीयता, पारदर्शिता और नवाचार को आईईएस किस प्रकार बढ़ावा देता है;
- (ग) चल रहे सर्वेक्षण में चिन्हित किए गए हितधारकों का व्यौरा क्या है और उनकी भागीदारी से क्या परिणाम अपेक्षित हैं; और
- (घ) क्या आईईएस को चालू करने और मौजूदा सेवा प्रणालियों के साथ निर्बाध एकीकरण सुनिश्चित करने के लिए चरणबद्ध तरीके से कार्यान्वयन योजना तैयार की गई है और यदि हां, तो तत्संबंधी व्यौरा क्या है?

उत्तर

विद्युत राज्य मंत्री
(श्री श्रीपाद नाईक)

(क) से (घ) : सम्पूर्ण विद्युत क्षेत्र के लिए एक सार्वभौमिक डिजिटल ब्लूप्रिंट बनाने के उद्देश्य से भारतीय ऊर्जा स्टैक (आईईएस) की परिकल्पना की गई है ताकि विद्युत प्रणाली के अलग-अलग हिस्से मानक प्रोटोकॉल के माध्यम से सुरक्षित रूप से आपस में जुड़ सकें और संचार कर सकें। मंत्रालय ने अंतरसंचालनीयता सुनिश्चित करने के लिए आईईएस के लिए एक रोडमैप तैयार करने हेतु मंत्रालयों, राज्य यूटिलिटी, विनियामकों, प्रौद्योगिकी समाधान प्रदाताओं आदि के प्रतिनिधियों सहित डोमेन विशेषज्ञों और विभिन्न हितधारकों को शामिल करते हुए एक कार्यबल का गठन किया है।

वित्तीय वर्ष 2026-27 में अवधारणा पुष्टि के प्रदर्शन के लिए समयसीमा के साथ आईईएस का कार्यान्वयन चरणबद्ध तरीके से किया जाएगा।

भारत सरकार
विद्युत मंत्रालय

....

लोक सभा

अतारांकित प्रश्न संख्या-1975

दिनांक 11 दिसंबर, 2025 को उत्तरार्थ

कोयला आधारित विद्युत संयंत्रों का नवीकरणीय ऊर्जा के साथ एकीकरण

†1975. श्री दुष्यंत सिंहः

क्या विद्युत मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या भारत के कुल ऊर्जा उत्पादन में नवीकरणीय ऊर्जा की हिस्सेदारी बढ़ाने के लिए सरकार की सराहनीय पहलों के मद्देनजर मौजूदा कोयला आधारित बिजली संयंत्रों के जीवनकाल और दक्षता पर तकनीकी न्यूनतम भार आवश्यकताओं में गिरावट के दीर्घकालिक प्रभाव पर कोई अध्ययन किया गया है और यदि हां, तो तत्संबंधी व्यौरा क्या है:

(ख) क्या सरकार द्वारा ऐसे संभावित प्रभावों से निपटने के लिए उपचारात्मक उपायों पर विचार किया जा रहा है और यदि हां, तो तत्संबंधी व्यौरा क्या है; और

(ग) क्या सरकार के पास ऐसी हाइब्रिड प्रौद्योगिकियों को शुरू करने या बढ़ावा देने की कोई योजना है जो मौजूदा कोयला आधारित बिजली संयंत्रों को नवीकरणीय ऊर्जा स्रोतों के साथ एकीकृत कर सकें ताकि ईंटतम दक्षता और निरंतर विद्युत आपूर्ति सुनिश्चित की जा सके और यदि हां, तो तत्संबंधी व्यौरा क्या है?

उत्तर

विद्युत राज्य मंत्री

(श्री श्रीपाद नाईक)

(क) : केंद्रीय विद्युत प्राधिकरण (सीईए) ने मूल उपकरण विनिर्माताओं (ओईएम)/राष्ट्रीय एवं अंतर्राष्ट्रीय भागीदारों के सहयोग से मौजूदा कोयला आधारित विद्युत संयंत्रों (टीपीपी) की घटी हुई तकनीकी न्यूनतम भार आवश्यकता के दीर्घकालिक प्रभाव पर विभिन्न अध्ययन किए हैं। इन अध्ययनों से संकेत मिलता है कि 40% न्यूनतम तकनीकी भार (एमटीएल) प्रचालन के परिणामस्वरूप पुर्जों (विशेष रूप से धूमने वाले पुर्जों) के क्षति में तेजी आती है और प्रमुख प्रेशर-पार्ट्स के कार्यकाल और उनकी दक्षता में भी कमी आती है। इससे उपकरणों के कार्यकाल और दीर्घकालिक दक्षता पर निम्नलिखित प्रभाव पड़ता है:

- दक्षता में गिरावट;
- क्रीप-फैटिंग में वृद्धि;
- त्वरित विनाशन और घिसाव;
- फैटिंग से संबंधित विफलताओं का उच्च जोखिम;
- समतुल्य बाध्य आउटेज दर (ईएफओआर) में वृद्धि;

- सकल ताप दर में वृद्धि;
- उच्च सहायक विद्युत खपत;
- कम भार पर दहन दक्षता में कमी।

(ख) : सीईए ने घटे हुए तकनीकी न्यूनतम भार (टीएमएल)/लचीले प्रचालन से मौजूदा कोयला आधारित संयंत्रों पर ऐसे संभावित प्रभावों को दूर करने के लिए कई निवारात्मक एवं शमनकारी उपाय तैयार किए हैं। इन उपायों का उद्देश्य प्रचालन सुरक्षा सुनिश्चित करना, फ्लेम स्थिरता और दहन की गुणवत्ता बनाए रखना और बॉयलर और टरबाइन प्रणालियों पर तनाव को कम करना है, जिससे कम भार पर उपकरण की क्षति और दक्षता हानि कम हो जाती हैं। प्रमुख उपायों में मौजूदा प्रणाली में निम्नलिखित प्रकार के रेट्रोफिट्स शामिल हैं:

- स्वचालन का कार्यान्वयन
- नियंत्रण प्रणालियों का अनुकूलन
- उचित फ्लेम का पता लगाने हेतु स्कैनर की संस्थापना
- स्टीम कॉइल एयर-प्रीहीटर (एपीएच) की संस्थापना/उपयोग
- बॉयलर, टरबाइन आदि की बेहतर स्थिति निगरानी प्रणाली
- सहायक संयंत्रों का अनुकूलन

इसके अतिरिक्त, उत्पादक कंपनियों (जेनको) को संयंत्र के कार्यकाल, डिजाइन मापदंडों, कोयला गुणवत्ता और विंटेज को ध्यान में रखते हुए 'वन-साइज़-फिट-ऑल' के बजाय यूनिट-विशिष्ट रेट्रोफिट अपनाने की सलाह दी गई है ताकि लचीले प्रचालन के दौरान संयंत्र उपकरणों पर अनुचित तनाव को सीमित किया जा सके।

(ग) : विद्युत मंत्रालय ने कोयला आधारित विद्युत संयंत्रों में कोयले के साथ-साथ बायोमास पैलेट [नगरपालिका ठोस अपशिष्ट (एमएसडब्ल्यू) से बनाए गए टॉरफाइड चारकोल सहित] के 5-7% मिश्रण की को-फायरिंग के लिए दिनांक 07.11.2025 को एक व्यापक नीति जारी की है, जो कि तकनीकी व्यवहार्यता का आकलन करने के बाद लागू किया जाता है।

भारत सरकार
विद्युत मंत्रालय

....

लोक सभा
अतारांकित प्रश्न संख्या-1977
दिनांक 11 दिसंबर, 2025 को उत्तरार्थ

डीडीयूजीजेवाई और आरडीएसएस के तहत फीडरों का पृथक्करण

†1977. सुश्री इकरा चौधरी:

श्री पुष्पेन्द्र सरोजः

क्या विद्युत मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) उत्तर प्रदेश में दीन दयाल उपाध्याय ग्राम ज्योति योजना (डीडीयूजीजेवाई) और पुनर्विकसित वितरण क्षेत्र योजना (आरडीएसएस) के अंतर्गत पृथक किए गए और अभी पृथक किए जाने वाले कृषि और गैर-कृषि फीडरों की जिला-बार संख्या कितनी हैं;

(ख) विगत तीन वर्षों के दौरान उत्तर प्रदेश, विशेषकर सहारनपुर संसदीय निर्वाचन क्षेत्र के संबंध में कृषि उपभोक्ताओं के लिए ग्रामीण फीडर-वार उपलब्ध विद्युत आपूर्ति के औसत घंटे कितने हैं;

(ग) कृषि फीडरों पर छह घंटे से अधिक समय तक बिजली न आने की घटनाओं की जिला-वार संख्या कितनी हैं;

(घ) क्या आरडीएसएस या फीडर-निगरानी प्रणालियों के अंतर्गत संपरीक्षा में सहारनपुर संसदीय निर्वाचन क्षेत्र सहित उक्त राज्य में कृषि विद्युत आपूर्ति को प्रभावित करने वाली तकनीकी हानि या रख-रखाव संबंधी कमियों की पहचान की गई है और यदि हां, तो तत्संबंधी व्यौरा क्या है; और

(ङ) सरकार द्वारा फीडर स्तर की विश्वसनीयता में सुधार, ट्रांसफार्मर विफलता दर में कमी लाने तथा कृषि में अधिकतम मांग की अवधि के दौरान निर्बाध विद्युत आपूर्ति सुनिश्चित करने के लिए क्या उपाय किए गए हैं?

उत्तर

विद्युत राज्य मंत्री
(श्री श्रीपाद नाईक)

(क) : दीन दयाल उपाध्याय ग्राम ज्योति योजना (डीडीयूजीजेवाई) की योजना के अंतर्गत, उत्तर प्रदेश राज्य में कुल 2,212 कृषि फीडरों को अलग किया गया था। संशोधित वितरण क्षेत्र स्कीम (आरडीएसएस) के अंतर्गत, राज्य के लिए कुल 1,799 फीडरों को मंजूरी दी गई है, जिनमें से 1,167 फीडरों को अब तक पृथक्करण कर दिया गया है। जिला-वार विवरण अनुबंध पर संलग्न है।

(ख) और (ग) : विद्युत एक समर्वता विषय होने के नाते, कृषि उपभोक्ताओं सहित उपभोक्ताओं की विभिन्न श्रेणियों को विश्वसनीय विद्युत की आपूर्ति और वितरण की जिम्मेदारी संबंधित राज्य/वितरण यूटिलिटी की है। जैसा कि राज्य द्वारा सूचित किया गया है, उत्तर प्रदेश राज्य भार प्रेषण केंद्र द्वारा प्रदान की गई अनुसूची के अनुसार कृषि उपभोक्ताओं के लिए दैनिक औसत आपूर्ति 10:00 घंटे है और कृषि फीडरों में सूचित किए गए छह घंटे से अधिक समय तक आउटेज की घटना की संख्या शून्य है। इसके अतिरिक्त, जैसा कि राज्य द्वारा सूचित किया गया है, सहारनपुर संसदीय निर्वाचन क्षेत्र में कृषि उपभोक्ताओं के लिए सर्किल-वार दैनिक औसत घंटे की आपूर्ति निम्नानुसार है:

सर्किल	वित्तीय वर्ष 23	वित्तीय वर्ष 24	वित्तीय वर्ष 25
ईयूडीसी	09:30 घंटे	09:40 घंटे	09:42 घंटे
ईडीसी-1	09:30 घंटे	09:40 घंटे	09:42 घंटे
ईडीसी-2	09:30 घंटे	09:40 घंटे	09:42 घंटे

(घ) और (ङ) : आरडीएसएस के अंतर्गत, हानियों और अवसंरचनात्मक आवश्यकताओं के विश्लेषण के आधार पर राज्यों/वितरण यूटिलिटी द्वारा प्रस्तुत कार्य योजना के आधार पर उनके लिए हानि न्यूनीकरण कार्यों को मंजूरी दी गई है। तदनुसार, उत्तर प्रदेश राज्य के लिए 21,782 करोड़ रुपये के अवसंरचना कार्यों को मंजूरी दी गई है। स्कीम के अंतर्गत स्वीकृत अवसंरचना के कार्यों में नए सबस्टेशन विकसित करना, मौजूदा सबस्टेशन एवं वितरण ट्रांसफार्मर का उन्नयन, केबलों का पुनः संचालन/उन्नयन, फीडर पृथक्करण आदि शामिल हैं। इन कार्यों ने विद्युत की आपूर्ति की विश्वसनीयता में सुधार करने और ट्रांसफार्मर विफलताओं को कम करने में मदद की है। केंद्र और राज्य द्वारा किए गए प्रयासों के परिणामस्वरूप, राज्य की एटी एंड सी (समग्र तकनीकी और वाणिज्यिक) हानियाँ वित वर्ष 2021 में 26.78% से घटकर वित वर्ष 2025 में 19.25% हो गई हैं। इसके साथ ही, राज्य के ग्रामीण क्षेत्रों में आपूर्ति के औसत दैनिक घंटे वित वर्ष 2023 में 17:24 घंटे से बढ़कर वित वर्ष 2025 में 21:34 घंटे हो गए हैं।

जिला-वार फीडर पृथक्करण विवरण

क्र.सं.	जिला	डीडीयूजीजेवाई के अंतर्गत पृथक्क किए गए फीडर	पृथक्करण के लिए आरडीएसएस के अंतर्गत स्वीकृत फीडर	आरडीएसएस के अंतर्गत पृथक्क किए गए फीडर
1	आजमगढ़	49	0	0
2	बस्ती	23	0	0
3	भद्रोही	0	3	0
4	फतेहपुर	0	170	148
5	गाजीपुर	29	0	0
6	जौनपुर	0	5	0
7	कौशाम्बी	39	37	37
8	मऊ	0	16	0
9	मिर्जापुर	0	3	1
10	प्रयागराज	0	12	10
11	सिद्धार्थनगर	23	0	0
12	वाराणसी	35	2	2
13	अयोध्या	0	5	4
14	अंबेडकर नगर	0	0	0
15	सुल्तानपुर	0	5	2
16	अमेठी	0	5	3
17	बाराबंकी	0	10	10
18	गोडा	0	0	0
19	बहराइच	22	0	0
20	बलरामपुर	0	0	0
21	श्रावस्ती	0	0	0
22	रायबरेली	0	70	4
23	उन्नाव	0	17	2
24	लखनऊ	24	0	0
25	सीतापुर	0	28	4
26	हरदोई	0	33	33
27	लखमीपुर	0	12	10
28	बदायूं	36	114	33
29	बरेली	32	19	9
30	पीलीभीत	16	10	0
31	शाहजहांपुर	39	58	11
32	आगरा	116	2	2
33	अलीगढ़	74	31	31

34	ओरैया	17	7	7
35	बाँदा	0	5	5
36	चित्रकूट	0	6	5
37	एटा	27	34	34
38	झटावा	28	12	12
39	फर्खाबाद	53	1	1
40	फिरोजाबाद	89	19	19
41	हमीरपुर	0	4	4
42	हाथरस	103	9	9
43	जालौन	0	16	16
44	झांसी	0	2	2
45	कन्नौज	25	1	1
46	कानपुर देहात	23	8	8
47	कानपुर नगर	14	23	23
48	कासगंज	0	25	23
49	ललितपुर	0	0	0
50	महोबा	0	5	5
51	मैनपुरी	66	1	1
52	मथुरा	56	17	17
53	मेरठ	166	73	56
54	बागपत	124	33	33
55	गाजियाबाद	40	2	2
56	नोएडा	4	0	0
57	बुलंदशहर	95	200	119
58	हापुड़	90	55	43
59	मुरादाबाद	51	41	26
60	बिजनौर	103	113	91
61	रामपुर	36	36	30
62	संभल	30	66	56
63	अमरोहा	105	60	59
64	सहारनपुर	130	141	19
65	मुजफ्फरनगर	125	76	50
66	शामली	55	41	35
कुल		2,212	1,799	1,167

भारत सरकार
विद्युत मंत्रालय

....

लोक सभा

अतारांकित प्रश्न संख्या-1979
दिनांक 11 दिसंबर, 2025 को उत्तरार्थ

हर घर को बिजली उपलब्ध कराने की योजनाएं

1979. श्रीमती अनिता नागरसिंह चौहान:

क्या विद्युत मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) ग्रामीण क्षेत्रों में प्रत्येक घर तक बिजली पहुंचाने के लिए क्या योजनाएं और कार्यक्रम कार्यान्वित किए गए हैं;

(ख) उक्त योजनाओं के अंतर्गत अब तक कितने ग्रामीण परिवारों को सुरक्षित और नियमित विद्युत आपूर्ति प्रदान की गई हैं;

(ग) सरकार द्वारा विद्युत आपूर्ति की विश्वसनीयता में सुधार लाने तथा ग्रामीण क्षेत्रों में विद्युत कटौती को कम करने के लिए क्या कदम उठाए गए हैं; और

(घ) सरकार द्वारा भविष्य में ग्रामीण क्षेत्रों में विद्युत आपूर्ति में सुधार तथा ग्रिड का सुदृढ़ीकरण सुनिश्चित करने के लिए तैयार की जा रही योजनाओं का व्यौरा क्या है?

उत्तर

विद्युत राज्य मंत्री

(श्री श्रीपाद नाईक)

(क) और (ख) : विद्युत एक समर्वती विषय होने के नाते, सभी उपभोक्ताओं को विद्युत की आपूर्ति और वितरण ग्रामीण और शहरी क्षेत्रों में विद्युत की आपूर्ति में सुधार और ग्रिड सुदृढ़ीकरण की जिम्मेदारी संबंधित राज्य सरकार/विद्युत वितरण यूटिलिटी की होती है।

भारत सरकार ने दीनदयाल उपाध्याय ग्राम ज्योति योजना (डीडीयूजीजेवाई), एकीकृत विद्युत विकास स्कीम (आईपीडीएस) और प्रधानमंत्री सहज बिजली हर घर योजना (सौभाग्य) जैसी स्कीमों के माध्यम से राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों के प्रयासों में सहायता दी है, ताकि उन्हें ग्रामीण और शहरी क्षेत्रों में सभी घरों को गुणवत्तापूर्ण और विश्वसनीय विद्युत आपूर्ति प्रदान करने के उद्देश्य को प्राप्त करने में मदद मिल सके।

जैसा कि राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों द्वारा सूचित किया गया है, दिनांक 28 अप्रैल, 2018 तक देश के सभी बसे हुए गैर-विद्युतीकृत जनगणना गांवों का विद्युतीकरण कर दिया गया था।

डीडीयूजीजेवाई के अंतर्गत कुल 18,374 गांवों का विद्युतीकरण किया गया था। इसके अतिरिक्त, डीडीयूजीजेवाई के अंतर्गत और उसके बाद सौभाग्य के अंतर्गत, राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों की सूचना के अनुसार, दिनांक 31 मार्च, 2019 तक सभी इच्छुक घरों का विद्युतीकरण पूरा कर लिया गया था। सौभाग्य अवधि के दौरान कुल 2.86 करोड़ घरों का विद्युतीकरण किया गया था। ये दोनों स्कीमें दिनांक 31.03.2022 को बंद हो चुकी हैं।

भारत सरकार जुलाई, 2021 में शुरू की गई संशोधित वितरण क्षेत्र स्कीम (आरडीएसएस) की चल रही स्कीम के अंतर्गत, सौभाग्य के दौरान छूटे हुए घरों के ग्रिड विद्युतीकरण के लिए राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों को और अधिक सहायता दे रही है। इसके अलावा, पीएम-जनमन (प्रधानमंत्री जनजाति आदिवासी न्याय महाअभियान) के अंतर्गत विशेष रूप से कमजोर आदिवासी समूह (पीवीटीजी) से संबंधित सभी पहचाने गए घरों और डीए-जेजीयूए (धरती आबा जनजातीय ग्राम उत्कर्ष अभियान) के अंतर्गत आदिवासी घरों को स्कीम दिशानिर्देशों के अनुसार आरडीएसएस के अंतर्गत ऑन-ग्रिड विद्युत कनेक्शन दिया जा रहा है। अब तक, 13.65 लाख घरों के विद्युतीकरण के लिए 6,521 करोड़ रुपये की राशि के कार्य स्वीकृत किए गए हैं, जिनमें से 2.68 लाख घरों का अब तक विद्युतीकरण किया जा चुका है।

(ग) और (घ) : भारत सरकार ने अलग-अलग स्कीमों जैसे (क) डीडीयूजीजेवाई, जिसके अंतर्गत सभी गांवों में विद्युत पहुंचाने और ग्रामीण क्षेत्रों में वितरण अवसंरचना को सुदृढ़ करने के लिए केंद्रीय सहायता प्रदान की; (ख) आईपीडीएस, जिसके अंतर्गत शहरी क्षेत्रों में वितरण नेटवर्क के सुदृढ़ीकरण को विद्युत वितरण की एक प्रमुख पहल के रूप में अपनाया और (ग) सौभाग्य, जिसके तहत घरों का विद्युतीकरण किया गया, को धन के आवंटन के माध्यम से वितरण यूटिलिटी द्वारा वितरण अवसंरचना के उन्नयन और निर्माण की सुविधा प्रदान की है। देश की वितरण प्रणाली के सुदृढ़ीकरण पर इन तीनों स्कीमों के अंतर्गत कुल मिलाकर 1.85 लाख करोड़ रुपये खर्च किए गए थे।

आरडीएसएस के अंतर्गत, इसका उद्देश्य वित्तीय रूप से स्थिर और प्रचालन रूप से कुशल वितरण क्षेत्र के माध्यम से उपभोक्ताओं को विद्युत की आपूर्ति की गुणवत्ता और विश्वसनीयता में सुधार करना है। यह स्कीम नेटवर्क सुदृढ़ीकरण और प्रणाली स्वचालन सहित वितरण नेटवर्क के उन्नयन में परिणामोन्मुखी निवेश के माध्यम से वितरण क्षेत्र में तकनीकी और वाणिज्यिक हानियों में सुधार पर केंद्रित है। स्कीम के अंतर्गत स्मार्ट मीटरिंग कार्यों सहित वितरण अवसंरचना कार्यों के लिए 2.83 लाख करोड़ रुपये की परियोजनाओं को स्वीकृति दी गई है। स्वीकृत कार्यों में नए/उन्नयतीकृत सबस्टेशन/वितरण ट्रांसफार्मर, कृषि फीडर पृथक्करण, कंडक्टरों का उन्नयन, घरेलू विद्युतीकरण कार्य आदि शामिल हैं।

भारत सरकार
विद्युत मंत्रालय

....

लोक सभा

अतारांकित प्रश्न संख्या-1998
दिनांक 11 दिसंबर, 2025 को उत्तरार्थ

पंप भंडारण परियोजनाओं का आरंभ

†1998. श्री प्रदीप कुमार सिंह:

क्या विद्युत मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) सरकार पिन्नापुरम और टिहरी की तरह पम्प स्टोरेज परियोजनाओं (पीएसपी) का समय पर आरंभ किया जाना किस प्रकार सुनिश्चित कर रही है और संबंधित राज्यों के साथ भूमि तथा जल आवंटन के मुद्दों का समन्वय किस प्रकार कर रही है;

(ख) राज्यों से पम्प स्टोरेज परियोजनाओं के लिए स्थानीय शुल्क हटाने का आग्रह करने के पीछे क्या कारण हैं और इसका अपेक्षित वित्तीय प्रभाव क्या होगा;

(ग) ऊर्जा भंडारण के लिए नवीकरणीय उपभोग बाध्यता (आरसीओ) पिछली स्वैच्छिक बाध्यताओं से किस प्रकार भिन्न होगी; और

(घ) क्या पंप स्टोरेज परियोजना ऊर्जा खरीद के लिए टैरिफ आधारित प्रतिस्पर्धी बोली दिशानिर्देशों को अंतिम रूप दे दिया गया है और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और ये इष्टतम मूल्य निर्धारण किस प्रकार सुनिश्चित करेंगे?

उत्तर

विद्युत राज्य मंत्री
(श्री श्रीपाद नाईक)

(क) : सरकार ने पंप भंडारण परियोजनाओं (पीएसपी) का समयबद्ध पूरा किया जाना सुनिश्चित करने के लिए निम्नलिखित उपाय अपनाए हैं:

- i. विद्युत मंत्रालय ने पीएसपी के विकास को बढ़ावा देने के लिए अप्रैल, 2023 में दिशानिर्देश जारी किए थे। ये दिशानिर्देश पीएसपी साइटों के आवंटन, निःशुल्क विद्युत दायित्व छूट/स्थानीय क्षेत्र के विकास निधि और समाप्त हो चुकी कोयला खानों के उपयोग आदि के विभिन्न तरीके प्रदान करते हैं।
- ii. केंद्रीय विद्युत प्राधिकरण (सीईए) ने पीएसपी की विस्तृत परियोजना रिपोर्ट (डीपीआर) तैयार करने और सहमति के लिए दिशानिर्देशों को संशोधित किया है। संशोधित दिशानिर्देशों के तहत, सभी प्रकार के पीएसपी के लिए डीपीआर की सहमति की समय सीमा 90 दिनों से घटाकर 50 दिन कर दी गई है। इसके अलावा, सीईए ने यह भी निर्धारित किया है कि पीएसपी के लिए अंतर-राज्य पहलुओं की मंजूरी की आवश्यकता नहीं है।

- iii. सीईए ने एचईपी और पीएसपी की सर्वेक्षण और जांच (एसएंडआई) गतिविधियों की निगरानी के लिए "जल विद्युत डीपीआर" पोर्टल लॉन्च किया है। पोर्टल, मूल्यांकन एजेंसियों और विकासकर्ताओं में कार्यप्रवाह और लंबित कार्यों की वास्तविक समय पर ट्रैकिंग को सक्षम बनाता है जिससे देरी को प्रभावी ढंग से पहचानने और समाधान करने में मदद मिलती है।
- iv. पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय (एमओईएफ और सीसी) ने दिनांक 18.05.2023 को, कुछ शर्तों के अध्ययन बी2 श्रेणी के तहत पीएसपी का मूल्यांकन करने के लिए अधिसूचना जारी की है।
- v. एमओईएफसीसी ने दिनांक 14.08.2023 को ऑफ स्ट्रीम पीएसपी से जुड़े प्रस्तावों के लिए विशिष्ट संदर्भ शर्त (टीओआर) जारी की हैं, जिसमें ऑफ स्ट्रीम क्लोज्ड लूप पीएसपी के लिए एक मौसम (मानसून के अलावा) के लिए बेसलाइन डेटा का संग्रह निर्धारित किया गया है और दो मौसमों (मानसून से पहले और मानसून के बाद) के लिए बेसलाइन डेटा का संग्रह ऑफ स्ट्रीम ओपन लूप पीएसपी के लिए निर्धारित है।
- vi. एमओईएफसीसी ने अगस्त 2024 में, खनन परियोजनाओं के लिए वन क्षेत्रों में सर्वेक्षण संबंधी प्रावधानों को हाइडल/पीएसपी सहित अन्य विकास परियोजनाओं तक बढ़ा दिया है।
- vii. एमओईएफसीसी ने दिनांक 10.09.2025 के पत्र के माध्यम से हाइडल सहित खनन और विकास परियोजनाओं के लिए वन क्षेत्र में सर्वेक्षण और अन्वेषण करने के लिए बोरहोल की संख्या में वृद्धि की है।
- viii. भारत सरकार ने दिनांक 01.08.2025 की अधिसूचना के माध्यम से, जलविद्युत उत्पादन स्टेशनों की स्थापना से संबंधित योजनाओं के लिए पूँजीगत व्यय सीमा को संशोधित कर 3,000 करोड़ रुपए कर दिया है, जिसके लिए सीईए की सहमति की आवश्यकता है। इसके अलावा, सरकार ने पूँजीगत व्यय की मात्रा पर द्यान दिए बिना, ऑफ-स्ट्रीम क्लोज्ड-लूप पंप भंडारण स्कीमों को सीईए द्वारा सहमति की आवश्यकता से छूट दी है। तथापि, विकासकर्ता छूट प्राप्त श्रेणी के तहत परियोजनाओं के लिए सीईए से तकनीकी मार्गदर्शन प्राप्त कर सकते हैं।

विकासकर्ताओं द्वारा संबंधित राज्य की नीतियों के अनुसार भूमि और जल आवंटन से संबंधित मुद्दों को संबंधित राज्य सरकार के साथ उठाया जाता है।

(ख) : यह देखते हुए कि पीएसपी ऊर्जा उत्पन्न नहीं करते हैं लेकिन ऊर्जा उपलब्धता के समय को स्थानांतरित करते हैं, राज्यों से किसी भी प्रकार के स्थानीय लेवी/प्रभारों को माफ करने और पीएसपी के लिए संग्रहीत ऊर्जा पर शुल्क माफ करने का आग्रह किया गया है। वास्तव में, वे अधिक ऊर्जा का उपभोग करते हैं। अधिक जड़ता और संतुलित विद्युत प्रदान करने के संदर्भ में ग्रिड स्थिरता के वृष्टिकोण से पीएसपी भी महत्वपूर्ण हैं।

(ग) : ऊर्जा संरक्षण अधिनियम, 2001 के तहत विद्युत मंत्रालय द्वारा जारी संशोधित आरसीओ राजपत्र अधिसूचना दिनांकित 27.09.2025 द्वारा नवीकरणीय उपभोग बाध्यता (आरसीओ) अधिसूचना दिनांकित 20.10.2023 को अधिक्रमित किया गया था। नवीकरणीय उपभोग बाध्यता अधिसूचना दिनांक 27.09.2025 के तहत ऊर्जा भंडारण के लिए कोई दायित्व नहीं है। इसमें प्रावधान है कि नामित उपभोक्ता निर्दिष्ट नवीकरणीय उपभोग बाध्यता को नवीकरणीय विद्युत की खपत के माध्यम से या तो सीधे या ऊर्जा भंडारण प्रणाली के माध्यम से पूरा कर सकते हैं।

(घ) : विद्युत मंत्रालय ने दिनांक 06.02.2025 के संकल्प के माध्यम से "पंप भंडारण संयंत्रों से भंडारण क्षमता/संग्रहीत ऊर्जा की खरीद के लिए टैरिफ आधारित प्रतिस्पर्धी बोली दिशानिर्देश" जारी किए, जो https://powermin.gov.in/sites/default/files/webform/notices/Guideline_for_procurement_of_storage_capacity_stored_energy_from_pumped_storage_plants_0.pdf पर उपलब्ध हैं।

भारत सरकार
विद्युत मंत्रालय

....
लोक सभा
अतारांकित प्रश्न संख्या-2017
दिनांक 11 दिसंबर, 2025 को उत्तरार्थ

ताप विद्युत संयंत्र से उत्सर्जन

2017. श्री राकेश राठौर:

श्री गौरव गोगोईः

श्री प्रद्युत बोरदोलोईः

क्या विद्युत मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार ने इस बात का अध्ययन करने के लिए कोई मूल्यांकन किया है कि पड़ोसी राज्यों में ताप विद्युत संयंत्रों से निकलने वाला उत्सर्जन दिल्ली में वायु प्रदूषण में किस हद तक योगदान दे रहा है और यदि हां, तो तत्संबंधी व्यौरा क्या है;

(ख) क्या सरकार ने कई कोयला आधारित विद्युत संयंत्रों को फ्लू गैस डी-सल्फराइजेशन (एफजीडी) जैसी प्रदूषण नियंत्रण प्रणालियां स्थापित करने से छूट दी है और यदि हां, तो ऐसी छूट प्राप्त इकाइयों की संख्या और व्यौरा क्या है;

(ग) क्या यह सच है कि इस तरह की छूट से आस-पास के इलाकों से ज्यादा उत्सर्जन हो रहा है और इस तरह प्रदूषण का बोझ बढ़ रहा है और यदि हां, तो तत्संबंधी व्यौरा क्या है; और

(घ) सरकार उत्सर्जन मानदंडों का सख्ती से पालन करने के लिए क्या कदम उठा रही है, ताकि प्रदूषण नियंत्रण प्रणाली पूरी तरह से चालू रहें और वायु प्रदूषण को एक राज्य से दूसरे राज्य में फैलने से रोका जा सके?

उत्तर

विद्युत राज्य मंत्री

(श्री श्रीपाद नाईक)

(क) से (ग) : विद्युत मंत्रालय द्वारा ऐसा कोई मूल्यांकन/अध्ययन नहीं कराया गया है जिससे यह मूल्यांकन किया जा सके कि पड़ोसी राज्यों में स्थित ताप विद्युत संयंत्रों (टीपीपी) से निकालने वाला उत्सर्जन दिल्ली में वायु प्रदूषण में किस हद तक योगदान देता है।

पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय (एमओईएफएंडसीसी) ने दिनांक 07.12.2015 की अधिसूचना के माध्यम से कोयला/लिग्नाइट आधारित ताप विद्युत संयंत्रों (टीपीपी) के लिए [सल्फर डाइऑक्साइड (SO₂) सहित] उत्सर्जन मानकों को अधिसूचित किया था। इसके अलावा, एमओईएफएंडसीसी ने दिनांक 31.03.2021 की

अधिसूचना के माध्यम से उत्सर्जन मानकों के अनुपालन के लिए टीपीपी को तीन श्रेणियों अर्थात् श्रेणी क, ख और ग में वर्गीकृत करने का प्रावधान किया है। तदनुसार, टीपीपी को निम्नानुसार वर्गीकृत किया गया था:

क्र.सं.	श्रेणी	स्थान/क्षेत्र	टीपीपी की संख्या	यूनिट की संख्या	क्षमता (मेगावाट)
1	श्रेणी क	राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र के 10 किमी के दायरे में या दस लाख से अधिक आबादी वाले शहरों में	17	66	20,577
2	श्रेणी ख	गंभीर रूप से प्रदूषित क्षेत्रों या गैर-प्राप्ति शहरों के 10 किमी के दायरे में	25	72	24,057
3	श्रेणी ग	श्रेणी क और ख में शामिल के अलावा	149	462	1,66,885.5
कुल			191	600	2,11,519.5

नोट: भारत की 2011 की जनगणना के अनुसार

केंद्र सरकार द्वारा एमओईएफएंडसीसी की दिनांक 07.12.2015 की अधिसूचना में निर्धारित SO_2 उत्सर्जन मानकों की समीक्षा, इन मानकों की समय-सीमा में छूट या ढील के संबंध में प्राप्त विभिन्न अभ्यावेदनों, प्रौद्योगिकी प्रदाताओं की सीमित उपलब्धता, इसकी तकनीकी-आर्थिक व्यवहार्यता, आपूर्ति श्रृंखला पर कोविड-19 महामारी का नकारात्मक प्रभाव, उच्च मांग और कम आपूर्ति के कारण मूल्य वृद्धि, परिवेशी वायु में कम SO_2 सांद्रता और विद्युत कीमत में वृद्धि के कारण उपभोक्ताओं पर भारी बोझ आदि को ध्यान में रखते हुए की गई है।

इसके अलावा, इन मानकों की प्रभावशीलता और औचित्य तथा क्षेत्र के समग्र परिवेशी वायु प्रदूषण में इनकी भूमिका के संबंध में स्वतंत्र शोध संस्थानों द्वारा किए गए वैज्ञानिक अध्ययनों को भी इन मानकों की सार्वभौमिक प्रयोज्यता और उनके प्रवर्तन की आवश्यकता का मूल्यांकन करने के लिए ध्यान में रखा गया था।

उपर्युक्त को ध्यान में रखते हुए, एमओईएफएंडसीसी ने दिनांक 07.12.2015 की अधिसूचना के माध्यम से अधिसूचित SO_2 उत्सर्जन मानकों की प्रयोज्यता के संबंध में दिनांक 11.07.2025 को एक अधिसूचना जारी की है। तदनुसार, टीपीपी द्वारा SO_2 उत्सर्जन मानकों के अनुपालन के लिए प्रयोज्यता और समयसीमा नीचे सारणीबद्ध हैं:

श्रेणी	SO_2 उत्सर्जन मानकों की प्रयोज्यता	अनुपालन के लिए समय-सीमा (नॉन-रिटायरिंग यूनिट)	अनुपालन से छूट के लिए यूनिट के रिटायरमेंट की अंतिम तिथि
श्रेणी क	अनिवार्य	31.12.2027	31.12.2030
श्रेणी ख	विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति (ताप परियोजनाओं) की सिफारिशों के आधार पर केंद्र सरकार द्वारा मामला-दर-मामला आधार पर निर्णय लिया जाना है। यदि किसी टीपीपी को SO_2 उत्सर्जन मानकों से छूट	31.12.2028	

	के लिए विचार किया जाता है, तो ऐसे टीपीपी को दिनांक 30.08.1990 की अधिसूचना संख्या जी.एस.आर. 742(अ) के अनुसार स्टैक हाईट का अनुपालन सुनिश्चित करना होगा।		
श्रेणी ग	दिनांक 30.08.1990 की अधिसूचना संख्या जी.एस.आर. 742 (अ) के अनुसार स्टैक हाईट का अनुपालन करने की शर्त पर लागू नहीं।	31.12.2029	

टीपीपी में SO_2 उत्सर्जन मानकों की श्रेणीवार प्रयोज्यता का निर्धारण विस्तृत वैज्ञानिक अध्ययनों और देश भर में, टीपीपी के निकटवर्ती क्षेत्रों सहित, परिवेशी SO_2 सांद्रता के विश्लेषण के आधार पर किया गया है। इस दृष्टिकोण में घनी आबादी वाले और अन्य वायु प्रदूषण-संवेदनशील क्षेत्रों में वायु प्रदूषण को नियंत्रित करने और इसे कम करने संबंधी एहतियाती सिद्धांत को अपनाया गया है, साथ ही यह जल, सहायक विद्युत और चूना पत्थर के अतिरिक्त उपभोग से बचाव कर संसाधन संरक्षण पर भी ज़ोर देता है, और एफजीडी की स्थापना के परिणामस्वरूप कार्बन फुटप्रिंट/ CO_2 उत्सर्जन में वृद्धि को रोकता है, तथा इसके साथ ही इन उपायों के लिए अपेक्षित चूना पत्थर के खनन और परिवहन पर भी ध्यान देता है।

(घ) : ताप विद्युत संयंत्रों के लिए निरंतर उत्सर्जन और प्रवाह निगरानी हेतु ऑनलाइन निरंतर उत्सर्जन और प्रवाह निगरानी प्रणाली (ओसीईएमएस) संस्थापित करना अनिवार्य किया गया है।

इसके अलावा, निर्धारित समय सीमा के बाद अनुपालन न करने की स्थिति में, अनुपालन न करने वाले टीपीपी पर निम्नलिखित पर्यावरणीय क्षतिपूर्ति लगाई जाएगी:

समय सीमा के बाद गैर-अनुपालन प्रचालन	पर्यावरणीय क्षतिपूर्ति (रुपये प्रति यूनिट बिजली उत्पन्न)
0-180 दिन	0.20
181-365 दिन	0.30
366 दिन और उससे अधिक	0.40

भारत सरकार
विद्युत मंत्रालय

....
लोक सभा
अतारांकित प्रश्न संख्या-2025
दिनांक 11 दिसंबर, 2025 को उत्तरार्थ

कृषि कार्यों के लिए बिजली आपूर्ति

†2025. श्री अरविंद गणपत सावंतः

श्री संजय हरिभाऊ जाधवः

क्या विद्युत मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार ने ग्रामीण क्षेत्रों, विशेषकर जहां कृषिगत भार अधिक है, में घरेलू फीडरों पर बोझ कम करने और किसानों को निर्बाध विद्युत आपूर्ति सुनिश्चित करने के लिए कृषि फीडरों को घरेलू फीडरों से अलग करने के प्रयास किए हैं, और यदि हां, तो तत्संबंधी व्यौरा क्या है;

(ख) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं;

(ग) देश के ग्रामीण क्षेत्रों में अब तक कुल कितने कृषि फीडर चिह्नित किए गए हैं और उन्हें अलग किया गया है;

(घ) महाराष्ट्र राज्य में परभणी सहित अलग किए गए ऐसे फीडरों की जिले-वार संख्या कितनी है;

(ङ) इन फीडरों को अलग करने की कुल लागत कितनी है और सरकार कृषि गतिविधियों के लिए विश्वसनीय विद्युत आपूर्ति सुनिश्चित करने के लिए ग्रामीण और दूर-दराज के क्षेत्रों में फीडर पृथक्करण के लिए संसाधनों को किस प्रकार आवंटित करने की योजना बना रही है; और

(च) उक्त उद्देश्य के लिए चयनित ऐसे क्षेत्रों में विशेषतः दुर्बल जनजातीय समूहों (पीवीटीजी) से संबंधित परिवारों की संख्या कितनी है?

उत्तर

विद्युत राज्य मंत्री
(श्री श्रीपाद नाईक)

(क) से (घ) : भारत सरकार 30% से अधिक कृषि भार वाले मिश्रित लोड फीडरों के कृषि और गैर-कृषि फीडरों में पृथक्करण पर जोर दे रही है। यह कुशल भार प्रबंधन में सहायता करेगा, कृषि खपत के लिए आपूर्ति की विवेकपूर्ण रोस्टिंग की सुविधा प्रदान करेगा और कृषि फीडरों के सोलाराइजेशन को सक्षम करेगा जिससे किसानों को दिन के समय गुणवत्तापूर्ण विद्युत की आपूर्ति में सहायता मिलेगी। यह ग्रामीण क्षेत्रों में गैर-कृषि उपभोक्ताओं को विश्वसनीय और गुणवत्तापूर्ण आपूर्ति प्रदान करने में भी मदद करेगा।

वर्ष 2014 में शुरू की गई दीन दयाल उपाध्याय ग्राम ज्योति योजना (डीडीयूजीजेवाई) के तहत और उसके बाद वर्ष 2021 में शुरू की गई संशोधित वितरण क्षेत्र स्कीम (आरडीएसएस) के तहत, व्यवहार्य मिश्रित लोड फीडरों के पृथक्करण के लिए कार्य संस्वीकृत किए गए हैं। फीडर पृथक्करण संबंधी कार्यों का विवरण निम्नानुसार है:

क्र. सं.	विवरण	अखिल भारत	महाराष्ट्र
1	पृथक्करण के लिए व्यवहार्य 30% से अधिक कृषि भार वाले कुल फीडर	80,720	10,811
2	डीडीजीयूजेवाई, राज्य योजना आदि सहित विभिन्न स्कीमों के तहत पहले से ही पृथक किए गए फीडर	49,601	6,099
3	आरडीएसएस के तहत पृथक्करण के लिए संस्वीकृत शेष फीडर	31,119	4,712
4	अब तक आरडीएसएस के तहत पृथक किए गए फीडर	7,846	2,295

आरडीएसएस के तहत जिला परभणी सहित जिला-वार फीडर पृथक्करण विवरण अनुबंध पर संलग्न हैं।

(ड) : आरडीएसएस के तहत, राज्यों द्वारा पृथक्करण के लिए अभियानित व्यवहार्य फीडरों की शेष संख्या के अनुसार निधियां आवंटित की गई हैं। फीडर पृथक्करण कार्यों के लिए संस्वीकृत परियोजना लागत का विवरण निम्नानुसार है:

स्कीम	अखिल भारत	महाराष्ट्र	करोड़ रुपये
आरडीएसएस	40,525	7,010	

(च) : आरडीएसएस के तहत, भारत सरकार पीएम-जनमन (प्रधान मंत्री जनजाति आदिवासी न्याय महा अभियान) के तहत अभियानित विशेष रूप से कमजोर अदिवासी समूहों (पीवीटीजी) परिवारों के ग्रिड विद्युतीकरण के लिए राज्यों की सहायता कर रही है। महाराष्ट्र राज्य के लिए 8,556 घरों सहित पीवीटीजी से संबंधित 1,27,987 घरों को ऑन-ग्रिड कनेक्टिविटी प्रदान करने के लिए 521 करोड़ रुपये की राशि के कार्यों को संस्वीकृति दी गई है।

क्रम सं.	जिला	आरडीएसएस के तहत संस्थीकृत फीडर की संख्या	आरडीएसएस के तहत पृथक किए गए फीडर की संख्या
1	अहमदनगर	136	235
2	अकोला	107	48
3	अमरावती	69	23
4	ओरंगाबाद	327	130
5	बीड	367	227
6	भंडारा	40	14
7	बुलढाना	56	41
8	चंद्रपुर	117	35
9	धुले	50	23
10	गडचिरोली	104	24
11	गोंदिया	99	30
12	हिंगोली	101	30
13	जलगांव	171	64
14	जलना	221	67
15	कोल्हापुर	7	6
16	लातूर	393	174
17	नागपुर	217	71
18	नांदेझ	319	88
19	नंदुरबार	33	9
20	नासिक	570	419
21	उस्मानाबाद	223	44
22	पालघर	12	4
23	परभनी	100	49
24	पुणे	277	102
25	रायगढ	2	-
26	रत्नागिरि	6	2
27	सांगली	10	30
28	सतारा	54	18
29	सिंधुदुर्ग	16	3
30	सोलापुर	201	179
31	ठाणे	3	1
32	वर्धा	96	63
33	वाशिम	49	6
34	यवतमाल	159	36
कुल		4,712	2,295

भारत सरकार
विद्युत मंत्रालय

....
लोक सभा
अतारांकित प्रश्न संख्या-2035
दिनांक 11 दिसंबर, 2025 को उत्तरार्थ

765 केवीए ट्रांसमिशन लाइनों की स्थापना हेतु मुआवजा

2035. श्री अमरा रामः

क्या विद्युत मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) देश में 765 केवीए ट्रांसमिशन लाइनों की स्थापना के कारण किसानों की जमीन, पेड़, फल देने वाले पौधों, घर और ट्यूबवेल के लिए सरकार द्वारा प्रदान किए जा रहे मुआवजे का राज्य-वार ब्यौरा क्या है;

(ख) क्या सरकार का महंगाई को देखते हुए मुआवजा राशि में बढ़ोतरी का विचार है, यदि हाँ, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं;

(घ) यह वृद्धि कब तक लागू कर दी जाएगी; और

(ड) क्या यह मुआवजा भूमि अधिग्रहण, पुनर्वास और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 के अनुसार प्रदान किया जा रहा है, यदि हाँ, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

उत्तर

विद्युत राज्य मंत्री
(श्री श्रीपाद नाईक)

(क) से (घ) : पारेषण संबंधी कार्य के निष्पादन के दौरान हुई किसी भी क्षति के लिए पारेषण सेवा प्रदाताओं (टीएसपी) द्वारा संबंधित राज्य सरकार के दिशानिर्देशों के अनुसार मुआवजा प्रदान किया जा रहा है।

विद्युत मंत्रालय ने अंतर्राज्यीय पारेषण प्रणाली (आईएसटीएस) लाइनों को बिछाने से भूमि मूल्य में होने वाली कमी के लिए राइट ऑफ वे (आरओडब्ल्यू) मुआवजे के भुगतान के लिए दिशानिर्देश जारी

किए हैं। मौजूदा दिशानिर्देशों के अनुसार, टावर बेस के लिए भूमि के बाजार मूल्य का 200% मुआवजा विनिर्दिष्ट किया गया है। आरओडब्ल्यू कॉरिडोर के लिए मुआवजा राशि ग्रामीण क्षेत्रों में भूमि के बाजार मूल्य का 30%, राज्य सरकार द्वारा अधिसूचित नगर निगमों और महानगरीय क्षेत्रों में भूमि के बाजार मूल्य का 60%, राज्य सरकार द्वारा अधिसूचित नगरपालिकाओं, नगर पंचायतों और अन्य सभी शहरी नियोजन क्षेत्रों के लिए भूमि के बाजार मूल्य का 45% के रूप में विनिर्दिष्ट की गई है। भूमि की बाजार दर का आकलन स्वतंत्र भूमि मूल्यांकनकर्ताओं द्वारा मूल्यांकन के आधार पर बाजार दर समिति (एमआरसी) द्वारा किया जाता है।

आरओडब्ल्यू मुआवजे की राशि एक राज्य से दूसरे राज्य में भिन्न होती है क्योंकि राज्य में आरओडब्ल्यू मुआवजे पर विद्युत मंत्रालय के दिशानिर्देशों को पूरी तरह से अपना सकते हैं या अपने स्वयं के संशोधित दिशानिर्देश जारी कर सकते हैं।

(ड) : विद्युत अधिनियम, 2003 के प्रावधानों के अनुसार, पारेषण लाइन बिछाने के लिए भूमि का अधिग्रहण नहीं किया जाता है और जिस भूमि पर पारेषण लाइन गुजरती है, उस भूमि का स्वामित्व भूस्वामी के पास बना रहता है।

चूंकि भूमि अधिग्रहण, पुनर्वास एवं पुनःस्थापन में उचित मुआवजा और पारदर्शिता अधिकार, 2013 केवल निजी भूमि और परिसंपत्तियों के स्थायी अधिग्रहण के लिए है, इसलिए उक्त अधिनियम का प्रावधान पारेषण लाइनों को बिछाने पर लागू नहीं होता है।

भारत सरकार
विद्युत मंत्रालय

....

लोक सभा

अतारांकित प्रश्न संख्या-2036

दिनांक 11 दिसंबर, 2025 को उत्तरार्थ

कोयला आधारित विद्युत परियोजनाओं में पानी की कमी

†2036.एडवोकेट चन्द्र शेखर:

श्री हनुमान बेनीवाल:

क्या विद्युत मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या बड़ी संख्या में निर्माणाधीन या विस्ताराधीन कोयला आधारित ऊर्जा संयंत्र पानी की कमी झेल रहे जिलों में स्थित है, यदि हाँ, तो तत्संबंधी राज्य-वार व्यौरा क्या है;

(ख) क्या इनमें से कई संयंत्र पानी की कमी के कारण उत्पादन में देरी या कमी का सामना कर रहे हैं, यदि हाँ, तो पिछले तीन वर्षों में ऐसे विद्युत संयंत्रों और प्रभावित जिलों के नाम सहित तत्संबंधी व्यौरा क्या है;

(ग) क्या सरकार ने अर्ध-शुष्क और सूखा प्रभावित क्षेत्रों में स्थित बड़ी तापीय परियोजनाओं के लिए कोई समग्र जल उपलब्धता और उपयोग संबंधी आकलन कराया है या कमीशन किया है, यदि हाँ, तो तत्संबंधी व्यौरा क्या है; और

(घ) क्या किसी कोयला आधारित तापीय ऊर्जा संयंत्र परियोजनाओं को सुनिश्चित जल आपूर्ति के अभाव में रोक दिया गया, घटा दिया गया या रद्द कर दिया गया है, यदि हाँ, तो ऐसी परियोजनाओं की सूची सहित तत्संबंधी व्यौरा क्या है?

उत्तर

विद्युत राज्य मंत्री

(श्री श्रीपाद नाईक)

(क) और (ख) : जल शक्ति मंत्रालय के भारत के गतिशील भूजल संसाधनों पर राष्ट्रीय संकलन 2025 के अनुसार, देश भर में भूजल मूल्यांकन इकाइयों (जिले, ब्लॉक आदि) को वार्षिक भूजल निष्कर्षण और पुनःपूर्ति फ्रीएटिक एक्विफायर के अनुपात के आधार पर सुरक्षित (70% से कम या बराबर), सेमी-क्रिटिकल (70% से अधिक और 90% से कम या बराबर), क्रिटिकल (90% से अधिक और 100% से कम या बराबर) तथा अत्यधिक दोहन (100% से अधिक) के रूप में वर्गीकृत किया गया है। तदनुसार, जल-संकटग्रस्त जिलों में तीन (03) विद्युत परियोजनाएं निर्माणाधीन या विस्ताराधीन हैं और उनका विवरण अनुबंध पर दिया गया है।

इन संयंत्रों ने पानी की कमी के कारण उत्पादन में देरी की कोई सूचना नहीं दी है।

(ग) : सरकार द्वारा ऐसा कोई अध्ययन नहीं कराया गया है। ताप विद्युत संयंत्रों के लिए पानी का आवंटन जहां परियोजना स्थित है वहाँ की राज्य सरकार के जल संसाधन विभाग द्वारा किया जाता है और वे पानी के आवंटन से पहले सभी कारकों का आकलन करते हैं।

(घ) : कोयला आधारित ताप विद्युत संयंत्रों के आकार से संबंधित निर्णय उत्पादक कंपनियों/परियोजना विकासकर्ताओं द्वारा उनकी तकनीकी-आर्थिक और वाणिज्यिक आवश्यकताओं और स्थानीय स्थितियों, जिसमें पानी की उपलब्धता भी शामिल है, के आकलन के आधार पर लिया जाता है। इसके अतिरिक्त, नए कोयला आधारित ताप विद्युत संयंत्र जल संरक्षण के लिए, आवश्यकतानुसार, एसीसी (एयर कूल्ड कंडेनसर) आधारित तकनीक को भी अपना रहे हैं जिसके परिणामस्वरूप कूलिंग टावर प्रणाली के संबंध में पानी की खपत में 60% की कमी आई है।

जल-संकटग्रस्त जिलों में स्थित निर्माणाधीन तथा अवार्ड किए गए कोयला आधारित ताप विद्युत संयंत्र (टीपीपी)

क्रमसं.	राज्य	जिला	टीपीपी का नाम	यूटिलिटी	क्षेत्र	स्थिति (निर्माणाधीन/अवार्ड किए गए)	श्रेणी
1.	उत्तर प्रदेश	कानपुर नगर	घाटमपुर टीपीपी	एनयूपीपीएल	केंद्रीय	निर्माणाधीन	सेमी-क्रिटिकल
2.	हरियाणा	यमुनानगर	डीसीआर टीपीपी विस्तार	एचपीजीसीएल	राज्यीय	निर्माणाधीन	अत्यधिक दोहन
3.	राजस्थान	बारन	कवाई टीपीपी	अडानी पावर	निजी	अवार्ड किया गया लेकिन निर्माण शेष	अत्यधिक दोहन
